राजस्थान विधान सभा

१७ वीं बैठक, सोमवार, दिनांक २८ मार्च, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर १५ मिनिट (प्रातः) प्रारम्भ हुई ।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—Yes, Questions. Shri Chandmal Mehta.

प्रश्न संख्या २५१

सरवाड़ स्कूल के भूतपूर्व कर्मचारियों को वेतन न मिलने के कारण सरकार को नोटिस

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा-मन्त्री निम्न प्रकार का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. सरवाड़ स्कूल के भूतपूर्व कितने कर्मचारियों ने तनख्वाह नहीं मिलने के कारण लीगल नोटिस सरकार को दिये हैं ?

२. उक्त कर्मचारियों में किस-किस के कितने-कितने रुपये तनख्वाह के बाकी हैं ?

श्रीमति कमलाकुमारी बेनीवाल (उपशिक्षा मन्त्रिणी)—

(सुनाई नहीं देने की आवाज)

१. केवल एक कर्मचारी ।

२. एक कर्मचारी ने केवल जिसकी तनख्वाह के ४६२ रु० १५ आ० बाकी है । इसका बिल महालेखापाल के कार्यालय में पहुंच चुका है, पास होते ही दे दी जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—यह ४६२ रु० कितने महीनों के देने हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह ७-८-५२ से १३-८-५३ तक के देने हैं ।

श्री चांदमल मेहता—अब तक सन् ५२ से लगाकर ५३ तक के रुपये नहीं देने का क्या कारण है ?

Page No.2

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल--कागजात चल रहे थे उस बीच वे चले गये। उसके अलावा जिनके स्थान पर उन्हें लगाया गया था उनके आने के बाद में उनके कागजात मूव किये गये। उसके बाद में इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर हो गया और कागजात का पता नहीं लगा, इसलिए वे कागजात दुबारा मूव करने पड़े।

श्री चांदमल मेहता--इसका क्या कारण है कि ५२ से लगाकर अभी तक उसकी तनख्वाह नहीं दी गई और उसके कारण लीगल नोटिस सरकार को देना पड़ा?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उसके कागजात व आवेदनपत्र नहीं मिले।

श्री चांदमल मेहता—क्या बगैर आवेदन-पत्र आये ही उसको नौकर रख लिया गया था?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उसकी तनख्वाह के कागजात तो पहले आये। उसके बाद में इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स का तबादला होने के कारण वे कागज इधर-उधर हो गये और फिर दुबारा भेजे गये।

श्री चांदमल मेहता—क्या ऑफिसर के तबादले के साथ कागजों का भी पता नहीं लगता, वे भी उसके साथ ट्रान्सफर हो जाते हैं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—कागजों का तबादला तो नहीं होता, लेकिन मिसप्लेस हो जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—अब सरकार इन रुपयों को कब तक देने का विचार रखती है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री चांदमल मेहता—क्या कोई निश्चित तिथि मुकर्रर की जा सकती है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार इसके लिये महीने और वर्ष मुकर्रर करेगी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जल्दी से जल्दी; न महीने, न वर्ष।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि उसको तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से मजबूर होकर सर्विस छोड़ देनी पड़ी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—यह व्यक्ति अभी सर्विस में है या नहीं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसके लिये अलग प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दिया जावेगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५२

ग्राम अलाम्बू (त० सरवाड़) की पाठशाला का निरीक्षण

श्री चांदमल मेहता—क्या शिक्षा-मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. ग्राम अलाम्बू तहसील सरवाड़ में कब स्कूल कायम किया गया ?

२. उक्त स्कूल में कितने अध्यापक हैं और छात्रों की संख्या कितनी है ?

३. स्कूल के खुलने के बाद क्या किसी अफसर द्वारा उस स्कूल का निरीक्षण किया गया ?

४. उक्त स्कूल के अध्यापकों की योग्यता क्या-क्या है और उन्हें क्या-क्या तनख्वाह दी जाती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—१. २१ सितम्बर, १६५३ को।

२. १३ मार्च, १६५५ को यह स्कूल बन्द कर दिया गया, अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
३. जी हां।

४. प्रश्न उपस्थित नहीं होता क्यों कि स्कूल बंद हो चुका है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि यह प्रश्न आने के बाद उस स्कूल को बन्द किय गया ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसकी कार्यवाही पहले से चल रही थी और बाद में १३-३-५५ को बन्द कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—इसमें कितने छात्र और कितने मास्टर थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसमें ५ छात्र थे और बाद में ३ हुए और एक मास्टर था।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि स्कूल के प्रारम्भ में भी ५ ही लड़के थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आशा यह थी कि लड़कों की संख्या बढ़ जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—यहां पर पांच छात्र थे और दो अध्यापकों की नियुक्ति की गई ?

Page No.4

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल छात्रों की संख्या ५ थी। लेकिन उसके साथ यह उम्मीद की जाती थी कि संख्या ज्यादा हो जावेगी, वहां के लोगों ने आश्वासन दिया था।

श्री चांदमल मेहता—जो मास्टर वहां पर रखे गये थे वे इन्टरमीडिएट रखे गये थे। जब लड़कों की संख्या ५ थी तो दो मास्टर रखने आवश्यक थे ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—छात्रों की संख्या अधिक नहीं थी, मगर उम्मीद थी कि संख्या बढ़ जावेगी।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन साहब थे जिन्होंने इस प्रकार का आश्वासन दिया था ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—इसी इलाके के रहने वाले व्यक्ति थे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५३

वर्तमान वर्ष में अधिक प्राथमिक पाठशालाएं खुलने वाला जिला

श्री जवानसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा प्राथमिक पाठशालायें इस वर्ष खोली गई हैं और उनकी संख्या क्या है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उपमंत्राणी)—राजस्थान के जयपुर जिले में सबसे ज्यादा प्राथमिक पाठशालायें इस वर्ष खोली गईं और उनकी संख्या १२१ है।

श्री जवानसिंह—क्या किसी विशेष कारण से जयपुर जिले में प्राथमिक पाठशालायें सबसे ज्यादा खोली गईं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—विशेष कारण बड़ी जनसंख्या का है।

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि बहुत ही पिछड़े हुए जिले; जैसे जैसलमेर में प्राथमिक पाठशालाएं नहीं के बराबर खोली गई हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जनसंख्या के लिहाज से जितनी खोलनी चाहिये, उतनी अवश्य खोली गई हैं।

श्री जवानसिंह—क्या सरकार इस बात को सही नहीं मानती है कि शिक्षा सबके लिए आवश्यक है इसलिए सब जगह स्कूल्स खोलने आवश्यक हैं ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—आवश्यक मानती है। इसीलिए अधिक जनसंख्या पर अधिक स्कूल्स खोले गये हैं और कम पर कम।

श्री **तनसिंह**—क्या जिस अनुपात से प्राथमिक पाठशालायें जयपुर जिले में खोली गई हैं उसी अनुपात से दूसरी जगह भी खोली जावेंगी जहां की जनसंख्या अधिक है?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यही समझना चाहिये।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५४

वर्तमान वर्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण में शासकीय व्यय

श्री चांदमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् ५४–५५ में औद्योगिक प्रशिक्षण पर सरकार द्वारा कितना रुपया खर्च किया गया?

(२) किस–किस उद्योग के प्रशिक्षण के लिए किन–किन व्यक्तियों को कहां-कहां भेजा गया?

(३) शिक्षण प्राप्त व्यक्तियों से इस वक्त क्या काम लिया जा रहा है?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग मन्त्री)—(१) सन् ५४–५५ में औद्योगिक प्रशिक्षण पर दिसम्बर सन् ५४ तक १,३३,१४६ रु० खर्च हुआ।

(२) श्रीकेशवदेव शर्मा को चर्म-उद्योग प्रशिक्षण के लिए नॉर्थम्प्टन, इंग्लैंड भेजा गया।

राजस्थान के विभिन्न जिलों में डिमॉन्स्ट्रेशन पार्टीज़ ने उद्योग-प्रशिक्षण कार्य किया।

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और राजगढ़ में कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ हैं और जयपुर में क्राफ्ट्स स्कूल्स हैं और वहां उद्योग-धंधे की शिक्षा दी जाती है और छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

(३) श्री केशवदेव शर्मा, असिस्टेन्ट डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज़ कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट का काम कर रहे हैं।

कॉटेज इन्डस्ट्रीज़ व डिमॉन्स्ट्रेशन पार्टीज़ का इस वर्ष का शिक्षण-कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने पर इन संस्थाओं से निकले हुए व्यक्ति निजी तौर पर काम करते हैं या उन संस्थाओं में स्थान खाली होने पर इनमें से नियुक्त किये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—राजस्थान के अन्दर औद्योगिक प्रशिक्षण दिये जाने वाले कितने व्यक्ति हैं जिनको यह प्रशिक्षण दिया गया है?

Page No.6

श्री भोगीलाल पंड्या—लगभग ६०० ।

श्री चांदमल मेहता—जो रकम खर्च में बताई गई है उसमें छात्रवृत्ति के रूप में कितनी है और इन संस्थाओं को चलाने में कितनी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—अलग से इस तरह का प्रश्न पूछियेगा तो अलग अलग छांट कर रकम बता दी जायगी ।

श्री चांदमल मेहता—छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में क्या कोई नियम बने हुए हैं जिनके अनुसार सरकार छात्रवृत्ति देती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नियम भी बने हुए हैं और नियमानुसार ही छात्रवृत्ति दी जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या आधार है छात्रवृत्ति देने का ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जहां पर सस्ता अनाज वगैरह होता है, छोटे उद्योग होते हैं; वहां कम से कम १५) और बाकी को ३०) रु० ।

श्री चांदमल मेहता—वे कौन कौन से उद्योग हैं जिनमें १५) छात्रवृत्ति दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जैसे बढई का काम है, लौहार का काम है । घर पर काम करने के सिवाय जो स्कूलों में पढ़ने वाले लड़के हैं उनको १५) रु० दिये जाते हैं !

श्री चांदमल मेहता—१५) रु० माहवार दिये जाते हैं, वे सब छात्रों को दिये जाते हैं या चन्द को दिये जाते हैं और चन्द को नहीं दिये जाते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार चुनती है, उन सब को दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

प्रश्न संख्या २३५

किशनगढ़ तहसील के विभिन्न ग्रामों में भांभियों की नियुक्ति

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) किशनगढ़ तहसील में किस-किस गांव में भांभी नियुक्त हैं ?

(२) उक्त गांवों के भांभियों को कितने रुपये माहवार तनख्वाह के दिये जाते हैं ?

(३) इन्हें कब से तनख्वाह मिलना बाकी है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मंत्री)—मुकम्मिल सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चांदमल मेहता—इन्हें अब तक तनख्वाहें नहीं मिली हैं जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि मुकम्मिल सूचना नहीं मिली है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न फरवरी में भेज दिया गया था जिसको आज ५० दिन हो जाते हैं, लेकिन अब तक इसकी सूचना प्राप्त नहीं हुई है और कहा जाता है कि मुकम्मिल सूचना नहीं मिली है। पिछले सेशन में भी मैंने यह प्रश्न पूछा था और उस समय भी यही कहा गया था कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है; अब भी यही कहा जाता है कि सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह आवश्यक था कि सरकार सूचना प्राप्त करती।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—भांभी से मतलब समझा नहीं।

श्री दामोदरलाल व्यास—पूरी सूचना नहीं आई है। जो सूचना आई है वह नामुकम्मिल है, जो कि हाउस के सामने पेश नहीं की जा सकती। मुकम्मिल सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—भांभी होते क्या हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—भांभी किशनगढ तहसील में होते हैं जो जरीबकशी का काम करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—मेरे प्रश्न के उत्तर के लिए अध्यक्ष महोदय, सरकार को अमुक तिथि मुकर्रर कर देना चाहिये ताकि अमुक तिथि में जवाब देना है। जवाब इसका जरूर मिलना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—सूचना आई है लेकिन पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सूचना मंगवाई गई है। पूरी सूचना के आते ही मैं हाउस की टेबिल रख दूंगा। जल्दी ही मंगवाऊंगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री चांदमल मेहता—तनख्वाह नहीं मिलने का क्या कारण हैं, जो सूचना आपको मिली है उसके आधार पर?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने अर्ज किया था कि पूरी सूचना नहीं मिली है। मैंने कब मंजूर किया कि तनख्वाहें नहीं मिली हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह समझा जाय कि जिन भांभियों के नाम बताये थे उनको तनख्वाह मिल चुकी हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—उनको इस तरह से नहीं समझा जाय। सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए निश्चित नहीं कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—अब कब तक सूचना प्राप्त हो जायगी ?

I want the date because we are going to rise.

श्री दामोदरलाल व्यास—कम से कम दो हफ्ते तो लग जावेंगे।

श्री अध्यक्ष—May we keep it on the second of April ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, सेकिन्ड को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जवानसिंह।

प्रश्न संख्या २५६

वर्तमान वर्ष में हाई स्कूलों को कॉलेज बनाना

श्री जवानसिंह—क्या शिक्षा-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

वर्तमान वर्ष में कितने हाई स्कूलों को कॉलेज बनाया गया और कहां-कहां पर ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (उप-मन्त्रीणी)—वर्तमान वर्ष में किसी हाई स्कूल को इन्टर-कॉलेज नहीं बनाया गया है।

श्री जवानसिंह—क्या कारण है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी नीति अपनाई गई।

श्री जवानसिंह—वह क्या नीति थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जो, जवाब दिया गया वही नीति थी।

श्री जवानसिंह—मैं समझा नहीं कि सरकार की क्या नीति थी ? हाई स्कूलों को कॉलेज बनाया गया, उसके अन्दर सरकार की क्या नीति थी ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—अलग से प्रश्न पूछ लीजिये कि नीति का क्या तथ्य था।

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बिल्कुल साफ है कि नीति क्या थी ? यह सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है जो कि इससे रिलेवेन्ट है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री)—आर्थिक अभाव।

श्री जवानसिंह—तो सारे राजस्थान के हाई स्कूलों को कॉलेज नहीं बनाया जाय, इनको आर्थिक कारण से नहीं बनाया गया है या और भी कोई कारण था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुख्य कारण यही है।

श्री जवानसिंह—क्या किसी भी जगह से किसी भी हाई स्कूल को कॉलेज बनाने के लिए आवेदन-पत्र नहीं आये सरकार के पास ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आवेदन-पत्र बहुत आये थे और इसलिए ज्यादा मुश्किल हो गया।

श्री जवानसिंह—तो भविष्य में सरकार किसी हाई स्कूल को कॉलेज बनाना चाहती है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हाई स्कूलों को इन्टर कॉलेज में बदलने के बजाय उनको मल्टीपर्पज स्कूलों में बदलने की योजना है। इस वर्ष २५ को कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २५७

वर्तमान वर्ष में बेसिक शिक्षा पर शासकीय व्यय

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में बेसिक शिक्षा दिये जाने के लिये सरकार द्वारा कितने रुपयों की इस वर्ष स्वीकृति दी गई है ?

(ख) यह रुपया किस-किस स्कूल तथा अन्य शिक्षा-संस्थाओं को कितना-कितना दिया जाना स्वीकार हुआ है और किस-किस कार्य के लिए ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल (श्री उपमन्त्रिणी)—

(क) ७४,२६१ रु० खर्च होंगे।

(ख) यह धन-राशि केवल राजकीय बेसिक ट्रेनिङ्ग कॉलेज, उदयपुर के लिए ही स्वीकृत हुई है, अतः उस पर व्यय किया जा रहा है।

श्री श्रीदास गोयल—इस वर्ष यह पूरा रुपया खर्च हो जायगा क्या ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—उम्मीद तो ऐसी है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कारण है कि और जगह इस रुपये का उपयोग नहीं किया जा सका ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—यह रुपया उसी के लिये मन्जूर हुआ था, गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने इसी कार्य के लिये मन्जूर किया है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार और जगहों के लिये रुपया स्वीकृत कराना मुनासिब समझती है ?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—जिस-जिस के लिये मुनासिब समझती है, उसके लिये कोशिश की जा रही है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इस वर्ष कार्य में कुछ प्रगति करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस साल जितने भी ऑर्डिनरी ट्रेनिङ्ग स्कूल्स या बेसिक स्कूल्स हैं, उन सबको बेसिक ट्रेनिङ्ग स्कूल में तब्दील किया जा रहा है। उनके लिये कॉलेज की व्यवस्था के लिये आगे की स्टेज है यह अभी सम्भव नहीं हो सकता।

प्रश्न संख्या २५८

राजस्थान के विभिन्न औद्योगिक कारखानों में राजस्थान सरकार की पूंजी

श्री चान्दमल मेहता—क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कितने औद्योगिक कारखानों में राजस्थान सरकार की पूंजी लगी हुई है ?

(२) उक्त कारखाने कहां-कहां किस-किस काम के हैं और प्रत्येक कारखाने में राजस्थान सरकार की कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है और जनता की कितनी-कितनी पूंजी लगी हुई है ?

(३) उक्त कारखानों में से कितने कारखाने बन्द हैं ?

(४) उक्त कारखानों से राजस्थान के निर्माण के बाद किस-किस वर्ष में कितने-कितने रुपये मुनाफे के रूप में सरकार को प्राप्त हुए हैं ?

(५) उक्त कारखानों की स्थिति की जांच करने के लिये क्या सरकार ने किसी समिति का निर्माण किया है ?

(६) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या रिपोर्ट दी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(१) जिन औद्योगिक कारखानों में सरकार की पूंजी लगी हुई है, उसकी सूची टेबिल पर रख दी गई है।

Page No.11

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(२) इस प्रश्न का उत्तर सूची के खाना नम्बर ३, ४, ५ और ६ में दिया हुआ है।

(३) सूची के क्रमांक ५, ६, ७ और ९ पर दिये हुए कारखाने बन्द हैं।

(४) सूची के खाना नम्बर ७, ८, ९, १० और ११ में इसका उत्तर अंकित किया गया है।

(५) हां, इस विषय में जांच के लिये सरकार ने एक समिति का निर्माण किया है जो यद्यपि इन्हीं कारखानों के लिये नहीं है बल्कि राजस्थान के कुल बन्द कारखानों की जांच के लिये है, जिन्हें प्रान्तीय समितियां कहा जाता है जो प्रत्येक डिविजन में हैं। इसी प्रकार वर्तमान कारखानों की उन्नति व नये उद्योध-धन्धों की खोज करने के लिये सरकार ने एक समिति का निर्माण किया है।

(६) समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सरकार को अभी नहीं दी है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चान्दमल मेहता—यह समिति कब बनी?

श्री भोगीलाल पंड्या—पिछले वर्ष।

श्री चान्दमल मेहता—इसके कौन-कौन सदस्य हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे पूरे नाम तो जबानी याद नहीं हैं, मालूम करके बता सकता हूं।

श्री चान्दमल मेहता—क्या समिति को अपनी रिपोर्ट देने के लिये कोई निश्चित अवधि दी थी?

श्री भोगीलाल पंड्या—अवधि नहीं दी गई थी, किन्तु यह कहा गया था कि वे अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी दें। उनको फिर याददानी कर दी गई है कि वे अपनी रिपोर्ट जल्दी तैयार करके देवें।

श्री चान्दमल मेहता—क्या यह सही है कि वे समझते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई अवधि निश्चित नहीं है, इसलिये जल्दी न की जाय?

श्री भोगीलाल पंड्या—अगर वे ऐसा समझते हैं तो उनकी भूल है। "जल्दी" के मायने जल्दी करना है।

श्री चांदमल मेहता—यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक दे देगी?

श्री भोगीलाल पंड्या—आशा की जाती है कि समिति अपनी रिपोर्ट जल्दी ही दे देगी।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस समिति में ऐसे व्यक्ति लिये गये हैं जो वक्त नहींल निका सकते, इसलिए इसमें देरी हुई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—व्यक्तियों को अच्छे समझ कर और वक्त दे सकेंगे, ऐसा ही समझ कर लिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—अच्छे तो व्यक्ति लिये हैं किन्तु उनको समय नहीं मिलता, इससे रिपोर्ट में देरी हो रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन व्यक्तियों को लिया गया है उनको वक्त मिलेगा, इसी ख्याल से लिया गया है। अगर वे वक्त नहीं देते हैं तो उनको बदलने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने कारखाने हैं जिनसे सरकार को राजस्थान के निर्माण के बाद कोई रकम की आमदनी नहीं हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूची आपके पास है, आप देख लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—आप बता दें ताकि सदस्यों को पता चल जाय।

श्री भोगीलाल पंड्या—आप ही जोड़ कर बता दीजिये मेहरबानी होगी।

श्री चांदमल मेहता—मैं तो प्रश्न पूछने वाला हूं, उत्तर देने का काम तो आपका है ?

श्री अध्यक्ष—सूची आपको दे दी गई है, तो आप देख लीजिये।

श्री चांदमल मेहता—जिन कारखानों के बारे में यह कहा गया कि इन्होंने डिवीडेन्ड डिक्लेअर नहीं किये, इसके क्या कारण है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—उनको मुनाफा नहीं होने के कारण।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने कारखाने हैं जिनको मुनाफा नहीं हुआ और उनकी सरकार द्वारा जांच करवाई गई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—सूची आपको दे दी गई है, आप देख सकते हैं। अगर मैं उनको जोड़कर बताने लगूं तो सदन का समय व्यर्थ जायगा।

श्री चांदमल मेहता—मेरा प्रश्न यह है कि सरकार द्वारा उन कारखानों की जांच कराई गई है क्या, जिनमें मुनाफा नहीं हुआ !

Page No.13

श्री भोगीलाल पंड्या—इसमें सरकार क्या करेगी ? उनके खुद के डाइरेक्टर्स होते हैं, उनका बोर्ड होता है, उनकी वार्षिक रिपोर्ट पेश होती हैं। उसी के आधार पर वे डिविडेन्ड डिक्लेअर करते हैं।

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कितने कारखाने हैं जिनमें सरकार की ओर से डाइरेक्टर्स नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक दो हो सकते हैं।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार का डाइरेक्टर नहीं होने के कारण सही बेलेन्स शीट सामने नहीं आती ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसी बात तो नहीं है। एक-दो बड़े उद्योगों में, जहां हमारे डाइरेक्टर्स नहीं, झगड़ा चला था। उस फर्म से हम डाइरेक्टर रखने के बारे में बातचीत कर रहे हैं; साथ ही उन्होंने अपना हिसाब भी बतलाया है।

श्री चांदमल मेहता—जिन कारखानों ने डिविडेन्ड घोषित नहीं किया उनमें एक कारखाने में अपना आदमी रहता है और किसी में सरकार का डाइरेक्टर नहीं है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जिन जिन सरकारों ने कारखानों के लिये रुपया दिया, उन्होंने जैसा उचित समझा होगा वैसा किया है। जो कुछ भी किसी भी सरकार द्वारा एग्रीमेन्ट होता है उसका पालन करना जरूरी होता है। उस समय जहां सरकारी डाइरेक्टर रखना जरूरी समझा वहां रखा गया है।

श्री चांदमल मेहता—जिन कारखानों में सरकार का डाइरेक्टर नहीं है क्या उनमें सरकार अपना डाइरेक्टर रखने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—ऐसे बड़े उद्योग जिनमें हमारे डाइरेक्टर्स नहीं हैं उनमें रखने के लिये सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

श्री चांदमल मेहता—जिन जिन उद्योगों ने बिल्कुल डिविडेन्ड घोषित नहीं किया क्या उन सब में सरकार अपने डाइरेक्टर्स रखेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—विधि और कानून के अनुसार जिन जिन कारखानों में सरकारी डाइरेक्टर्स रखे जा सकते हैं रखवाने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री सरदार दिलीपसिंह—जो कई कारखाने कई अर्से से बन्द पड़े हैं उनको लिक्वीडेशन में लेने की सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—एक समिति बनाई गई है जो यह देखेगी कि यह कारखाना किस वजह से बन्द है। अगर आर्थिक कारण से बन्द है तो उसको आर्थिक सहायता देकर चालू

[श्री भोगीलाल पंड्या]

करवाया जायगा और अगर टेक्निकल सहायता की आवश्यकता है तो टेक्निकल सहयोग दिया जायगा इन सब के बाद भी अगर सरकार समझेगी कि इसको लिक्वीडेशन में लिया जाय तो वैसा प्रबन्ध करेगी।

श्री सन्तोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री ने जो जवाब दिया उसमें मुझे कुछ एतराज है।

श्री अध्यक्ष—एतराज का सवाल नहीं है, आप यदि कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं ?

श्री सन्तोषसिंह—माननीय अध्यक्ष, जैसा कि माननीय मन्त्री ने जो जवाब दिया कि समिति के सदस्यों के नाम याद नहीं हैं तो यह तो उनको बताना चाहिये।

श्री भोगीलाल पंड्या—समिति के सदस्यों के नाम मुझे जबानी याद नहीं है। अगर आप अलग से सवाल पूछेंगे तो जानकारी प्राप्त करके उत्तर दिया जा सकता है। अगर मैं कुछ नाम जबानी बता भी दूँ तो आप यह भी पूछेंगे कि उनकी उम्र क्या है, जन्म की तारीख क्या है ?

श्री अध्यक्ष—(श्री भोगीलाल पंड्या से)

आपसे उम्र और जन्म की तारीख आदि नहीं पूछेंगे, अगर आपको मालूम हो तो समिति के सदस्यों के नाम बता दीजिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नाम मुझे याद नहीं हैं।

श्री सन्तोषसिंह—यह सप्लीमेन्ट्री रिलेवेन्ट है। समिति के सदस्यों के नाम की जानकारी रखनी चाहिये माननीय मन्त्री महोदय को।

श्री अध्यक्ष—यह कोई जरूरी नहीं है और न कोई यह कोन्फीडेन्शियल ही है कि जिसको आप न बता सकें ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे मालूम नहीं है।

प्रश्न संख्या २५६.

तालाब करणसागर (त० किशनगढ़) के पेटे में काश्त के लिये भूमि

श्री चांदमल मेहता—क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील किशनगढ़ के तालाब करणसागर के पेटे में इस वर्ष किसानों को कितनी जमीन काश्त के लिये सरकार द्वारा दी गई है ?

[श्री चांदमल मेहता]

(२) जिन किसानों को काश्त के लिये जमीन दी गई है उनके नाम चाही व बारानी कितनी-कितनी दीगर जमीनें हैं ?

(३) उक्त जमीनें किस आधार पर किस पदाधिकारी द्वारा काश्त पर बतलाई गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—

(१) तहसील किशनगढ़ के तालाब करनसागर के पेटे में इस वर्ष निम्न किसानों को केवल १ वर्ष के लिए जमीन काश्त के लिए दी गई है।

नाम आसामी	तादाद बीघा
श्री गिरधारीनाथ जोगी	५
श्री अम्बा गूजर	१०
श्री लालू गूजर	१५
श्री हीरानाथ जोगी	१५
श्री रामसिंह	१५

(२) जिन किसानों को काश्त के लिए जमीन दी गई है उनके नाम दीगर चाही और बारानी जमीनें इस प्रकार है :

नाम आसामी	चाही	बारानी	तालाबी
श्री गिरधारीनाथ	२॥ बी.	४० बी.	६ बी.
श्री अम्बा गूजर	१७	१००	८
श्री लालू गूजर	२०	४०	१०
श्री हीरानाथ	१०	२५	३
श्री रामसिंह	,,	,,	,,

(३) ये जमीनें गैर मुस्तकिल तौर पर तहसीलदार द्वारा काश्त पर दी गई है।

Page No.16

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इस प्रकार के आदेश निकाले जा चुके हैं कि भूमिहीन किसानों को ही भूमि दी जाय। इस आदेश के पालन नहीं होने का क्या कारण है?

श्री दामोदरलाल व्यास—ऐसे आदेश दे दिये गये हैं। अगर इस आदेश की खिलाफ-वर्जी की गई है तो कार्यवाही की जायगी!

श्री चांदमल मेहता—क्या इस प्रकार की कार्यवाही इसी वर्ष की गई है या प्रतिवर्ष तहसील दार द्वारा अपनी इच्छानुसार हर किसी को जमीन काश्त के लिये दे दिया करते हैं?

श्री दामोदरलाल व्यास—आम तौर से ऐसे आदेश जारी कर दिये गये हैं कि आयन्दा जमीन दी जाय तो भूमिहीन किसानों को ही दी जाय। तसहीलदार किशनगढ़ ने इसकी खिलाफवर्जी की है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

प्रश्न संख्या २६०

सवाई माधोपुर हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज खोलना

श्री श्रीदास गोयल—क्या मुख्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या सरकार ने सवाई माधोपुर हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज खोलने का गत वर्ष में निर्णय किया था?

(ख) यदि हां, तो ये क्लासेज़ अब कब तक खोली जायेंगी?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—(क) गत वर्ष से।

(ख) जी नहीं, लेकिन साइन्स विषय में मान्यता देने के लिये युनिवर्सिटी को लिखा गया था, किन्तु भवन की असुविधा के कारण मान्यता प्राप्त नहीं हुई। इसलिये यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है।

(घ) भवन आदि की सुविधा प्राप्त होते ही।

श्री श्रीदास गोयल—इस वर्ष ५५-५६ में कोई साइन्स क्लासेज खोली जा रही हैं या नहीं?

श्रीमती कमलाकुमारी बेनिवाल—किस जगह के लिये पूछ रहे हैं आप?

श्री श्रीदास गोयल—सवाई माधोपुर के लिये।

श्रीमती कमलाकुमारी बेनीवाल—ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

Page No.17

श्री श्रीदास गोयल—माननीय अध्यक्ष, प्रश्न मेरा साफ था कि सवाई माधोपुर हाई स्कूल में साइन्स क्लासेज़ खोलने का गत वर्ष निर्णय किया था क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री)—साइन्स क्लासेज़ के लिये ११ हजार रुपये की स्वीकृत दे दी गई है ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या नये सेशन से चालू हो जायेंगी ?

श्री सुखाड़िया—जुलाई से ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार ने साइन्स क्लासेज़ खोलने से पूर्व वहां की बिल्डिंग को एग्ज़ामिन कर लिया है ? सफीशियेन्ट रूम्स हैं या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि डिपार्टमेन्ट ने रिकमन्डेशन सारी बातों का ख्याल रखते हुए ही की होगी ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री जगतसिंह झाला ।

प्रश्न संख्या २६१

चित्तौड़ जिले में विभिन्न स्थानों पर खनिज पदार्थ

श्री जगतसिंह झाला—क्या उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(अ) चित्तौड़ जिले में कहां-कहां पर कौन-कौन से खनिज पदार्थ निकलते हैं ?

(ब) सन् १९५४-५५ में किन-किन की ओर से कहां-कहां पर नये खनिज पदार्थों के लिये माइनिंग डिपार्टमेन्ट में प्रार्थना-पत्र पेश हुए और उनमें से किस-किस को कहां-कहां के लिये मन्जूरी दी गई ?

श्री भोगीलाल पांड्या (श्री उद्योग एवं व्यापार मंत्री)—

(अ) चित्तौड़ जिले में निम्न-लिखित खनिज पदार्थ उनके आगे अंकित स्थानों पर मिलते हैं—

(१) लेड, जिन्क, सिलवर	तहसील चित्तौड़ में सियोली के पास ।
(२) लाइम स्टोन	तहसील चित्तौड़ में भानपुरा मेरड़ा सवा सेगी, तहसील निम्बाहेडा में निम्बाहेडा, विनोता, टाटरमाला, नारेला, मल्ला । तहसील भूदेसर जिला चित्तौड़गढ़ में खोडीग जांवदा ।

Page No.18

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(३) चाइना क्ले	तहसील चित्तौड़ के सिघाली के पास
(४) मेनगेनीज़ और आइरन ओर	तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़ में। गंगरार गांव के समीप की पहाड़ियों में
(५) क्वार्टर्न	तहसील निम्बाहेडा में कासोद के पास
(६) एस्बेस्टोस	तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़ में देवरिया के पास।
(७) पीली मिट्टी	तहसील चित्तौड़ में शम्भूपुरा के पास
(८) सोपस्टोन	तहसील प्रतापगढ़, जिला चित्तौड़ में।
(९) स्लेट वैन स्टोन	तहसील प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़ में।

उपरोक्त खनिज पदार्थों में से इस समय केवल लाइम स्टोन का कार्य चल रहा है और आइरन ओर मेनगेनीज़, क्वार्टर्न एस्बेस्टोस के लिए प्रोस्पेक्टिंग लाइसेन्स मिलने हेतु हाल ही में तीन प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं जो विभाग में विचाराधीन हैं।

(ब) चित्तौड़गढ़ जिले में खनिज पदार्थों के लिए सन् ५४-५५ में निम्नलिखित प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं:-

(१) श्री मंगलराम कन्ट्राक्टर, तहसील निम्बाहेड़ा में कासोद के पास क्वार्टर्न का पी०एल० मिलने हेतु।

(२) मैसर्स मयूरभंज मिनरल सिन्डीकेट लि० कलकत्ता, तहसील गगरार में गगरार गांव के पास आइरन ओर का पी०एल० मिलने हेतु।

(३) श्री सीताराम शर्मा उदयपुर तहसील प्रतापगढ़ में देवरिया के पास एस्बेस्टोस का पी०एल० मिलने हेतु।

(स) सन् १९५४-५५ में किसी को मन्जूरी नहीं हुई।

प्रश्न संख्या २६२

श्री अध्यक्ष—श्री खेतसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २६३

श्री अध्यक्ष—रावराजा श्री सरदारसिंह।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित—कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २६४

महाराजा श्री किशनगढ़ मिल्स को ऋण देने सम्बन्धी राजस्थान सरकार की सिफारिश

(श्री एच० व्यास की अनुपस्थिति में श्री वेदपाल त्यागी द्वारा यह प्रश्न पूछा गया)

Will the Minister for Industries be pleased to state :

(a) Has the Rajasthan Government recommeuded the case of Maharaja Shri Kishangarh Mills, for a loan to the Industrial Finance Corporation India ? If so, on what date ?

(b) Will the Government state the total amount that the Government has to recover from this party in respect of S.A.C. and other dues ?

(c) What was the enquiry undertaken before recommending this case ?

(d) Was the question of recovery of these state dues raised at the time such application was under examination ? If not, why not ?

श्री भोगीलाल पंड्या—(क) जी हां। १८-१-५५ को।

(ख) एस. ए. सी के तौर पर मिल से ली जाने वली रकम २,६१,२८६ रुपया ५ आने हैं।

(ग) डाइरेक्टर ऑफ इन्डस्ट्रीज और कॉमर्स, राजस्थान, जयपुर ने एन्क्वायरी की जिसने श्री दत्त, टेक्सटाइल एक्सपर्ट द्वारा दी गई रिपोर्ट को भी ध्यान में रक्खा, अपनी रिपोर्ट देते समय।

(घ) नहीं, इसके लिए अलग कार्यवाही की जा रही है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को यह मालूम है कि यह रुपया किस काम में खर्च करने के वास्ते किशनगढ़ मिल्स के वास्ते सरकार ने रिकमन्डेशन की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नये स्पिन्डल्स आदि लगाने के लिए। नया माल खरीद कर और काम बढ़ाने के लिए।

श्री श्रीदास गोयल—किशनगढ़ मिल्स के पुराने स्पिन्डल्स का क्या हुआ और इसके सिलसिले में इन्श्योरेन्स कम्पनी से क्या कार्यवाही हुई ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इसके बारे में ऐसा सुना गया है कि जो आग लग गई थी उसमें ये स्पिन्डल्स जल गये थे।

Page No.20

श्री श्रीदास गोयल— क्या वे इन्श्योर्ड थे ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री श्रीदास गोयल—इन्श्योरेन्स कम्पनी से फिर उसके बारे में कुछ रुपया प्राप्त हुआ ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां, रुपया प्राप्त हुआ है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या संख्या है उस रकम की ?

श्री भोगीलाल पंड्या—मुझे पूरा मालूम नहीं, पर लगभग तीन लाख रुपये के हैं ?

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि जो रुपया प्राप्त हुआ वह नये स्पिन्डल्स के खरीदने में खर्च नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वह बहुत थोड़ी रकम है और विशेषज्ञ दत्त ने बताया कि इसमें ज्यादा रुपया लगाना पड़ेगा। इसलिए वे चाहते हैं कि इसके सिवाय और रुपया मिल जावे तो नये पुर्जे लगा सकते हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—कितने स्पिन्डल्स और लगाने की सिफारिश की गई है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—१० हजार मेरे ख्याल से।

श्री श्रीदास गोयल—जो जले उनकी क्या संख्या थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जो जले उनकी क्या संख्या थी, यह मैं जानकारी प्राप्त करके बता सकूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्थान सरकार ने इस रिकमन्डेशन के सिलसिले में अपने जिम्मे भी कोई लाइबिलिटी ली है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी नहीं।

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि गत चुनावों में कुछ वादे उनके साथ किये गये थे, उन वादों को निभाने के लिए या रिकमन्डेशन करके सरकार ने अपना फर्ज अदा किया।

श्री भोगीलाल पंड्या—सरकार ने तो ऐसा कोई वादा किया नहीं। हां, यदि माननीय सदस्य ने कोई वादा किया हो तो यह मुझे मालूम नहीं।

श्री जवानसिंह—मैं तो कर्जा दे नहीं सकता। हां, हो तो ले अवश्य लूं।

प्रश्न संख्या २६५

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न संख्या २६६

सरकार की ओर से मुनाफे पर विभिन्न जिलों में भूमि जुपाना

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) सरकार की ओर से कहां कहां मुनाफे से जमीन जुपाई जाती है; जिलेवार बताने की कृपा करें ?

(ख) क्या यह सही है कि तहसील नेनवा, जिला बूंदी में जमीन ५० रु० बीघा के मुनाफे से जुपाई जाती है ?

(ग) क्या इस साल भी उसी प्रकार जुपाई गई है।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व-मन्त्री)—(क) जिला बूंदी में जुवारा (मुनाफा) जमीन जुताई जाती है।

(ख) तहसील नैनवा, जिला बूंदी में जुवारा नीलाम में जो अधिक बोली लगाता है उसको वह जमीन काश्त पर दी जाती है। ५० रुपये की दर मुकर्रर नहीं है। आयन्दा तालाब की जमीन को नीलाम न किये जाने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) जी नहीं।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या कारण है कि इस तरह जमीन नीलाम की जाती है, जब कि राजस्थान के मन्त्री महोदय ने इस बार यह ऐलान करवाया है कि इस तरह जमीन नीलाम नहीं कराई जावेगी।

श्री दामोदरलाल व्यास—पुरानी बूंदी रियासत में अमल था, पर अब उसे भी बन्द कर दिया गया है।

महाराज श्री केसरीसिंह—इस समय जो हो गया है, क्या वह जारी रहेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है कि तालाब के पेटे की जमीन को नीलाम नहीं किया जाय।

Page No.22

महाराज श्री केसरीसिंह—अब तक जारी रहने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—पुरानी बूंदी रियासत का अमल था।

महाराजा श्री केसरीसिंह—राजस्थान को बने इतने वर्ष हो गये लेकिन अभी तक इसके चलते रहने की क्या वजह है ?

श्री दामोदरलाल व्यास--अभी तक जितनी भी अलग-अलग रियासतें थीं,उनके अपने अपने टीनेन्सी कानून चालू थे। अब राजस्थान का टीनेन्सी एक्ट सब जगह लागू हो जायगा, इसलिए अब कोई ऐसी बात नहीं होगी।

श्री वेदपाल त्यागी--क्या सरकार इतनी बड़ी रकम वसूल करना उचित समझती है; क्या उसमें कुछ रिवेट देना उचित नहीं समझती ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसीलिए तो इसे बन्द करने का सरकार ने आदेश ही दिया है। अगर इसमें कोई स्पेसिफिक केस सामने लाया जावेगा तो अवश्य उस पर विचार किया जावेगा।

महाराजा श्री केसरीसिंह--तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि नैनवा के तालाब का पचास रुपया बीघा नहीं लिया जाता ?

श्री दामोदरलाल व्यास--इस प्रकार की दर मुकर्रर नहीं है। बोली की जाती है और इसमें कभी-कभी पचास रुपया भी आ जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह--दूसरी जगह भी इसी भाव पर या इसके आसपास के भाव पर दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह—यह क्वेश्चन साफ है। इसमें पूछा गया है कि किस-किस जगह दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास-सिर्फ बूंदी के लिए मैंने बताया, और जगहों की जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—सवाल तो साफ है, कहां-कहां पर दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

महाराजा श्री केसरीसिंह--क्या यह जमीन भूमिहीन किसानों को दी जाती है ?

Page No.23

श्री दामोदरलाल व्यास—नीलाम में तो जिसकी बोली मन्जूर होती है उसी को दी जाती है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या गंगानगर इलाके में भी मुनाफे पर जमीन दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए अलग से सवाल पूछियेगा।

श्री वेदपाल त्यागी—प्रश्न के भाग (क) में लिखा है कि कहां-कहां मुनाफे से जमीन दुपाई जाती है, जिलेवार बताने की कृपा करें ? इसमें आपने अभी तक तो सिर्फ बूंदी जिले का ही बताया है। जिलेवार कहां-कहां और दी जाती है, इसका जवाब नहीं दिया।

श्रीदामोदरलाल व्यास—मुनाफे पर जो दी जाती है वह सिर्फ बूंदी की सूचना मेरे पास है और किसी जगह की नहीं है। आप कहेंगे तो जानकारी हासिल करूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—बन्ध गोपालपुरा में प्रतिवर्ष जमीन मुनाफे पर दी जाती है। क्या इस वर्ष भी दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इस वर्ष नहीं दी गई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—गंगानगर में जो मुनाफे पर दी जाती है इसको क्या सरकार बन्द करने को तैयार है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—नहीं, वहां पर मुनाफे पर दी ही नहीं जाती। ऐसी सूचना हमारे पास आई है।

श्री वेदपाल त्यागी—आई है या आपने मंगाई ही नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मंगाई सब जगह से है, पर उसमें सिर्फ एक बूंदी में इस तरह दी जाती है, इसका जिक्र था।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—तो क्या गंगानगर से ऐसी रिपोर्ट आपके पास नहीं आई कि वहां भी दी जाती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं, वहां पर मुनाफे पर दी ही नहीं जाती।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—जो जमीन भूमिहीन किसानों को मुनाफे पर दी जाती है गंगानगर जिले में, उसको आप आयन्दा से बन्द कर देंगे ऐसा विश्वास दिलाने को सरकार क्या तैयार है ?

श्री मोतीराम चौधरी—गंगानगर में कोई भूमि इस तरह नहीं दी जाती है। यह मैं कह सकता हूं।

(हंसी)

श्री श्रीदास गोयल—फिर हजारों बीघा जमीन जो दी गई गोपालपुरा की, वह किस तरह से दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—आपने फरमाया था कि मुनाफे पर नहीं दी गई तो जब आपने जानकारी नहीं मंगाई तो यह जानकारी आपको कैसे हुई कि यह जमीन जो दी गई वह मुनाफे पर नहीं दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—क्योंकि ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात की जांच करने को तैयार हैं कि गंगानगर जिले में भूमि इस प्रकार से नीलाम नहीं की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर आप इस तरह की कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स देंगे तो जांच की जावेगी।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—एक नहीं, सैंकड़ों बातें इस तरह की मैं आपकी जानकारी में ला सकता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास—तो जरूर जांच कराई जावेगी।

महाराज श्री केसरीसिंह—ज्यादा से ज्यादा कितनी रकम नीलाम में सरकार को वसूल हुई ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन सब की तो जानकारी नहीं है, गये साल एक केस नीलामी का हुआ था जिसमें ५० रुपये में एक भूमि नीलाम की गई थी; ऐसी थोड़ी जानकारी है।

महाराज श्री केसरीसिंह—यह तो एक केस का आप बता रहे हैं और वह भी गुजिश्ता साल का। इस साल की क्या रकम है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग से सवाल आप करेंगे तो जानकारी दे सकूंगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या कलेक्टर सवाई माधोपुर से इस जिले के सम्बन्ध में कुछ जानकारी मालूम की थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जरूर की गई होगी।

श्री वेदपाल त्यागी—की गई होगी नहीं, की गई है या नहीं, यह बताइये ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या २६७

चित्तौड़ जिले में विभिन्न तहसीलों में गन्ने की खेती

श्री जगतसिंह झाला—क्या उद्योग एवं व्यवसाय मन्त्री जी निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(अ) चित्तौड़ जिले में गन्ने की खेती किस-किस तहसील में कितनी-कितनी होती है ?

(ब) भूपाल सागर शुगर फैक्ट्री काश्तकारों से गन्ना किस रेट पर खरीदती है ?

(स) क्या यह सही है कि गन्ने की पैदावार को देखते हुए यह फैक्ट्री पर्याप्त नहीं है ?

(द) क्या सरकार चित्तौड़ जिले की किसी तहसील में एक और फैक्ट्री कायम करने का विचार करती है ?

(ह) यदि हां, तो कहां पर ?

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय-मन्त्री)—चित्तौड़ जिले में......

श्री अध्यक्ष—इन्टर्नल जानकारी चाहते हैं या सारे गवर्नमेन्ट के डिपार्टमेन्ट की जानकारी चाहते हैं ? हालत मंगाई गई थी या नहीं, यह जानकारी चाहते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (अपना उत्तर जारी रखते हुए)—चित्तौड़ जिले में कुल ५,३५६ एकड़ गन्ने की खेती होती है। वह इस प्रकार है :—

कपासन	६१२	बड़ी सादड़ी	२६४
चित्तौड़	८५५	डूंगला	३४०
भदेसर	५५६	अचनेरा	२५१
निम्बाहेडा	४१०	भैंसरोडगढ़	१०३
गगरार	५५१	बेंगू	३८२
राशमी	२३६	कनेरा	५४
प्रतापगढ़	२७८		
छोटी सादड़ी	१६२		

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(त्र) बाहर के स्टेशनों पर १ रु० ५ आना और फैक्ट्री के गेट पर १ रु० ७ आना प्रति मन के भाव से फैक्ट्री गन्ना खरीदती हैं।

(स) हां। उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़े जिलों से गन्ना इस फैक्ट्री में आता है। गन्ने की पैदावार को देखते हुए इस एरिया में एक फैक्ट्री अपर्याप्त है।

(द) वर्तमान में इस विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर किसी पार्टी ने एक कारखाने के लिए दर्ख्वास्त दी है तो विचार किया जायगा।

(ह) हां। उसके उत्तर की आवश्यकता नहीं।

श्री जगतसिंह झाला—क्या यह रेट्स कम हैं, यह सरकार को मालूम है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। भारत सरकार द्वारा जो रेट्स निश्चित किये जाते हैं वे रेट्स हैं, इसलिए कम-ज्यादा का प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न संख्या २६८

जिला बूंदी में बिना ड्यूटी के काश्तकारों को तम्बाकू की खेती की आज्ञा

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या राजस्व-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) एक काश्तकार को कितनी तम्बाकू की खेती बिला ड्यूटी करने की आज्ञा है ?

(ख) क्या इस प्रकार की छूट जिला बून्दी में दी जाती है ?

(ग) क्या सरकार के पास यह भी सूचना है कि यह छूट किस-किस गांव में दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—तम्बाकू की खेती करने के लिए छूट देना भारत सरकार के एक्साइज़ विभाग से ताल्लुक रखता है, इसलिए इस प्रश्न का सम्बन्ध राजस्व विभाग से नहीं है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या राजस्व विभाग के पटवारी लोग इस प्रकार की जांच करते हैं और अपने सरकारी रेकॉर्ड रखते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सिर्फ वसूली पटवारी द्वारा की जाती है, वरना सेन्ट्रल एक्साइज़ विभाग के इन्सपेक्टर वगैरह जांच करते हैं और वे ही रेकॉर्ड रखते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या गश्त गिरदावरी जो कि राजस्थान सरकार के रेवेन्यु डिपार्टमेन्ट में होती है उसमें इस सम्बन्ध में मुकम्मिल रेकॉर्ड होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी, होता है। जिस जमीन में जो चीज काश्त करेंगे उसको लिखा जायगा।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि सरकारी पटवारी राजस्थान के करते हैं और तहसील में उसका रेकॉर्ड होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां। वे करते हैं और तहसीलों में रेकार्ड होता है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या आपके यहां की तहसील के रेकॉर्ड की सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हो सकती ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सवाल छूट देने का पूछा गया है, जिसका ताल्लुक इस डिपार्टमेंट से नहीं है। इसका ताल्लुक सेन्ट्रल एक्साइज़ से है।

महाराज श्री केसरीसिंह—जमीनों का लगान कौन लेता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—लगान सरकार लेती है।

श्री महाराज केसरीसिंह—कितनी जमीन में तम्बाकू काश्त कर सकते हैं बिना टैक्स के।

श्री दामोदरलाल व्यास—यह एक्ज़ेम्प्शन का सवाल जहां तक है वह एक्ज़ेम्प्शन करने की ड्युटी कि कितना एक्जेम्प्शन होगा, वह उनकी ड्युटी है। इसका ताल्लुक इस डिपार्टमेंठ से नहीं है, इसका ताल्लुक सेन्ट्रल एक्साइज़ डिपार्टमेंट से है।

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या सरकार काश्तकारों के फायदे का ध्यान नहीं रखती कि उनको इस बारे में याद दिलाई जाय।

श्री अध्यक्ष—आपके श्री राजस्व मंत्री के कहने का मतलब यह है कि this is not within the scope of this Assembly; this is a central subject and any such reply can be given in the Parliament only.

महाराज श्री केसरीसिंह—क्या पटवारी टेक्सेबल एरिया की रिपोर्ट करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह तो कहा है कि करते हैं।

श्री श्रीदास गोयल—जहां तक प्रश्न २६८ के (ग) पार्ट का संबंध है उसकी सूचना राजस्थान सरकार बड़ी अच्छी तरह दे सकती है। रेकॉर्ड मौजूद हैं पटवारियों के पास। (ग) प्रश्न स्पष्ट है।

श्री अध्यक्ष—कई बातों का जवाब दे सकते हैं जो कि उनको जुरिस्डिक्शन में नहीं है और सरकार की जानकारी में है। If they do'nt want to givie I can-not force them.

श्री श्रीदास गोयल—The money is realized through the Revenue Department.

श्री अध्यक्ष—The question is quite clear.

श्री दामोदरलाल व्यास—एग्ज़ेम्प्शन का जहां तक सवाल है हमारे पास रेकार्ड नहीं है। जितनी काश्त करते हैं वह रेकार्ड हमारे पास है।

प्रश्न संख्या २६६

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल।

(प्रश्नकर्त्ता अनुपस्थित)

श्री जयसिंह राणावत।

प्रश्न संख्या २७०

राजस्थान माइका बिल को सदन में प्रस्तुत करने का सरकार का विचार

श्री जयसिंह राणावत—क्या उद्योग व व्यवसाय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान माइका बिल इस हाउस के सामने सरकार कब तक प्रस्तुत करने का विचार कर रही है ?

(२) क्या सरकार को विदित है कि भीलवाड़ा में माइका का "डीलर्स लाइसेन्स" व्यापारियों को नहीं मिलने से यह व्यवसाय प्रायः ठप्प सा हो रहा है ?

श्री भोगीलाल पण्ड्या--(१) माइका बिल अब तैयार है और विधि विभाग उसको अन्तिम रूप दे रहा है। कोशिश तो यही की जा रही है कि विधान सभा के चालू अधिवेशन में ही इसको प्रस्तुत कर दिया जाय। यदि किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका तो आगामी अधिवेशन में प्रस्तुत कर दिया जायगा

(२) अभ्रक का व्यापार ठप्प नहीं हो रहा है। माइका का भाव काफी गिर जाने से कुछ दिक्कतें पेश आई हैं उसमें अब कुछ उन्नति हुई है, लेकिन अभ्रक के व्यापारियों को कुछ असुविधाएं अवश्य थीं जिनमें से कुछ पर सरकार विचार कर रही है। ज़्यादातर कठिनाइयां माइका एक्ट के लागू होने से दूर हो जायंगी।

श्री जयसिंह राणावत—क्या भीलवाड़े में २५ फेक्ट्रियां इस काम को चालू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस एक्ट के प्रस्तुत नहीं होने से वे सब फेक्ट्रियां खत्म हो गई हैं ?

श्री पंड्या—नहीं।

प्रश्न संख्या २७१

ग्राम आलनपुर (तहसील सवाई माधोपुर) में चक के अतिरिक्त कुछ भूमि

श्री श्रीदास गोयल--क्या माल मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) आलनपुर ग्राम, तहसील सवाई माधोपुर में कितने बीघा भूमि सिवाय चक है ?

(ख) क्या तहसील सवाई माधोपुर द्वारा उक्त ग्राम के निवासियों से चराई मवेशियों के सिलसिले में रुपया वसूल किया जा रहा है जब कि वे जंगलात को चराई दे चुके हैं ?

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसकी वसूली को बन्द करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास--(क) ग्राम आलनपुर, तहसील सवाई माधोपुर, में सिवाय चक भूमि २२२५ बीघा १६ बिस्वा है।

(ख) जी हां। जो पशु सिवाय चक भूमि के अतिरिक्त जंगलात के क्षेत्र में चरते हैं उसकी चराई जंगलात विभाग द्वारा वसूल करते हैं, और तहसील उसी की चराई वसूल करती है जो पशु सिवाय चक भूमि में चरते हैं, इसलिए दुबारा चराई वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्रीदास गोयल—इस २२२५ बीघा सिवाय चक भूमि पर जंगलात विभाग भी अपना क्लेम करता है, इसलिए वह भी उस पर चराई वसूल करते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास--जी नहीं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार इस संबंध में कि सिवाय चक भूमि पर चराई जंगलात विभाग द्वारा भी वसूल होती है, उनके रेकॉर्ड से सही बात का दिग्दर्शन कराया जाय तो जांच करायेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप यदि दिग्दर्शन करायेंगे तो अवश्य जांच कराई जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—इसमें मिसाल की जरुरत क्या है। सिवाय चक भूमि को जंगलात वाले क्लेम करते हैं और वहां की चराई वसूल करते हैं, उनके रेकॉर्ड में होगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर ऐसा है कि दुबारा चराई वसूल की गई है तो उसको दूर कर दिया जायगा।

श्री श्रीदास गोयल--क्या सरकार, वह जांच हो तब तक चराई नहीं ली जाय, इसका एक्ज़ ऑर्डर जारी करेगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आप कोई प्राइमाफेशी केस देंगे तो जांच कराने का ऑर्डर दिया जायगा।

Page No.30

श्री श्रीदास गोयल—मेरा मतलब यह है कि जांच करायें उस दरम्यान में स्टे ऑर्डर दे दें।

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने शब्द प्राइमाफेसी का उपयोग किया था। प्राइमाफेसी केस से मालूम होगा कि चराई दुबारा ली गई है तो अवश्य बन्द कर दी जायगी।

श्री श्रीदास गोयल—सरकार दुबारा चराई वसूल करने के बारे में कब तक कलेक्टर, सवाई माधोपुर को आदेश दे देगी ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जल्दी से जल्दी ?

प्रश्न संख्या २७२

श्री अध्यक्ष—श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

श्री कंवरलाल जेलिया—यह प्रश्न सार्वजनिक हित का है, इसलिए आज्ञा हो तो यह प्रश्न मैं पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष—सार्वजनिक हित से का विचार करना मंत्री महोदय काम है There is no Pressure.

श्री भोगीलाल पंड्या—ठीक है, मैं समझता हूं कि यह सार्वजनिक हित का है ?

(श्रीधर्मपाल की अनुपस्थिति में भी कंवरलाल जेलिया द्वारा यह प्रश्न पूछा गया).

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या हरिजन कल्याण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(अ) हरिजन कल्याण विभाग में सिविल सप्लाई विभाग से आये हुए कर्मचारी कहां कहां प्रचारक आदि कार्य पर रखे गये हैं ?

(आ) क्या यह बात सही है कि कई कट्टरपन्थी विचारों के आदमियों को हरिजन-उद्धार महकमे में प्रचारक रखा गया है ?

(इ) क्या यह भी सच है कि कुछ विचार वालों को सस्पेन्ड भी कर दिया गया है ? यदि हां तो वे कितने कर्मचारी हैं और उनके क्या क्या नाम हैं, वे कहा कहां के रहने वाले हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्गः उत्थान मन्त्री)—(अ) १७ व्यक्ति सप्लाई विभाग के आये हुए प्रचार आदि कार्य के लिये रखे गये हैं, जो इस प्रकार हैं :—

१. श्री राघवसिंह	सहायक पब्लिसिटी ऑफिसर	उदयपुर।
२. श्री प्यारेलाल पुरोहित	प्रोपेगेन्डा असिस्टेन्ट	जयपुर।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

३.	श्री वनवारीलाल वशिष्ठ	प्रोपेगेन्डा असिस्टेन्ट	जोधपुर।
४.	भवानीसिंह	वेलफेयर इन्सपेक्टर	जयपुर।
५.	प्रभूलाल गुप्ता	,,	डूंगरपुर।
६.	प्यारेलाल मेहता	वेलफेयर वर्कर	हुरडा।
७.	प्रकाशनारायण निगम	,,	सीकर।
८.	श्री कानसिंह	,,	टोंक।
९.	विजयराज माथुर	,,	नागोर।
१०.	कृष्णकुमार पारीक	,,	कोटा।
११.	प्रेम शंकर भार्गव	वेलफेयर वर्कर	सवाई माधोपुर।
१२.	चंचल चन्द्र	,,	जोधपुर।
१३.	शंभुदत्त	,,	पाली।
१४.	जेठमल	,,	चूरू।
१५.	हनुमान दत्त	,,	गंगानगर।
१६.	कोमलचन्द	,,	झालावाडा।
१७.	रामदत्त	,,	सस्पेन्ड हैं।

(२) नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री कंवरलाल जेलिया—इस विभाग में इनकी नियुक्तियों की क्यों आवश्यकता महसूस हुई?

श्री भोगीलाल पंड्या— प्रचार करने के लिये इन आदमियों की आवश्यकता थी, ताकि हर एक जिले में वे प्रचार कर सकें।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार यह महसूस करती है कि इन कर्मचारियों के द्वारा हरिजनों पर्याप्त काम हो सकेगा प्रचार का?

श्री भोगीलाल पंड्या—हां, जो प्रचार करने के योग्य समझे गये उनको छांट-छांट कर लिया गया है।

श्री कंवरलाल जेलिया-क्या यह सही है कि कोटा डिविजन में जितने व्यक्ति भेजे गये हैं वे देहातों में न जाकर कोटा शहर की होटलों में मटरगश्त किया करते हैं?

श्री भोगीलालपंड्या—नहीं, यह बिल्कुल गलत है। कोटा में प्रचारक ऐसा रखा गया था कि उसका किसी कारणवश तबादला किया गया तो सब जगह से उसके लिए यह मांग आई थी कि वह बहुत अच्छाआदमी था, उसको वहीं रखना चाहिए था। आखिरकार उनका वहीं तबादला किया गया। उनकी इस मांग में आपका भी नाम था।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि इस विभाग में जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है वे हरिजनों से हाथ मिलाने में अपना अपमान समझते हैं ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं। वे हरिजनों की सेवा करना अपना कर्त्तव्य समझते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या उनको नियुक्त कराने में होटल वालों की सिफारिश थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या—नहीं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या वे उनको स्पर्श करके सेवा करते हैं या दूर से ही ?

श्री भोगीलाल पंड्या—गले से गला मिलाकर।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह विभाग प्रदर्शन या प्रचार के लिये है या वास्तविक सेवा के लिये ?

श्री भोगीलाल पंड्या—वास्तविक सेवा के लिये।

प्रश्न संख्या २७३

जिला टोंक की सब तहसीलों का बन्दोबस्त

श्री महादेवप्रसाद बंका—क्या माल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(क) क्या जिला टोंक की सब तहसीलों में सेटलमेंट हो गया है ?

(ख) यदि बाकी है, तो कहां कहां ?

श्री दामोदरलाल व्यास (माल मन्त्री)—जी हां। सेटलमेंट होने के बाद तहसील मालपुरा का सेटलमेंट हाई कोर्ट द्वारा अवैध करार दे दिया गया इसलिये वहां फिर से कार्यवाही जारी है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री वेदपाल त्यागी—अब वहां पर वसूली किस आधार पर होती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटलमेंट की नयी रेट्स निर्धारित की गई हैं, उसी के आधार पर ही वसूली की जायगी।

श्री वेदपाल त्यागी—नयी रेट्स निर्धारित किस तरह की गई हैं; गवर्नमेंट द्वारा या सेटलमेंट विभाग द्वारा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटलमेंट डिपार्टमेंट द्वारा गजट में छापा हुई है।

श्री वेदपाल त्यागी—इट मीन्स नया सेटलमेंट हो चुका है।

Page No.33

श्री दामोदरलाल व्यास—सेटलमेंट की कार्यवाही जारी है और उसकी वसूली का अभी सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि टाइम नहीं आया है।

प्रश्न संख्या २७४.

वर्तमान वर्ष में तहसील बनेड़ा के लिए अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित ट्राइब्स के लिए छात्रवृत्तियां

श्री कस्तूरचन्द—क्या मंत्री दलित वर्ग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :—

जिला भीलवाड़ा, तहसील बनेड़ा के लिये ५४-५५ में शिड्यूल्ड क्लास व शिड्यूल्ड ट्राइब्स को कितनी छात्रवृत्तियां दी गई हैं व किन-किन को दी गई हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में ६ छात्रों को २४० रुपयों की छात्रवृत्तियां दी गई जो इस प्रकार हैं :—

१.	श्री सोहनलाल मोची	कक्षा ६	४० रु.
२.	श्री आनन्दीलाल मोची	कक्षा ६	४० रु.
३.	श्री हरीलाल भील	कक्षा ६	४० रु.
४.	श्री धीसालाल धोबी	कक्षा ६	४० रु.
५.	श्री रंगलाल नाई	कक्षा ८	४० रु.
६.	श्री हीरालाल लखेरा	कक्षा ८	४० रु.
		कुल	२४० रु.

श्री कस्तूरचन्द—क्या यह रकम उनको मिली है?

श्री भोगीलाल पंड्या—जी हां।

श्री किस्तूरचन्द—किस तारीख को दी गई? क्या आप मालूम करके पता लगायेंगे?

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको मालूम है, आप ऑफिस में देख भी आये हैं।

श्री कस्तूरचन्द—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह रकम उनको नहीं मिली है।

श्री भोगीलाल पंड्या—जब आप बनेड़ा जायेंगे तो यह रकम लोगों के हाथों में पायेंगे।

श्री कस्तूरचन्द—मैं बनेड़ा से ही आया हूं।

श्री कंवरलाल जेलिया—ये छात्र-वृत्तियां कौन से महीने में मिलती हैं?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई निश्चित तारीख नहीं है, जब पास हो जाती हैं तब मिलती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—मैं निश्चित तारीख मालूम करना चाहता हूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई निश्चित तारीख नहीं है, कभी दिसम्बर से मार्च तक की अप्रेल में मिल जाती हैं और अप्रेल, मई, जून जुलाई तक की अगस्त में मिल जाती है

श्री कस्तरचन्द—यह साल खत्म होने आया है, लेकिन उनको छात्रवृत्ति अब तक नहीं मिली है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—पिछले साल की अप्रेल, मई, जून और जुलाई तक की मिल चुकी है। बाकी अब मिलेगी।

श्री कस्तूरचन्द— उनको एक पैसा भी नहीं मिला है।

श्री भोगीलाल पंड्या—यहां से रुपये चले गये है और उनको मिल गये हैं, आप मालूम करियेगा।

प्रश्न संख्या २७५

श्री हिम्मतसिंह (६१)—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या जिला कोटा, तहसील लाडपुरा, मौजा रायपुरा व मीरपुरा में शरणार्थियों को काश्त करने के लिये भूमि दी गई थी ?

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर व कितनी कितनी दी गई ?

(ग) इस समय उस दी गई भूमि में से कितनी जमीन वे खुद काश्त कर रहे है ?

(घ) क्या इन्होंने अपने फार्मों पर कच्चे-पक्के मकानात बनाये हैं ? उनकी क्या हालत है ?

(ङ) सरकार ने इनको कितना कर्ज दिया है ? वह कर्ज किस तरह अदा हो रहा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास (माल मंत्री)—(क) जी नहीं।

(ख) (ग) (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवानसिंह—प्रश्न (ङ) का सवाल तो उठना चाहिये। पता नहीं, सरकार कैसे कह रही है कि नहीं उठता।

श्री दामोदरलाल व्यास—क्या फरमाया आपने ? मैंने सुना नहीं।

श्री अध्यक्ष—इनका प्रश्न यह है कि सरकार ने कितना कर्जा दिया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जबकि (क) का जवाब 'नहीं' में है तो दूसरे प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री वेदपाल त्यागी—क्या सरकार पूरी तरह से जांच करेगी कि यह जमीन दी गई है ? मैं जब शरणार्थी मंत्री था तब दी गई थी।

Page No.35

श्री दामोदरलाल व्यास—तहसील मालपुरा के मौजा रायपुरा व मीरपुरा में कोई जमीन नहीं दी गई है। आपने जहां के लिये सवाल पूछा उसका उत्तर मैंने दिया है।

श्री जवानसिंह—प्रश्न (क) और (ड) दोनों अलग अलग हैं ? एक जमीन के लिए है और दूसरा कर्जे के लिये; क्या कर्जा भी नहीं दिया गया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जिस जमीन के मुतल्लिक सवाल पूछा गया वह जमीन भी नहीं दी गई है तो कर्जे का प्रश्न ही कहां उठता है।

श्री अमृतलाल यादव—यदि कर्जा दिया भी गया है तो नियमानुसार वसूल होता होगा ?

श्री जवानसिंह—क्या यह सही है कि जिनको कर्जा दिया गया था उनका नामोनिशान अब राजस्थान में नहीं है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—मैंने सुना नहीं, आपने क्या फरमाया ?

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि जिनको कर्जे के ३५ हजार रुपये दिये गये थे वे अब राजस्थान में नहीं हैं ?

श्री वेदपाल त्यागी—यह बात गलत है ?

श्री कंवरलाल जेलिया—दो विभिन्न उत्तर मंत्रियों के पास से आये हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—विभिन्न उत्तर नहीं आये ?

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार ने जो जमीर दी है वह खेती के उपयुक्त हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जमीन देने का सवाल ही पैदा नही होता उन दो गांवों में।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या लाडपुरा तहसील में शरणार्थियों कोई जमीन मिली है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—यह अलग प्रश्न है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या मन्त्री जी की जानकारी में है कि उनको जमीन नहीं दी गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन दो गांवों में नहीं दी गई है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या आप इसकी जांच करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—Questions of 23rd March.

प्रश्न संख्या १८८

सन् ५४-५५ में होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर स्थानान्तर किये गये कम्पाउण्डर्स इत्यादि

श्री चान्दमल मेहता—क्या कृषि-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) ५४-५५ के वर्ष में कितने वेटरनरी हॉस्पिटल्स व डिस्पेन्सरीज के कम्पाउण्डर्स व अन्य निम्न श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये ?

(२) उक्त तबादलों के क्या कारण हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि-मन्त्री)—सन् ५४-५५ में जिन वेटरनरी हॉस्पिटल्स के कम्पाउण्डर्स के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये उनकी सूची संलग्न है। अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर नहीं किये गये।

(ख) उक्त तबादले प्रशासनिक सुविधा को मद्दे नजर रख कर किये गये।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री चान्दमल मेहता—क्या सरकार जिन-जिन श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर किये गये हैं, उनको यदि वे चाहें, वापिस होम डिस्ट्रिक्ट में भेजने का प्रबन्ध करेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—उनके आने का सवाल नहीं है, लेकिन सरकार यह कोशिश करती है कि जहां तक हो सके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाय। जिन आदमियों की ट्रान्सफर्स बाहर हो गये थे उनको वापिस होम डिस्ट्रिक्ट में लगाने को लिखा जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—Next, question of 24th. Question No 227.

प्रश्न संख्या २२७

सिरोही जिले में गत वर्ष सरकार द्वारा बेचा गया खाद एवं शासकीय आय

श्री जवानसिंह—क्या कृषि-मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

सिरोही जिले में गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना खाद सरकार द्वारा बेचा गया और कितनी रकम प्रतिवर्ष वसूल हुई ?

Page No.37

श्री रामनिवास मिर्धा—सिरोही जिले में गत ३ वर्षों में जो खाद सरकार द्वारा बेची गई और जो रकम वसूल हुई, वह इस प्रकार है :—

सन् ५१–५२	३० टन	कीमत १२,००० रु०	वसूली १,८८१ रु०
सन् ५२–५३	५५ टन	कीमत २४,९९९ रु०	वसूली ७,०७७ रु०
सन् ५३–५४	३५ टन	कीमत १३,३०० रु०	वसूली ९८० रु०

श्री जवानसिंह—क्या यह बात सही है कि जो रकम बाकी है वहां पर वाकई खाद बेची गई है या सरकार की तरफ से खाद वहां पर डिपोज़िट है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—क्या फरमाया आपने ?

श्री जवानसिंह—मैंने यह निवेदन किया था कि जिस खाद के पैसे वसूल नहीं हुए हैं उस खाद को सरकार ने बेचा है या सरकार की तरफ से वहां पड़ी हुई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—बिक्री के तौर पर दी गई है और उसी हिसाब से कीमत वसूल हो रही है।

श्री जवानसिंह—क्या आप इस बात की जांच करायेंगे कि गत ३ वर्षों में जो खाद दी गई है वह काफी मात्रा में लोगों के पास पड़ी हुई है और बेचान की बात गलत है।

श्री रामनिवास मिर्धा—आपने जो इत्तिला दी है उसका ध्यान रखते हुए जांच कराई जायगी।

सदन की मेज पर रखे गये राष्ट्रपति एवं श्रीमन् राजप्रमुख से स्वीकृति-प्राप्त विधेयक

श्री मनसाराम पुरोहित (सचिव, राजस्थान विधान-सभा)—

Sir, I lay on the Table a statement showing the Bills which were passed by the Assembly and have been assented to either by the President or by His Highness the Rajpramukh :—

Bill assented to by the President.

The Rajasthan Tenancy Bill, 1953.

(राज्य-पक्ष की ओर से भारी हर्ष-ध्वनि)

Bill assented to by His Highness the Rajpramukh.

The Rajasthan Appropriation (No. 1) Bill, 1955.

सन् १९५१-५२ के अतिरिक्त अनुदान के विवरण की प्रस्तुति

श्री अध्यक्ष—Yes, Shri Brij Sunder Sharma. Statement of Excess Grants for 1951-52.

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं ५१-५२ की अधिक अनुदानों की मांगें प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुक्तिलाल मोदी—साहब, रुपया तो बताओ।

श्री अध्यक्ष—आपके पास स्टेटमेन्ट भेजा है, वह आपको मिला होगा।

श्री मुक्तिलाल मोदी—साहब, वह तो अंग्रेजी में भेजते हैं, हिन्दी में तो भेजते नहीं।

श्री अध्यक्ष—अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी भेजते हैं, ये साथ लाये नहीं हैं; आप उसमें देख लीजियेगा।

अब बजट पर एज्युकेशन की मांग प्रस्तुत होगी, श्री मोहनलाल सुखाड़िया।

मांग संख्या १६-शिक्षा

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, "कि अनुदान के लिये मांग संख्या १६, मेजर हैड ३७—शिक्षा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४,००,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। कटौती के प्रस्ताव, श्री विश्वम्भरनाथ जोशी।

(अनुपस्थित)

श्री भोपालसिंह।

श्री भोपालसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं अपना यह कटौती का प्रस्ताव रखता हूं कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा के अनुदान की धनराशि के रुपये ४००००००) में एक रुपया मात्र की कटौती की जाय (शिक्षालयों में स्थानाभाव पर विचार करने के हेतु)

[श्री भोपालसिंह]

मैं माननीय शिक्षा-मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि हमारे कल्याणकारी राज्य में जो शिक्षक हैं उनको ४०, ४५ रुपया माहवार तनख्वाह दी जाती है और स्कूलों से निकलते ही उनको शिक्षक बना कर भेज दिया जाता है। उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे एक शिक्षक की जिम्मेदारी को निभावेंगे ? वे लड़कों का चरित्र-निर्माण नहीं कर सकते और आज जो चरित्र-हीनता दिखाई देती है वह इसी का नतीजा है। इसलिये मैं यह सुझाव रखना चाहता हूं कि शिक्षक के लिए कम से कम १००, १२५ रुपया माहवार तनख्वाह चालू की जाय और उनको शिक्षा देने की पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही शिक्षक बना कर भेजा जाय।

दूसरी बात मैं यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि एक स्कूल खोला जाता है, वहां उसका तो प्रबन्ध पूरा होता ही नहीं है और दूसरा स्कूल खोल दिया जाता है; एक स्कूल खोला, उसमें न लड़के हैं और न पूरा मास्टरों का प्रबन्ध है और न फर्नीचर आदि का ही इन्तेजाम है और दूसरा स्कूल खोल दिया जाता है। अतः जब तक कि एक नये खोले हुए स्कूल में मास्टरों, लड़कों और फर्नीचर आदि का पूरा प्रबन्ध नहीं हो जाय, तब तक दूसरा स्कूल नहीं खोलना चाहिये। मेड़ता हाई स्कूल जो है यहां वही कमरा ड्राइंग रूम है, वही कमरा कॉमन रूम है और उसी कमरे में सामान, मेप वगैरह रखे हुए हैं, लड़के एक ओर बैठते हैं। इस तरह की व्यवस्था हाई स्कूल की होना ठीक नहीं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि मेड़ता हाई स्कूल में पूरे कमरे बनाये जायं। साइन्स आज के युग में हर हाई स्कूल में होना जरूरी है, पर मेड़ता में साइन्स की क्लासेज़ नहीं हैं, अतः वहां पर साइन्स की क्लासेज़ खोली जावें।

दूसरी अर्ज यह करूंगा कि डेगाना नई तहसील बनाई गई है और उसकी दो लाख की आबादी है, फिर भी वहां हाई स्कूल नहीं है। वहां लड़कों की काफी संख्या है, अतएव वहां हाई स्कूल खोली जानी चाहिये।

एक मेरी अर्ज यह है कि शिक्षा की शैली को बदलना चाहिये, यह जरूरी है। हिन्दुस्तान की जो पुरानी शिक्षा-शैली है वही फिर से चालू की जावे। गणित और शास्त्र-शिक्षा के साथ-साथ शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी जानी चाहिये और यह हर एक आदमी के लिये अनिवार्य कर दिया जावे कि शस्त्र चलाने की विद्या से पूरी तरह वाकिफ रहे।

विज्ञान के सम्बन्ध में भी शिक्षा दी जानी चाहिये और पुराने समय में गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी उस आधार पर शिक्षा दी जावे ताकि हर एक व्यक्ति के चरित्र का निर्माण हो सके, देश को ऊंचा उठाया जा सके। आधुनिक शिक्षा से चरित्र का निर्माण नहीं होता, इसलिये गुरुकुलों के आधार पर संस्कृत शिक्षा दी जावे, शस्त्र चलाने की, शास्त्रों और विज्ञान की और गणित की शिक्षा दी जावे।

श्री किस्तूरचन्द—माननीय अध्यक्ष, श्री भोपालसिंह जी ने जो कटौती......

श्री अध्यक्ष—श्री तनसिंह।

श्री तनसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि शिक्षा में ज्योतिष-विज्ञान को उचित स्थान दिया जाय।

मैं नहीं समझ सकता कि जब अनेक विज्ञानों को अपना उचित स्थान हमारे व्यावहारिक जीवन में मिलता है तो ज्योतिष-विज्ञान को क्यों नहीं मिलता ? इसका एक ही कारण हो सकता है कि इसके प्रति आस्था की कमी है। यदि किसी विज्ञान के प्रति लोगों की आस्था कम है तो इसके कारणों पर विचार करें तो हमें यह मालूम होगा कि या तो उस विज्ञान में खामी है या हम उसके परखने में कमी रखते हैं। जहां तक इस विज्ञान का सवाल है, मैं निवेदन करूंगा कि आज इसको जानने वाले कुछ स्पेशल वर्ग के लोग ही रह गये हैं जो अपने पेट का गुजर इस धन्धे पर करते हैं। उन लोगों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिये अपने पास आने वाले ग्राहकों को खुश करने के लिये ऐसी बातें बताते हैं जो उनको रुचिकर मालूम हों और खास तौर से इसकी गम्भीरता में जाने की कोशिश नहीं करते। पर इसमें शक नहीं कि यह एक विज्ञान है, सिस्टेमेटिक नॉलेज है और इसके प्रमाण हमें विशेष तौर से जयपुर में मिल सकते हैं, यहां की वेधशाला इसके बारे में एक निश्चित प्रमाण है। अनेकों ग्रहों और नक्षत्रों का पृथ्वी पर और पृथ्वी पर रहने वाले समस्त प्राणियों पर असर पड़ता है; यह विज्ञान ज्योतिष में है।

मैं जहां तक समझ पाया हूं आज की शिक्षा-पद्धति में उपयोगी ज्ञान को ही लिया जाता है, जो हमारे भौतिक उपयोग में आ सके। पर इस भौतिक उपयोग के अन्दर ज्योतिष ज्ञान भी आ सकता है।

अतः इसको भी शिक्षा में स्थान मिलना चाहिये।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती का प्रस्ताव यह है कि राजस्थान की प्राइमरी स्कूलों में राजस्थानी भाषा का प्रचार होना चाहिये। एक अच्छे कवि ने जो दोहा कहा है, वह मैं आपको सुनाता हूं—

"निज भाषा साहित्य बिन कदेन दीपे देश।"

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, शिक्षा-मन्त्रीजी तो यहां हैं नहीं, फिर सुन कौन रहा है जो जवाब देगा।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं सुन रहा हूं।

श्री खेतसिंह—[निम्नलिखित विषयों पर वाद-विवाद प्रस्तुत करने हेतु कटौती प्रस्ताव—

1- "To discuss the necessity of Rajasthani language as medium of primary education."

2. "To discuss unsatisfactory arrangements of district schools."]

[श्री खेतसिंह]

माननीय अध्यक्ष, राजस्थानी भाषा बहुत प्राचीन भाषा है और प्राकृत भाषा का एक अंग है। डिंगल राजस्थानी का एक अंग रहा है और डिंगल से लिखी हुई राजस्थानी भाषा है, इसलिये राजस्थानी का स्थान बहुत पुराना है चूंकि हिन्दी भाषा-भाषी प्रान्त अपने पास आने से राजस्थानी को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। इसलिये कम से कम मैं यह चाहूंगा कि राजस्थानी भाषा के प्राइमरी स्कूलों में कुछ पाठ रखने चाहिये। राजस्थानी में कविताएं और गद्य ऐसे टाइप के हैं जो आपको हिन्दी में नहीं मिलेंगे, राजस्थानी में जो कविताएं हैं वे हिन्दी में नहीं मिलेंगी। राजस्थानी भाषा के कई मशहूर कवि भी हुए हैं जिनमें चन्दबरदाई जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो एक बहुत पुराना ग्रन्थ है। इसके अलावा और भी कई ग्रन्थ समय-समय पर लिखे गये हैं। अभी भी राजस्थानी के अच्छे अच्छे कवि हैं; जिनमें मुकुल, भाईजी नारायणसिंह जी; एक बद्रेश हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा में कई पुस्तकें लिखी हैं।

राजस्थानी भाषा में डिफिकल्टी यह बतलाई जाती है कि इसमें व्याकरण नहीं है। अब तो राजस्थानी में व्याकरण भी तैयार हो रही है और इसके साथ-साथ शब्द-कोष भी तैयार हो गया। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी राजस्थानी भाषा को प्राइमरी शिक्षा के लिये प्रोहत्साहन दें। ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाय तो......

श्री अध्यक्ष—But the cut-motion of the Hon'ble Member is "to discuss the unsatisfactory arrangements in District schools."

श्री खेतसिंह—दूसरा और है साहब।

श्री अध्यक्ष—Sorry.

श्री खेतसिंह—इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। प्राइमरी शिक्षा में राजस्थानी भाषा की अच्छी-अच्छी कविताएं और छोटे-छोटे पाठ रखना चाहिये। लोगों को पहले एतराज होता था कि राजस्थानी भाषा में व्याकरण नहीं है और अच्छे-अच्छे दोहे नहीं हैं। मैं, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा सदन से निवेदन करूंगा कि राजस्थानी भाषा में अच्छे-अच्छे दोहे लिखे हैं जिनके मुकाबले में हिन्दी भाषा में दोहे नहीं हैं। मिसाल के लिये मैं दो दोहे पेश करूंगा और बताऊंगा कि राजस्थानी जैसे दोहे हिन्दी भाषा में नहीं मिलेंगे। हिन्दी साहित्य में शृंगार का सर्वोत्तम ग्रन्थ 'पद्मावत' लिखा गया है। उसके माफिक राजस्थानी कवि ने दूसरे दोहे बनाये; उन दोनों को आप देखिये। जब आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि राजस्थानी कवि ने हिन्दी कवि के मुकाबले में कितनी अच्छी कविता की है। जायसी ने एक जगह पद्मावति के वर्णन में लिखा है :—

'कागा सब तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस ॥
दो नैना मत खाइयो पिया मिलन की आस ॥'

इसको कई गीतों में कई जगह गाया गया है। इसके साथ इसके मुकाबले का दोहा एक राजस्थानी कवि ने लिखा है :

[श्री खेतसिंह]

कहो लूओ कित जावसी पावसधर पडियां ।
हिये नवोडा नार रे वालम बीछटियां ॥

आपको कई शब्द हिन्दी साहित्य में नहीं मिलेंगे, मगर इसमें मिलेंगे । इसके अलावा एक शब्द के कई अर्थ निकलेंगे । इसका शब्द-कोष बहुत बड़ा है । हिन्दी में आपको ऊंट और ऊंटनी मिलेंगे, लेकिन राजस्थानी में आप देखेंगे कि ज्यों ज्यों ऊंट की आयु बढ़ती है उसके नाम अलग अलग होते हैं । सब से छोटा बच्चा होता है उसको टोडिया कहा जाता है । जब वह बड़ा होगा और ज्यों ज्यों बड़ा होता तो है उसको पांगलिया कहते हैं । उसके बाद में उसको दागा कहते हैं और उसके बाद चौदन्ता कहते हैं । फिर जब वह बुड्ढा हो जाता है तो उसको ठरडा कहते हैं । राजस्थान साहित्य में इतना भंडार है जितना हिन्दी साहित्य में भी नहीं है । अगर इसको प्रोत्साहन नहीं मिला तो अपनी मातृ-भाषा है, खास भाषा है; वह समाप्त हो जावेगी । इसके साथ ही में यह निवेदन करूंगा कि राजस्थानी के पुराने ग्रन्थ हैं और अच्छी अच्छी रचनाएं कई लोगों के घरों में पड़ी हैं वे मंगाई जावें । कई भाषा के अच्छे अच्छे कवि हैं जो कविताएं करते हैं, लेकिन उनको सरकार की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलने से वे आगे कविता नहीं करते और प्रगति नहीं कर सकते और हमारी भाषा उन्नति नहीं कर पाती । इस विषय को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना कटौती का प्रस्ताव आपके सामने रखा है ।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जितनी प्राइमरी स्कूलें रेगिस्तानी इलाके में खुली हैं, वहां पर न तो अध्यापक ही रहते हैं और न फर्नीचर ही पहुँचता है । मैंने गत बजट अधिवेशन में भी इस पर जोर दिया था कि अगर आप स्कूलें खोलें तो पहले वहां की पब्लिक के उत्साह को देखकर स्कूलें खोलें क्योंकि पहले तो लोगों का उत्साह बहुत रहता है मगर बाद में जब स्कूलें खुल जाती हैं और वहां पर मास्टर नहीं पहुँचता तो उनका उत्साह कम हो जाता है । इसके अलावा मास्टर जो भी आते हैं वे न तो बच्चों को तालीम देने की कोशिश करते हैं, न बच्चों को गांव में फिर कर लाने की कोशिश करते हैं और न ला सकते हैं । मास्टर छुट्टी लेकर स्कूल के ताला लगा कर अपने घर जाकर बैठ जाते हैं और दूर दूर तक रेगिस्तान होने से डिप्टी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स और इन्सपेक्टर आदि सरप्राइजिंग विजिट नहीं करते । मेरे गांव में भी स्कूल खोली गई गत वर्ष । उस स्कूल में जोधपुर के मेघराजजी ब्राह्मण मास्टर मुकर्रर हुए । वे वहां गये । उनको वहां हरी सब्जी नहीं मिलती थी, न उनको चक्की का गेहूं का आटा मिलता था क्योंकि वहां पर तो बाजरी भी बहुत मुश्किल से मिलती है । आटा पिसने के लिये गांव वालों ने प्रबन्ध कर दिया था और बलीते का भी प्रबन्ध कर दिया था, मगर उनके लिये वहां सिनेमा कहां, सोसायटी कहां, वे वहां से भाग गये । ६ महीने हो गये वापिस नहीं आए हैं । मैंने आपको एक स्कूल का इन्स्टान्स दिया है । जिस कॉन्स्टीट्युएन्सी से मैं आया हूं वहां पर ६ स्कूलों का यही हाल है । वहां नहाने और कपड़े धोने का प्रबन्ध अच्छा नहीं, कोट पेंट-धोने के लिये धोबी नहीं । वहां तो लोग एक सप्ताह में एक बार स्नान करते हैं । मास्टर वहां रह नहीं सकता और जब मास्टर वहां नहीं रह सकता तो स्कूल नहीं चल सकते । इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे इलाकों के अन्दर शुरूआत में वहां के रहने वालों को ही मास्टर रखा जावे । पहले भी वहां पर पोशालें थीं, वहां के ब्राह्मण पोशालें चलाते थे । क, ख, ग, घ आदि के लिये कोई मेट्रिक और इन्टर की जरूरत नहीं होती । इसके अलावा वे बड़े होते हैं

[श्री खेतसिंह]

तालीम भी अच्छी देते हैं। स्कूलों से लोग मेट्रिक पास करते हैं और वे ही मास्टर बना कर भेज दिये जाते हैं। वे खुद अनुभवी नहीं होते इसलिये बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि जैसलमेर में और जो यह डेजर्ट एरिया है उसमें जितने स्कूल्स खोले जाते हैं, उनमें मैं खास तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और ऐसे व्यक्तियों को अध्यापक रखें जो कि उन इलाकों में जाकर तामील दे सकें।

साथ ही साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि प्राथमिक पाठशालायें खोल देते हैं, लेकिन उन स्कूलों में न तो ब्लेक बोर्ड ही होते हैं और न फर्नीचर ही। वे मास्टर लोग बच्चों को किस पर लिख कर समझायें ? हर एक की स्लेट पर अलग अलग बच्चों को लिखकर देना तो एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। जब कहीं स्कूल खोलें तो बजट में ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि हर स्कूल को अमुक-अमुक फर्नीचर दिया जायगा। जब मास्टर भेजें तो फर्नीचर भी भेजें। आज मास्टर लोग अकेले चले जाते हैं, अपना बिस्तर लेकर और गवर्नमेन्ट की ओर से उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती।

इसके अलावा उनकी तनख्वाहों का भी झगड़ा रहता है। मेरा निवेदन है कि उनको वहीं तनख्वाहें मिलनी चाहिए। आज होता क्या है कि उनको तहसील हैड क्वार्टर्स पर तनख्वाहें मिलती हैं, जो कि लेने जाने के लिए उनको ३०-४० मील दूर जाना पडता है। कह कर जाते हैं कि तनख्वाहें लाने जाना है, तनख्वाह बिगर लायें क्या और एक सप्ताह की गोत हो जाती है। जब उनको तनख्वाह मिल जाती हैं तो होता क्या है कि वहां से, चूंकि नये नये मास्टर लोग होते हैं, सिनेमा के शौकीन होते ही हैं, से भागकर शहरों में चले जाते हैं। यह मैं एक इन्स्टान्स ही नहीं दे रहा हूं अमूमन सारी स्कूलों का इसी प्रकार का हाल है। मैंने इस विषय में डिप्टी डाइरेक्टर साहब से भी बात की तो वे कहते हैं कि हम क्या करें, गवर्नमेन्ट की ऐसी ही पॉलिसी है कि बगैर मैट्रिकुलेट को किसी को भी मास्टर नहीं रखा जाय। मेट्रिकुलेट तो हमारे यहां शिक्षा का अभाव होने से कोई मिलता नहीं है और शहरों में तो होते ही हैं, वे शहरों से आये मास्टर लोग वहां रह नहीं सकते। ऐसा रेगिस्तानी मुल्क उन्होंने कभी वहीं देखा नहीं, जहां गर्म लूएं चलती हैं। हम वहां रात-दिन रहने वाले लोग भी जब इधर की हया में रह कर वहां जाते हैं और हमें भी लू लग जाती है तो उनका तो वहां रहना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को खास तौर पर ध्यान में रख कर ऐसी पाठशालाओं में प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए वहीं के अध्यापकों को रखियें ताकि लोगों की उन्नति कर सकें और केवल नाम मात्र स्कूल खोल देना ही काफी नहीं है।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

श्री श्रीदास गोयल—[निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटोती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :-

1. To discuss the prevalent indiscipline amongst students.

2. To discuss the sad Condition of the Government High School, Sawai Madhopur.

[श्री श्रीदास गोयल]

3. To discuss the low salaries of teachers in Primary and Middle School.

4. To discuss the rules for promotions of teachers already in service.]

माननीय अध्यक्ष, शिक्षा-विभाग में इस समय जो विद्यार्थियों के बीच इन्डिसिप्लिन दिखाई दे रहा है वह एक सिर-दर्द होना चाहिए समाज और सरकार दोनों के वास्ते और देश की प्रगति के लिए भी वह स्वतः ही बाधक है और भविष्य जो हमारा बहुत उज्ज्वल होने जा रहा है उसमें भी वह रुकावट निश्चित रूप से डालेगा, मेरा ऐसा मानना है। मैं निवेदन करूं कि विद्यार्थियों में सब ही अनुशासन-हीन या शिष्टाचार को न मानने वाले हों, ऐसा मेरा कहना नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आज कॉलेजेज़ में और सेकन्डरी स्कूल्स में शिक्षा दी जाती है उनमें केवल विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान कराने के सिवाय चरित्र-निर्माण के सिलसिले में कि किस प्रकार से सभ्य व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार से उन्हें समाज में मूव होना चाहिए, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है और इसका जीता-जागता प्रमाण है कि जब कई घटनायें इस हाउस में विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कही जाती हैं तो हमको महसूस होता है कि हमारे जो भविष्य-निर्माता बालक हैं वे आज किस ओर जा रहे हैं और क्यों नहीं शिक्षा-विभाग इस ओर पूरा ध्यान देता। अभी अभी दो-चार दिन पहले जयपुर में जो क्रिकेट का मैच हुआ उसके विषय में जिक्र किया गया कि विद्यार्थियों की भीड़ का इकठा होना, उनका वहां पर इन्डिसिप्लिनरी कार्य और पुलिस का भी वहां पर कठोर कदम उठाना, एक जीता-जागता प्रमाण है। इस बात के लिये हमको जल्दी चेतना है और विद्यार्थियों को ऐसा बनाना है, ऐसे प्रोग्राम बनाने हैं जिनमें वीरों की गाथायें गा सकें और राम और कृष्ण के चरित्रों की याद दिला सकें और यह भी याद करा सकें कि विकास की ओर जा रहे हैं और देश को उन्नति की ओर ले जाना है। कोई कारण नहीं कि हमारे भविष्य में बनने वाले इन नागरिकों को इसी गर्त्त में छोड़ा जाय।

कॉलेजेज़ की स्थिति साफ है। एक प्रोफेसर है और सैकड़ों विद्यार्थी हैं। उसको यह भी मालूम नहीं है कि किस विद्यार्थी का क्या नाम है। रस्मी तौर पर रोल काल का रजिस्टर ले लिया, नाम बोल देते हैं, हाजिरी कर लेते हैं और अपना लेक्चर दिया और चले जाते हैं। पहले भी हजारों विद्यार्थी रहा करते थे। मैं यह नहीं कहता कि इतनी जल्दी आश्रमों द्वारा शिक्षा-पद्धति को पुनर्जीवित करें। जो पद्धति इस समय है उसी पद्धति को अपनाते हुए शिक्षा के जो प्रमुख अंग हैं, जो सात्विक अंग हैं, और जो हमारे चरित्र-निर्माण के लिए जरूरी हैं, जो हमें ऊंचा उठाने के लिए अति आवश्यक हैं उनको यदि भूल जाते हैं तो शिक्षा देना और न देना दोनों बराबर हो जाते हैं। शिक्षा का एक बड़ा ध्येय है और वह यह है कि मनुष्य को वास्तव में मनुष्य बनाया जाय, उसको उपयोगी बनाया जाय देश और समाज के वास्ते। तो मैं निवेदन करूं कि इस ओर सरकार का ध्यान नहीं के बराबर है।

गत ३० मार्च को म्युज़ियम के सामने रामनिवास बाग में लाउडस्पीकर के फैल हो जाने के कारण जो वातावरण देखा गया वह बड़ा शोचनीय एवं अपमानसूचक था हम नागरिकों के वास्ते। मैं मानता हूं और यह कटु सत्य है कि उस वातावरण के बनाने में बहुत गैर-जिम्मेदार नगर के नागरिक भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी उसमें जरूर शामिल थे। अतः मेरा यह नम्र निवेदन है

[श्री श्रीदास गोयल]

माननीय मंत्री जी से, जो कि केवल शिक्षा मंत्री नहीं है किन्तु सरकार के प्रमुख मंत्री हैं, वे इस ओर ध्यान देंगे और अपने सात्विक स्वभाव का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों में उस सात्विकता का प्रादुर्भाव करेंगे, जो उनके चरित्र का निर्माण कर सके।

मैं एक-दो सुझाव इस सिलसिले में देना चाहता हूं। मैं अर्ज करूं कि पहले विद्यार्थियों का कुछ समय रिलीजियस फंक्शन्स के द्वारा, कुछ और दूसरे प्रकार के कार्य-क्रमों के द्वारा, चरित्र-निर्माण के लिए लिया जाता था। हम आपस में बातचीत करते थे, तर्क-वितर्क करते थे, ऐसी सोसाइटीज़ भी थी कि विद्यार्थी इकट्ठे होकर अधिक से अधिक मेम्बर बनाते थे, उनके बीच में बातें करते थे, धार्मिक चरित्रों सम्बन्धी और अन्य-अन्य गाथायें गाते थे जिनको गौरव समझा जाता था और विद्यार्थियों पर साइकोलोजिकली उनके द्वारा असर डालने का प्रयत्न किया जाता था। लेकिन आज वे चीजें कोसों दूर चली गई हैं। हजारों लड़के कॉलेजों में पढ़ते हैं और इस प्रकार के प्रोग्राम न होने से आज हो क्या रहा है! उनकी उल्टी जीवन-चर्या बन रही है। हां, इस ओर खास तौर पर ध्यान देना है कि विद्यार्थी केवल किताबी कीड़े न बनें। यह बहुत अच्छी बात है कि बेसिक एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। विद्यार्थियों के रोटी और रोजी का जो सवाल आगे आया हुआ है वह हल हो जायगा। मैं निवेदन करूंगा कि उस बेसिक एजुकेशन के साथ-साथ विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण का भी प्रोग्राम रखें और उसके लिए एक-दो घण्टे दिये जायं तो उससे विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण में काफी परिवर्तन होगा।

इसके साथ ही साथ मैं एक बात और निवेदन करूं कि विद्यार्थियों को इनाम तक्सीम करते हैं, हजारों रुपये सरकार स्पोर्ट्स और गेम्स के लिए भी रखती है, तो प्रोफेसर्स और टीचर्स का इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाय कि उन विद्यार्थियों को इनाम दिये जायं जिनके चरित्र सम्बन्धी अच्छे कारनामे हैं, जो प्रोग्राम्स में हाजिर रहते हैं। मैं यह निवेदन करूं कि इस प्रकार के प्रोग्राम्स के रखने से विद्यार्थियों में नैतिक बल बढ़ेगा, चरित्र ऊंचा उठेगा और जो बुराइयां आज दिखाई देती हैं वे दूर होंगी, जिससे देश का उत्थान होगा और जो कल्याणकारी राज्य बनाने की घोषणा की गई है उसमें निश्चयपूर्वक सहयोग मिलेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी इस सिलसिले में अपना जवाब देते हुए उनके और जो सुझाव होंगे वे हमको बतावेंगे और इसके लिए और सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट की जरूरत हो तो अवश्य प्राप्त करेंगे, जिससे वास्तव में वास्तविक शिक्षा विद्यार्थियों को प्राप्त हो सके।

दूसरा जो कट-मोशन था वह सवाई माधोपुर की हाई स्कूल के बारे में है। मेरी ऐसी मान्यता है कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस सिलसिले में सवाल का जवाब देते हुए काफी अच्छा आश्वासन दिया है। ११ हजार रुपया साइन्स क्लास के लिए दिया है। मैं बड़ी प्रसन्न मुद्रा में इस बात के लिए स्वागत करता हूं। स्थान के बारे में जो कठिनाई हैड मास्टर, अध्यापक, और दूसरे अधिकारी और हम स्थानीय व्यक्तियों को महसूस होती है उनकी ओर भी ध्यान देने की कृपा करेंगे। इतना जोरों का शोरगुल होता है कि एक क्लास का अध्यापक पढ़ाता है तो दूसरी क्लास में पढ़ाया नहीं जा सकता। इसलिये मेरा निवेदन है कि पड़ोस में ही प्राइमरी स्कूल है, वहां पर कुछ कमरे बनवा दिये जायं तो हाई स्कूल के लिये काफी हो सकता है। आशा है माननीय शिक्षा-मन्त्रीजी इस ओर ध्यान देंगे ताकि हाई स्कूल के लिए जो स्थान की कमी है वह पूरी हो सके। इस वक्त मौजूदा हाई स्कूल जो है उसको युनिवर्सिटी ने

[श्री श्रीदास गोयल]

रिकॅग्नाइज़ भी नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यह था कि साइन्स की क्लास के लिये जगह की कमी है, लेबोरेट्री आदि के लिये स्थान को आवश्यकता है। जब कि साइन्स क्लासेज़ आगामी सेशन से चालू हो रहे हैं तो भवन की भी कुछ न कुछ सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव था अध्यापकों की तनख्वाह के सिलसिले में। अगर हम अकाउन्ट्स डिपार्टमेन्ट के चपरासियों की तनख्वाह से हमारे शिक्षकों की तनख्वाह को कम्पेयर करें तो जो अध्यापक प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं तो हमें थोड़ा दुःख होता है, इस प्रकार कम्पेरीज़न करते हुए। आज एक अध्यापक जो शहर छोड़कर गांव में पढ़ाने जाता है तो हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम उसको इतना वेतन दें जिससे वह अपने कुटुम्ब का अच्छी तरह से भरण-पोषण कर सके। आज जो तनख्वाह उनको दी जाती है वह बहुत कम है। इतनी कम तनख्वाह रखना उनके लिये श्रेयस्कर नहीं है।

अभी अभी एक मेरे माननीय मित्र ने डिस्ट्रिक्ट स्कूलों की व्यवस्था के बारे में बोलते हुए यह कहा कि निश्चित धारणा है कि नवयुवक को प्राइमरी स्कूल्स में पढ़ाते हैं वे महीने में कम से कम ५ दिन तो फ्रेन्च लीव पर रहते हैं। इस प्रकार की जो भावनायें हैं उनको तो हमें मजबूती से रोकना है। इसके साथ साथ हमें उनकी सेलेरीज़ की तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम उनके वाजिब खर्चे के लिये पैसे नहीं दे पाते हैं तो हम उनके साथ न्याय नहीं करते हैं। यह मैं मानता हूं कि बजट में जो घाटा है उसका मुख्य कारण है कस्टम का हट जाना और उसके एवज में सेल्स टेक्स का लग जाना। सेल्स टेक्स से जो आमदनी होगी वह कस्टम की आमदनी से काफी कम होगी लेकिन अगर हमें इन अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाने में ५–१० लाख का और भी घाटा हो जाय तो इसका हमें स्वागत करना चाहिये। ऐसा दिखता है कि इस संबन्ध में मौजूदा बजट में किसी प्रकार का प्रोविजन दिखाई नहीं देता। यह एक असन्तोष की बात है कि इस ओर कोई कदम नहीं उठाया गया। मैं यह निवेदन करता हूं कि प्राइमरी स्कूल्स की शिक्षा ही हमारे बालकों की नींव है और उस कल्पवृक्ष की नींव है जिसमे हम यह आशा करते हैं कि भविष्य में वे हमारे देश के कर्णधार बनें। अगर उन विद्यार्थियों के लिये सुयोग्य अध्यापक नहीं रखे, तो आगे जाकर वे किस प्रकार से अपने आपको योग्य साबित कर सकेंगे ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि उन अध्यापकों के साथ, उन बालकों के साथ न्याय की दृष्टि से उनकी तनख्वाह पर पुनः विचार किया जाय। आज एक अध्यापक को जो मैट्रिक पास होता है उसको महंगाई मिलाकर ५० रुपये के करीब मिलता है, जो इस जमाने में बिल्कुल अपर्याप्त है। यह बात जरूर है कि अनाज के भाव कुछ सस्ते हुए हैं, किन्तु अन्य चीजों के भाव अभी उसी प्रकार के हैं तो इस अल्प वेतन में उनका निर्वाह नहीं हो सकता।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उन अध्यापकों के लिये जिनकी सर्विसेज बड़ी लम्बी हो चुकी हैं, जो ओन दी वर्ज ऑफ रिटायमेंट हैं, उनके लिये एज्युकेशन डिपार्टमेंट ने कोई कार्य नहीं किया। रूल्स जरूर कुछ बनाये हैं लेकिन उनका प्रेक्टिकल रूप में पालन करने में सुस्ती बरती जा रही है। इस बारे में जब कभी प्रश्न भी पूछे गये तो यही आश्वासन मिला कि हमने कुछ पर्सेन्टेज मुकर्रर किया है उन अध्यापकों के लिये जो एज्युकेशन डिपार्टमेंट में साधारण शिक्षा प्राप्त करके

Page No.47

[श्री श्रीदास गोयल]

एम्प्लोयड हुए हैं और बाद में जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली है। उन उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को यदि उनके मुकाबले जिनको आप नये भर्ती करते हैं मौका दिया जायगा तो वे ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। आज यह हो रहा है कि एक अध्यापक जो मिडिल पास होकर ५०), ५५) की तनख्वाह पर बैठा है; एक उदाहरण यह पेश करूं कि एक अध्यापक ने अपने परिश्रम से साहित्यरत्न की डिग्री प्राप्त कर ली है यानि साहित्यरत्न है, बनारस युनिवर्सिटी में प्रथम श्रेणी में पास हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक वह मिडिल पास की तनख्वाह में ही पड़ा हुआ है। इसके बारे में बार बार संबन्धित इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर को कहा गया तो उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की। इस बारे में मैंने डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन से भी बातचीत की। उनसे पता चला कि उनके यहां से तो ऑर्डर्स निकल गये, लेकिन उनके नीचे की मशीनरी इतनी ढीली है कि उनकी हिदायतों का पालन नहीं हो रहा है। आज इन पुर्जों में इतना जंग लग चुका है कि शिक्षा विभाग के योग्य अध्यापकों के मामलों में उनके साथ न्याय नहीं किया जाता। जिन अध्यापकों ने अपने परिश्रम से अपनी योग्यतायें बढ़ाई हैं उनको मौका दिया जाना चाहिये, उनकी तनख्वाह उसी ग्रेड में होनी चाहिये। आज जब कि इस बारे में रूल्स बन चुके हैं तो क्या कारण है कि उनका पालन नहीं हो रहा है? क्या उनके रिटायर होने के बाद फायदा पहुंचाने का विचार है? जो लोग बड़े लगन के साथ पढ़ा रहे हैं, सच्चरित्र हैं और बहुत पुराने सर्विस में हैं उनके साथ न्याय होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करूंगा जो बजट है शिक्षा के लिये उसको स्वीकार किया जाय। आज शिक्षा का जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिये हमे जागरूक रहना चाहिये। तड़फन रखनी है तभी हम इस उद्देश्य में सफल हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—श्री विश्वम्भरनाथ जोशी

(अनुपस्थित)

श्री तेजमल बापना।

(अनुपस्थित)

महाराज श्री केसरीसिंह—Mr. Speaker, Sir, my Cut-motion is:

"That the Demand for grant No. XVI, Major Head 37-Education be reduced by Re. 1/- (to discuss the lack of supervision on teachers in the rural area in District Bundi)."

माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार द्वारा बहुत बड़ी राशि इस विभाग के लिये मन्जूर किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। चार करोड़ की रकम एक मामूली रकम नहीं है। यह विभाग ऐसा है जो चार करोड़ से भी अधिक की धनराशि मांग सकता है। लेकिन इस विभाग के ऊपर सतर्कता बरतनी चाहिये। देहात में जो मास्टर्स रहते हैं वे अपने आपको पूरी तरह से आजाद समझते हैं।

[महाराज श्री केसरीसिंह]

इसका कारण यह है कि बिल्कुल निगरानी न होने के कारण और इन्सपेक्टर्स का दौरा न होने के कारण यह हाल है, केवल दफ्तर में बैठकर कार्यवाहियां करते रहते हैं या लम्बी छुट्टियों पर चले जाते हैं। टीचर्स जो उनकी एवज में आता है उसको पूरा अधिकार नहीं होता, इस वजह से बहुत-सी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं।

मैं ऐसा मानता हूं कि शिक्षा पर जितना खर्च होता है उसमें ज्यादा गांवों के लिये खर्च होता है और यह होना भी जरूरी है, क्योंकि जनता अधिकांश गांवों में ही रहती है, इसलिये जितना भी पैसे गांवों में खर्च किया जाय कम है। गांवों में स्कूलों की इमारतें पर्याप्त नहीं हैं और न उनकी बराबर इन्सपेक्टरों के जरिये मांग ही की जाती है। कहीं छप्परों के तले और कहीं पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं। वर्षा में पानी बरसने के कारण छप्पर टपका करते हैं और बराबर पढ़ाई नहीं हो पाती है और दो महीने गर्मियों की छुट्टी और चार महीने की इस प्रकार वर्षा की छुट्टी, इस तरह ६ महीने साल भर में तो यों ही गुजर गये। अब रहे बाकी के ६ महीने, जिसमें भी बहुत-सी छुट्टियां आ जाती हैं और मास्टर लोग भी शादी-विवाह में छुट्टियों पर रहते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई गांवों में नहीं के करीब-करीब होती है। मास्टर लोग, जिस जगह स्कूल स्थित होती है वहां न रहकर पास के किसी बड़े गांव में रहते हैं, क्योंकि आजकल सब लोग आराम चाहते हैं। पर जनता यह चाहती है कि मास्टर उसी गांव में रहें जहां कि स्कूलें होती हैं। पर वहां उसके नहीं रहने के कारण स्कूलों के मास्टर लोग समय पर पढ़ाते भी नहीं हैं। समय का ख्याल नहीं रह पाता। वे दूर गांव से भागने की कोशिश करते, पर समय पर पहुंच नहीं पाते हैं। कारण इसका फिर यह होता है कि स्कूलों की पढ़ाई बहुत देर में शुरू होती है और जल्दी ही खत्म कर देनी पड़ती है, कारण कि शाम पड़ जाने के डर से मास्टर जल्दी ही उस गांव से अपने रहने के गांव में जाने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार को चाहिये कि अपने इन्सपेक्टरों को इस बात की पूरी निगरानी रखने की हिदायतें दें और इन्सपेक्टर बराबर दौरा करते रहें तो और भी जो गल्तियां हों वे मालूम होती रहें और उनका निराकरण किया जाता रहे।

दूसरी बात यह है कि प्राथमिक स्कूलों के मास्टर पढ़ाई के अतिरिक्त अपने निज के व्यापार भी करते हैं। यह बहुत ही शोचनीय बात है कि पढ़ाने के अतिरिक्त वे व्यापार करें। इसमें वे काफी दिलचस्पी लेते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जब हाट का मौका आता है तो मास्टर गुपचुप निकल जाते हैं और हाट में अपने कपड़े इत्यादि का व्यापार करते हैं और उस रोज, कहना पड़ेगा काफी चांदी उनके बरसती है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिये। सैलेरी कम है तो ज्यादा की मांग उन्हें सरकार से करनी चाहिये, पर इस प्रकार दुतर्फा पैदा करने की कार्यवाही जरूर छोड़नी चाहिये और चाहूंगा कि सरकार भी उनसे छुड़ाने की कोशिश करे।

दूसरी बात यह है कि मास्टर एक ही स्कूल में लगातार दस-पन्द्रह वर्ष तक रहते हैं और इस कारण जितनी दिलचस्पी उन्हें स्कूल में लेनी चाहिये, नहीं ले पाते हैं; कारण कि उनके घर के काम-काज, व्यापार-धन्धे इतने लगे रहते हैं कि उनको अधिकांश समय अपना उधर लगाना पड़ता है। इसकी एक मिसाल बता सकता हूं कि एक ऐसा मास्टर है जो अपना अधिकांश समय अपने व्यापार

[महाराज श्री केसरीसिंह]

में लगाता है। इसके लिए मैं नहीं समझता कि उन महाशय का तबादला क्यों नहीं हो जाता ? जनता भी इसके लिए मांग कर चुकी है और लोगों को व लड़कों को उनसे परेशानी भी है और उनका व्यापार भी बिलकुल रुका नहीं है।

इसके अतिरिक्त शिक्षा-विभाग के छोटे कर्मचारी, मैं बड़ों के लिए नहीं कहता, राजनीति में भी काफी हद तक भाग लेते हैं। छोटे-छोटे चुनाव जो होते हैं उनमें काफी दिलचस्पी दिखलाते हैं। मगर अफसोस है कि जितनी दिलचस्पी वे राजनीति और चुनावों में दिखलाते हैं, उतनी वह अपने छोटे-छोटे लड़कों को पढ़ाने में व उनकी उन्नति करने में और उनके चरित्र का निर्माण करने में लगावें तो मैं कहता हूं आज राजस्थान धन्य हो जावे, मगर ऐसा होता नहीं।

ऐसे ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिन्हें अगर कहने बैठूं तो सुबह से शाम हो जावे, मगर इससे कोई तात्पर्य नहीं। अगर अपने को इस विभाग में स्वस्थ परम्पराएं कायम करना है तो मैं चाहूंगा कि माननीय शिक्षा-मन्त्रीजी इसमें ध्यान दें और इस विभाग में काफी दिलचस्पी लें क्योंकि समाज में शिक्षा एक बहुत जरूरी अंग है। शिक्षा नहीं होती है तो वह बैकवर्ड क्लास मानी जाती है और उसे हम जंगली कौम कहते हैं। शिक्षा से ही आदमी अपने चरित्र का निर्माण करते हैं और उससे ही वे अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। अगर शिक्षा नहीं हो तो मैं कहता हूं, कि संसार में कुछ नहीं है।

स्कूलों की इमारतों के लिए मैंने कहा, पर स्कूलें जो अलग अलग जगह कायम की जा रही हैं वे एक कोई खास मुद्दे को लेकर की जाती हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि किसी जगह तो मास्टर कम हैं और लड़के ज्यादा हैं, कहीं लड़के कम हैं और मास्टर ज्यादा रख दिये गये हैं, कहीं इमारतें बनाई जाती हैं तो अधूरी छोड़ दी जाती हैं, कहीं इमारत छोटी है जबकि लड़के अधिक हैं, कहीं इमारत बहुत बड़ी है जबकि लड़के उतने नहीं होते। तो ऐसा नहीं होना चाहिये। किसी एक सही सोची-समझी प्लान को लेकर हमें काम करना चाहिये। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ में अपना कटौती प्रस्ताव सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री लक्ष्मण हीरात—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव इस प्रकार है:-

"कि मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा में रुपये एक मात्र की कटौती की जावे (राज्य सरकार ने अनिवार्य शिक्षा लागू नहीं की है इस पर वाद-विवाद करने के लिये)"

राजस्थान सरकार ने अनिवार्य शिक्षा नहीं लागू की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का अधिक समय नहीं लेकर थोड़े से ही समय में कुछ आवश्यक बातें बता देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान उदयपुर डिविजन के उस पहाड़ी प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं कि जहां पर स्कूलें हैं। लेकिन इस प्रदेश में इतनी कम स्कूलें हैं कि जिससे उस प्रदेश के लोगों के लिए शिक्षा बहुत कम मिलती है।

उस प्रदेश में वैसे कई स्कूलें हैं, लेकिन वहां आने-जाने का साधन नहीं होने की वजह से इन

[श्री लक्ष्मण हीरात]

स्कूलों की पढ़ाई बराबर ठीक नहीं होती है, कारण कि मास्टर लोग समय पर नहीं पहुंचते हैं और कभी सात-आठ दिन की छुट्टी लेकर जाते हैं तो १५-२० दिन में आते हैं यानी स्कूलों में पहुंचते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। हमारे यहां ऋषभदेव में एक हाई स्कूल है। इसमें बहुत ही कम अध्यापक हैं। इसकी वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई में बहुत हर्जा होता है। मैं बराबर दो-तीन साल से देखता आ रहा हूं कि हर वर्ष विद्यार्थी बहुत ही कम पास होते हैं और इस वर्ष भी यही समस्या रही है। वहां के विद्यार्थियों ने शिक्षा-विभाग के अधिकारियों को तार भी दिया है, दर्ख्वास्तें भी दी हैं और टेलीफोन भी किये हैं शायद। इस तरह की वहां की मांग है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय, एक बहुत छोटा उदाहरण पेश करना चाहता हूं जो यह है कि आजकल अध्यापक ट्यूशन अधिक करने की वजह से जो उन्हें स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करानी होती है वह नहीं करा पाते हैं और कोर्स अधूरा ही रह जाता है और अपने स्वार्थ के खातिर वह अधिक ट्यूशन करते हैं और ट्यूशन की वजह से विद्यार्थी कम पास होते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और छोटा सा उदाहरण इस विभाग पर पेश करना चाहता हूं; वह यह है कि शिक्षा-विभाग के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी इतने लापरवाह हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बारे में मैं एक साल पहले की एक घटना आपके सामने पेश करता हूं। हमारे वहां भूदरी पाल में आदिवासियों की एक बस्ती है। उस आदिवासियों की बस्ती में एक अध्यापक था उस अध्यापक और गांव वालों में कुछ मामले में झगड़ा व अनबन हो जाने से वहां के लोगों ने उसको निकालने, उसका तबादला कराने के लिए काफी कोशिशें कीं, लेकिन इसके लिए कई कोशिशें करने पर एक साल बाद में उसका तबादला हो सका। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अध्यापक गांव में रखे जाते हैं वे रात-दिन शराब पीते हैं और अपनी धुन में मस्त रहते हैं और बच्चों को पढ़ाते नहीं है। ऐसी स्थिति में बच्चे अधिक फेल होते हैं, समाज का नुकसान होता है और देश को आगे ले जाने वाली शिक्षा नहीं मिलती है।

अध्यक्ष महोदय, एक और छोटा सा उदाहरण फर्नीचर के बारे में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अनिवार्य शिक्षा के बारे में आपका कटौती-प्रस्ताव है।

श्री लक्ष्मण हीरात—उस पर ही आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—तो उसी पर कह दीजिये।

श्री लक्ष्मण हीरात—फर्नीचर जो शिक्षा-विभाग को दिया जाता है वह एक डिविजन से दूसरे डिविजन में भेजा जाता है, जिससे रास्ते में टूट-फूट कर ठीक हो जाता है, और वहां जाने पर बिल्कुल खत्म सा ही हो जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हरएक डिविजन में ऐसे कई स्थान हैं

[श्री लक्ष्मण हीरात]

जहां फर्नीचर भेजा जाता है। वहां की लकड़ी से फर्नीचर तैयार कराके वहीं वितरण किया जाय तो उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, अनिवार्य शिक्षा के बारे में अब कुछ बातें और कह देना चहता हूं। वह यह है कि जब तक अनिवार्य शिक्षा राजस्थान में नहीं करेंगे तब तक राजस्थान के किसान और राजस्थान के उन गांवों के रहने वाले छोटे वर्गों के लोग आगे तेजी से नहीं बढ़ सकेंगे। जैसा कि बम्बई, अजमेर आदि राज्यों में अनिवार्य शिक्षा के बारे में आगे कदम बढ़ाया हुआ है, लेकिन हमारी सरकार इस ओर कोई कदम नहीं बढ़ा रही है। हमारी सरकार सारे राज्य में न करे, लेकिन थोड़े से हिस्से में एक वर्ग के लोगों के लिए अनिवार्य शिक्षा लागू करे तो बहुत ही बढ़िया काम हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, वैसे हमारे राज्य के बजट में हमारे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की व्यवस्था जरूर है; लेकिन इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह बताया गया है कि इस वर्ष ८ मिडिल स्कूलों को बेसिक स्कूल बनाया जायगा, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि ८ बेसिक स्कूलों से सारे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। आज शिक्षा विभाग जो जो काम करता है वह शहरों के लिए करता है वह गांव में नहीं होता है जिससे गांव के लोगों को बिल्कुल शिक्षा से वञ्चित रखा जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चहता हूं कि शिक्षा के बारे में बहुत ही कम कदम उठाये जा रहे हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय अधिक कदम उठायेंगे, यही मेरी पार्थना है।

श्री अध्यक्ष--श्री मुक्तिलाल मोदी।

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह।

(अनुपस्थित)

रावत श्री शम्भूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह--माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव सिरोही जिले में कोई संस्कृत की स्कूल नहीं होने के सिलसिले में है और सरकार चूंकि इस मामले में असफल रही है उस सिलसिले में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

इसकी पृष्ठभूमि में दो शब्द निवेदन करना चाहता हूं कि पहले सिरोही स्टेट के वक्त में एक संस्कृत पाठशाला सिरोही जिले के विद्यार्थियों के लिए खोली गई थी, और उसका कार्य सुचारु रूप से चलता था। वहां पर ४०-५० के करीब संस्कृत के विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उसमें से काफी हद तक विद्यार्थी पास हुआ करते थे। उसका नतीजा हमेशा ७०-८० प्रतिशत रहा करता था।

[श्री जवानसिंह]

उसके बाद में राजस्थान का निर्माण हुआ और सिरोही का भाग्य बदल गया। राजस्थान के साथ में सिरोही का कुछ हिस्सा मिल गया और संस्कृत पाठशाला को देवस्थान विभाग ने अपने संरक्षण में ले लिया और उसका खर्चा सरकार और देवस्थान विभाग दोनों मिलकर देते थे। दो वर्ष तक राजस्थान बनने के बाद यह पाठशाला चालू रही। तदुपरान्त इस शिक्षा की पाठशाला की चूंकि मदद नहीं की गई फाइनेन्शियली, इसलिए बन्द कर दी गई। इस वक्त न तो जालोर जिले में, कोई संस्कृत की पाठशाला है, न बाडमेर जिले में, न पाली जिले में, और न अब सिरोही जिले में संस्कृत की कोई पाठशाला है। जोधपुर शहर में अवश्य एक संस्कृत की पाठशाला है। वह भी सरकार की ओर से नहीं चलाई जाती है, बल्कि एक प्राइवेट संस्कृत की पाठशाला है जिसको कि शायद वहां के महानुभाव चलाते हैं जिसमें प्रमुख हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री हैं। ऐसी स्थिति में जब कि हमारे राजस्थान के एक बहुत बड़े भाग में संस्कृत की शिक्षा लेने के लिए कोई सरकार की ओर से व्यवस्था नहीं है तो मैं यह मानूंगा और मेरे साथ सदन भी इस बात को मानेगा कि हमारी सरकार संस्कृत की शिक्षा के प्रति किस प्रकार से उदासीन है और राजस्थान बनने के बाद इस सरकार ने उस ओर कतई कोई ध्यान नहीं दिया है। जो संस्कृत की पाठशालाएं थीं उनको भी बन्द कर दिया है और इस प्रकार किसी प्रकार की कोई कार्यवाही संस्कृत की शिक्षा को बढ़ाने के लिए और संस्कृत की शिक्षा जैसी पहले थी वैसी ही कायम रखने के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया। इस उदासीनता को मैं सदन के सामने रखने के लिए ही खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप संस्कृत के एक अच्छे विद्वान् हैं और आप इस बात को जानते हैं, हमारी सरकार भी इस बात को जानती अवश्य होगी कि हमारे तमाम हिन्दुस्तान की सभ्यता जो बहुत पुराने काल से ही है वह क्यों रही है और क्या रही है। वह सब हमारी संस्कृत भाषा के द्वारा हमको मिलती है और इसी संस्कृत के कारण हिन्दुस्तान का सारे संसार में एक विशेष स्थान रहा है। बाहर से अनेक विद्वान् हिन्दुस्तान में आये है और उन्होंने इस विद्या को अपनाने का प्रयत्न किया है और आज इसी भाषा का हिन्दुस्तान में लोप होता जा रहा है और खास तौर से राजस्थान में लोप होता जा रहा है। इस बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह एक दुःखद परिस्थिति है और यहां की सरकार की उदासीनता ऐसी है कि जिस पर हरएक आश्चर्य करता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आजकल विज्ञान कई बातों की खोज धीरे धीरे करता है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे हम सब जानते है कि विज्ञान ने यह खोज की है कि ह्वेल मछली जब सुबह-शाम सांस लेती है तो दूर-दूर तक फव्वारे उठते हैं, लेकिन कालीदास के समय भी मेघदूत में ऐसे उदारण मिलते हैं कि प्रशान्त महासागर में १००-१५० फुट ऊंचे फव्वारे उठते दिखाई दिये थे। यह उदारण हमारे मेघदूत में मिलता है। जिस संस्कृत भाषा में मेघदूत लिखा हुआ है वही संस्कृत भाषा आज लटकी हुई है। इसकी जानकारी हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कि हम संस्कृत शिक्षा की ओर ध्यान दें। कम से कम इतना ध्यान तो दें कि जो संस्कृत पढ़ना चाहते हैं उनके लिए पढ़ने की व्यवस्था तो होनी चाहिये। लोग यह चाहते हैं कि उनको कुछ सुविधा मिले, जिसके द्वारा संस्कृत शिक्षा प्राप्त कर सकें। लेकिन हमारी सरकार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। इस कारण से लोग पढ़ने में असफल रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हरएक आदमी संस्कृत

[श्री जवानसिंह]

शिक्षा का ज्ञान हासिल करना चाहता है लेकिन हमारे यहां इसकी कोई व्यवस्था नहीं होने से और उसके पास अधिक धन नहीं होने से बनारस आदि स्थानों में जाकर वह संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकता। हमारे राजस्थान में संस्कृत का लोप होता जा रहा है, मुझे बड़ा दुःख होता है यह देखकर। दो-तीन दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि सिरोही में कोई ऐसी संस्था नहीं चल रही है जहां संस्कृत का अध्ययन कराया जाता हो। देवस्थान विभाग की ओर से संस्कृत पाठशाला को कोई सहायता नहीं दी जा रही है। आज हमारा मोरेल कितना लो (low) हो गया है ? मैंने यह जानने की कोशिश की कि देवस्थान विभाग की ओर से कोई सहायता दी जाती है या नहीं और इसका उत्तर यह मिला कि वहां पर आवश्यक सूचना भेज दी गई है और मुझे यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि वहां पर संस्कृत की शिक्षा को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। पहले दो पाठशालाएं हिज हाईनेस सिरोही की तरफ से निजी रूप से संस्कृत की चलाई जाती थीं वे भी अब बन्द हो गई हैं। यह हमारा कितना नैतिक पतन है ? भविष्य में हमने अपनी विद्या को पृथक् करके दूसरी ओर चलने का जो कदम उठाया है वह हमें कहीं का नहीं रखेगा। हम पुरानी विद्या को छोड़ कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम भी उस पाश्चात्य सभ्यता की ओर जायेंगे। यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारी प्राचीन शिक्षा आगे बढ़े तो हमारा वह स्थान दुनिया में नहीं रहेगा जो हिन्दुस्तान दुनिया के देशों में अव्वल दर्जे का स्थान हासिल किये हुए था। मैं इस विषय में कुछ विशेष चीजें सदन के सामने रखना चाहता हूं। मुझे एक बात से और भी दुःख हुआ। जब कि बजट पर सामान्य वाद-विवाद समाप्त हो रहा था उस समय जवाब देते समय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि संस्कृत एक पुरानी भाषा है, इस ओर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मन्त्री)—यह किसने कहा था ?

श्री जवानसिंह—वित्त-मन्त्री जी ने।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपका और सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जब उन्होंने बजट स्पीच के उत्तर में कहा कि हमें संस्कृत की ओर ध्यान नहीं देना चाहिये तो यह एक बड़े दुःख का विषय है। राजस्थान के जिम्मेदार मन्त्री जब इस प्रकार का जवाब देते हैं इस सदन में तो राजस्थान की जनता को यह मालूम होता है कि सरकार किस प्रकार संस्कृत के प्रति उदासीनता रखती है। जब ये तमाम बातें धीरे-धीरे सदन के सामने आती हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है। हम यह सोचते हैं कि क्या सरकार संस्कृत के उत्थान के लिये किसी प्रकार का कदम नहीं लेना चाहती है और क्या इसके लिये किसी तरह की व्यवस्था नहीं करना चाहती है ? मैं यह निवेदन करूंगा कि जिनकी अभिरुचि संस्कृत पढ़ने की हो उनको पढ़ने का पूरा मौका दिया जाय, उनके लिये स्कूलें व क्लासेज़ खोली जायं ताकि जो लोग पढ़ना चाहें, वे पढ़ सकें। मैं इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा पूरा मत है कि पुरानी विद्या को देख कर ज्यादा से ज्यादा पाठशालाएं सरकार की ओर से खोली जावें। यदि हम दूसरे प्रान्तों की ओर देखेंगे तो मेरा विश्वास है कि दूसरी सरकारें इस पर काफी मात्रा में रुपये खर्च करती हैं। जगह-जगह संस्कृत पाठशालाएं खोली

[श्री जवानसिंह]

गई हैं, काफी संस्कृत कॉलेजेज़ हैं। आप बंगाल, मद्रास और यू० पी० की तरफ देखिये। इन प्रान्तों में संस्कृत की उन्नति के लिये किस प्रकार का प्रयत्न किया जा रहा है? हम यदि पुराने वक्त की ओर ध्यान दें तो पता लगेगा कि किस प्रकार संस्कृत की उन्नति का प्रयत्न किया जाता था। राजा भोज ने एक-एक संस्कृत-श्लोक के लिए एक-एक लाख मुद्राएं इनाम में दी थीं। इसका अर्थ यह था कि संस्कृत भाषा का लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और ज्यादा से ज्यादा इसका प्रसार हो। हमारी सरकार पुराने राजाओं के वक्त का ख्याल रखते हुए भी कोई फायदा उठाना नहीं चाहती। यदि इसका उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी सरकार इस ओर बढ़ रही है जो वाकई ठीक नहीं है।

साथ ही मैं एक बात और सोचता हूं। हमारी दूसरी विद्याएं—जैसे ज्योतिष वगैरह संस्कृत भाषा में ही हैं और इस लिहाज से हम इन विद्याओं का ज्ञान तभी प्राप्त कर सकते हैं जब कि हमारी संस्कृत भाषा उन्नत हो। पहले संस्कृत का अध्ययन करके ही हम दूसरी विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम इस भाषा को इसी तरह भुलाने का काम करेंगे और उसकी उन्नति का कोई काम नहीं करेंगे तो मुझे विश्वास है कि संस्कृत भाषा का तो लोप होगा ही, किन्तु उसके साथ ही दूसरी विद्याओं का भी धीरे-धीरे लोप हो जायगा और हम धीरे-धीरे ऐसी स्थिति की ओर आ जायेंगे, जब हमारी संस्कृत का नामोनिशान मिट जायगा। इसलिये मैंने यह कटौती-प्रस्ताव सदन के सामने रखते हुए इस बात की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया है कि संस्कृति की उन्नति की ओर जल्दी से जल्दी ध्यान दें और संस्कृत का अध्ययन करने वालों को सुविधा प्रदान करें।

श्री चान्दमल मेहता—अध्यक्ष महोदय, मेरे इस डिमान्ड पर ६ कटौती के प्रस्ताव हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कटौती-प्रस्तावों की संख्या देख कर ही समय दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष—Brevity is the soul of wit. संक्षेप बुद्धिमत्ता की निशानी है।

श्री चान्दमल मेहता—[निम्न विषयों पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किये :—

(1) "To disucss the failure of Government to Construct the school building at Nosal.

(2) "To discuss the failure of the Government to remove restriction on further studies by teahers.

(3) "To discuss the failure of the Government to dispose of the fixation cases of Teachers.

(4) "To discuss the favouritism and Corruption prevailing in the appointment, promotion and transfer of teachers.

[श्री चांदमल मेहता]

(5) "To discuss the failure of the Government to start science classes in Inter Colleges.

(6) "To discuss the failure of the Government to supply necessery furniture to Primery Schools in Kishangarh Sub-Division.

(7) "To discuss the failure of the Government to appoint relieving Teachers for primary schools.

(8) "To discuss the wrong selection of series of text books.

(9) "To discuss the failure of the Government to raise the Middle School Sarwar to High School.]

अध्यक्ष महोदय, मेरा पहला कटौती का प्रस्ताव साधारण है और वह है नौसल गांव में स्कूल बनाने में सरकार की असफलता के बावत। सरकार शिक्षा विभाग पर काफी रुपया खर्चा करना चाहती है और स्कूलों की इमारतें आदि बनवाने में जनता से सहयोग की अपील भी करती है और जनता द्वारा अपील को मानकर स्कूल की इमारत बनाने में सहयोग का हाथ बढ़ाया जाता है, लेकिन यह मिसाल खास तौर से इसलिये रखी है कि जनता स्कूल की इमारत बनाने में सहयोग देना चाहती है, लेकिन सरकार लेना नहीं चाहती। नौसल गांव में मैंने एक व्यक्ति को तैयार किया और उसने स्वीकार किया ५ हजार की लागत में उक्त ग्राम में स्कूल की इमारत बनाने के लिये।

उसकी तरफ से प्रार्थना-पत्र पेश किये गये शिक्षा-मन्त्री के पास और दूसरे अधिकारियों के पास, पर खेद के साथ कहना पड़ेगा कि ८ महीने हो गये; अपने खर्चे से स्कूल बना कर देना चाहता था, उसे इजाज़त नहीं दी गई।

पिछले विधान-सभा के अधिवेशन में मैंने पूछा था कि एक आदमी नोसल में अपने खर्च से स्कूल बना कर देना चाहता है तो भी सरकार इजाजत क्यों नहीं देती है? तो इसका जवाब दिया गया था कि हम इस पर सोच रहे हैं। समझ में नहीं आता, यह ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण उलझा हुआ मसला है कि उसके लिये इतना समय लग गया है। एक बाहर की पार्टी आती है और अपने खर्चे से स्कूल बनाने के लिए तैयार है, फिर भी इजाजत नहीं दी जाती है। शायद अधिकारीगण भेंट-पूजा लेना चाहते हों। तो यह आशा ऐसे मामलों में छोड़ देनी चाहिये और उनको इजाजत देनी चाहिये।

मेरा दूसरा कटौती का प्रस्ताव उस रेस्ट्रिक्शन के बारे में है जिसके द्वारा अध्यापकों को आगे पढ़ने पर रोक लगाई गई है। युनिवर्सिटी के रूल्स हैं कि जो अध्यापक लोग हैं वे आगे की परीक्षाओं में बैठ सकते हैं पर सरकार ने ऐसे रेस्ट्रिक्शन्स लगा दिये हैं कि इतनी संख्या से अधिक अध्यापक आगे पढ़ाई नहीं कर सकते। इससे बहुत अधिक संख्या में अध्यापक हर साल आगे शिक्षा पाने से महरूम

[श्री चांदमल मेहता]

रह जाते हैं । इसी तरह का रेस्ट्रिक्शन अजमेर-मेरवाड़ा में भी था और इसके लिए वैधानिक सवाल उठा, रिट जारी हुए और फैसला हुआ कि इस तरह का अधिकार सरकार को नहीं है कि वह इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन लगाये कि वे लोग आगे पढ़ नहीं सकते । इस तरह से अजमेर-मेरवाड़ा में यह रेस्ट्रिक्शन समाप्त कर दी गई ।

हमारे अध्यापकों को इस प्रकार की आज्ञा लेनी पड़ती है तो अधिकारियों को भेंट-पूजा देने के बाद ही आज्ञा मिल सकती है, अगर भेंट-पूजा नहीं दी जाती है तो आज्ञा नहीं मिलती है ।

इसके लिये सरकार यह कह सकती है कि सब अध्यापकों को परीक्षाओं में बैठने की इजाजत दे देंगे तो लड़कों की पढ़ाई का बड़ा नुकसान होगा । इसके लिये तो सरकार यह तय कर सकती है कि यदि किसी अध्यापक की क्लास का परीक्षा-फल खराब रहता है तो उसकी सर्विस बुक में खराब एन्ट्री लगा दी जाय । इस कटौती के प्रस्ताव के जरिये मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिस तरह के रेस्ट्रिक्शन्स लगाये गये हैं अध्यापकों के आगे पढाई करने पर, उन्हें समाप्त कर दिया जाय ।

तीसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करने का है कि अध्यापकों के फिक्सेशन के केसेज़ बहुत बड़ी तादाद में अभी तक सरकार के विचाराधीन पड़े हुए हैं और अध्यापकों को सेंट्रल गवर्नमेंट के चपरासियों से भी कम वेतन दिया जाता है । भूतपूर्व राजस्थान में शिक्षकों का ग्रेडेशन नया बना था, पर वह राजस्थान बनने पर खटाई में डाल दिया गया है । केवल किशनगढ़ सब-डिविजन में ८८ केसेज़ मास्टरों के पड़े हुए हैं जिनका फिक्सेशन नहीं हुआ है और सारे राजस्थान में १० हजार फिक्सेशन के केसेज़ पड़े हुए हैं । विधान-सभा में मैंने इस बारे में प्रश्न उठाये तो एक बार बड़ी गर्मी आई इस विभाग में और सब जगह से पूछा गया कि कितने फिक्सेशन के केसेज़ बाकी हैं, उनके फार्म भर कर भेजे जायं । जब मैंने विधान सभा में जोरदार आवाज बुलन्द की थी तो गर्मी आई और ज्यों ही अधिवेशन खत्म हुआ फिर शिथिलता आ गई । अतः मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और एक अवधि मुकर्रर कर देनी चाहिये कि फलां अवधि तक सब का फिक्सेशन हो जायगा ।

मैं कई ऐसे केसेज़ बता सकता हूं जिनमें अध्यापक रिटायर हो गये हैं परन्तु उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है । मैं ऐसे केसेज़ भी बता सकता हूं कि कई अध्यापक मर गये हैं, पर उनका फिक्सेशन नहीं हुआ है । यहां सरकार को खास तौर से शिक्षा विभाग में, जिसको कि पुराने जमाने में परम पवित्र मानते थे, उसमें आई हुई शिथिलता को दूर करना चाहिये । हमारे मुख्य मन्त्री, जो शिक्षा मन्त्री भी हैं और बहुत तेज काम करने के लिये मशहूर हैं वे इस मामले में भी बहुत तेज कदम उठायेंगे और एक निश्चित अवधि मुकर्रर कर देंगे कि उस अवधि तक यह सब केसेज़ निपटा दिये जायेंगे ।

मेरा चौथा कटौती का प्रस्ताव अध्यापकों की नियुक्ति, उनके प्रोमोशन और ट्रान्सफर के संबंध में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके बारे में है ।

[श्री चांदमल मेहता]

प्राचीन काल में, राजाओं के जमाने में माना जाता था तो अगर कोई ऐसा विभाग हो सकता है कि जिसमें भ्रष्टाचार न हो और जिसमें पक्षपात न हो तो वह विभाग शिक्षा-विभाग है। परन्तु आज अगर देखा जाय कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और पक्षपात किस विभाग में है तो पता चलेगा कि शिक्षा-विभाग आज सबसे अधिक गिरा हुआ विभाग है।

आज बेकारी की भीषण समस्या फैली हुई है और शिक्षित लोगों को नौकरी की जरूरत होती है तो वे शिक्षा विभाग की ओर जाते हैं, पर वहां बिना सिफारिश या बिना रिश्वत के नौकरी मिलना मुश्किल है। अगर रिश्वत दी जाती है और सिफारिश है तो अच्छे से अच्छा ग्रेड दे दिया जाता है। पिछले वर्ष में जब कि इन्टिग्रेशन ऑफ पे स्केल्स के लिये मेट्रिक, इन्टरमीडिएट और ग्रेज्युएट्स के इन्टरव्यू हुए और उनके रिजल्ट का मामला आया तो डाइरेक्टर ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की, इस नीयत से कि जितने मिनिस्टर हैं उनको ओब्लाइज करें क्योंकि वे न आई० ए० एस० की सीनियर लिस्ट में हैं और न आर० ए० एस० की सीनियर लिस्ट में हैं। उन्होंने यह सोचा कि डाइरेक्टर बने रहने के लिये एक ही रास्ता है कि अधिक से अधिक मन्त्रियों को और अधिकारियों को ओब्लाइज किया जाय, उनको खुश किया जाय और इस तरह से जो पात्र नहीं हैं उनको मौका दें और जो पात्र हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा जाय। इससे एक तरफ तो भ्रष्टाचार बढ़ा और दूसरी तरफ जो वाजिब आदमी है उनको मौका नहीं मिला।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन हुआ, जो मेट्रिक पास थे उन का मिडिल ग्रेड बनाना तय हुआ। जो इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे और बोर्ड के मेम्बर थे, हालां कि उनका यह काम था परन्तु डाइरेक्टर ने बीच में हस्तक्षेप किया और दूसरे आदमियों को मौका मिला। यह तो हुआ जो मेट्रिक पास और मिडिल तक पढ़े हुए थे उनका हाल और जो इन्टर पास थे और ग्रेज्युएट्स थे, उनका रिजल्ट इन्टरव्यू होने के दो-ढाई महीने बाद आउट किया गया कि अमुक व्यक्ति मेट्रिक ग्रेड में और अमुक इन्टर ग्रेड में आ सकता है।

मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इन्टरव्यू होने के तुरन्त बाद ही उसका रिजल्ट आउट कर देना चाहिये था, इसके बाद इतने अर्से तक उसे पेंडिंग रखने का इसके सिवाय और कोई मतलब नहीं हो सकता कि अधिकारियों और मन्त्रियों को ओब्लाइज किया जाय और जो पात्र नहीं हैं उनको अच्छा ग्रेड दिया जाय और जो पात्र हैं उनको उससे वंचित रखा जाय क्योंकि क्लासेज जुलाई में शुरू हो जाते हैं और यह अगस्त में इन्टरव्यू करते हैं। अच्छा तो यह होता कि जुलाई से पहले इसका निर्णय करते ताकि स्कूलों के खुलते ही स्कूलों में मास्टर मिल जाते। हुआ क्या, एक ओर तो इन्टरव्यू का फैसला नहीं किया और दूसरी तरफ यह किया कि जो लोग इन्टरव्यू में नहीं आये थे उनका एपॉइन्टमेंट कर दिया गया। यह तय हुआ था कि जो लोग मेट्रिक पास होंगे उनको मिडिल का ग्रेड दिया जावेगा और इन्टरमीडिएट को मेट्रिक का ग्रेड दिया जावेगा। लेकिन बिना इन्टरव्यू में बुलाये मेट्रिकुलेट को मिडिल ग्रेड के स्थान पर मिडिल ग्रेड दे दिया गया। इसकी अगर जांच की जावे तो सारे राजस्थान में ऐसे बहुत केसेज मिलेंगे। हुआ यह कि लोग इन्टरव्यू में नहीं आये उनका एपॉइन्ट-मेंट कर दिया गया और जो लोग इन्टरव्यू में आये थे उनका कोई फैसला नहीं किया गया। अगर

[श्री चांदमल मेहता]

इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी बिठाई जावेगी तो आपको मालूम होगा कि उन सदस्यों के, जिनके प्रार्थना-पत्र समय पर नहीं आये थे और न जिनका इन्टरव्यू हुआ था उनको एपॉइन्टमेंट ऑर्डर दे दिये जाते हैं। क्या वजह है कि इन्टरव्यू किया उनका फैसला नहीं किया गया और डाइरेक्टर साहब ने दूसरे लोगों को एपॉइंट करने में दिलचस्पी ली। मैं आशा करता हूं कि माननीय चीफ मिनिस्टर इस सम्बन्ध में सारी जांच करेंगे और अगर डाइरेक्टर ऑफ एज्युकेशन ने वास्तव में ऐसी ज्यादती की है और उसके खिलाफ पाई जावे कि उन्होंने सिफारिश या किसी दूसरे आधार पर किसी भी आदमी को नियुक्त किया है तो इस प्रकार के व्यक्ति को किसी भी स्थिति में इतने ऊंचे स्थान पर नहीं रखा जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि तबादलों के मामलों में भी बहुत गड़बड़ियां की गई हैं। जहां भ्रष्टाचारी प्रिन्सिपल है वहां पर सब स्टाफ भी भ्रष्टाचारी रहना चाहिये। अगर प्रिन्सिपल शराबी हो तो जितने वहां के अफसर हों वे सब शराबी-कबाबी, दुराचारी यानी सर्व गुण सम्पन्न होने चाहिये, वे ही वहां पर रहने चाहिये। जो कोई दूसरे व्यक्ति जिनमें इस प्रकार के गुण नहीं हों वे वहाँ से हटा दिये जाते हैं, उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाये जाते हैं और वहां से दिये जाते हैं। अगर एसेम्बली में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका गलत जवाब दे दिया जाता है और तबादला करने का कारण यह बताया जाता है कि उसकी तरक्की की गई है।

मैं इस सम्बन्ध में आपको एग्जेम्पल देता हूं। बदकिस्मती से किशनगढ़ के प्रिन्सिपल शराबी, कबाबी और व्यभिचारी हैं और इस सम्बन्ध में मैंने एसेम्बली में आवाज उठाई थी। जब मैंने एसेम्बली में आवाज उठाई तो वहां के लोगों ने देखा कि यह इन्फॉर्मेशन इसको लोकल आदमियों से मिलती होगी इसलिये उन्होंने लोकल अध्यापक को वहां से बदल दिया। जब लोकल अध्यापक को वहां से बदल दिया और मैंने सवाल पूछा तो उसका यह जवाब दिया गया कि उसकी तरक्की करके उसको बदला गया है। किस तरह की उसकी तरक्की हुई, यह तो आपको मालूम हो जावेगा कि वह एक ट्रेन्ड ग्रेजुएट है और हाई स्कूल में पढ़ाता था। लेकिन उसको एक ऐसी स्कूल में दूसरे डिविजन में ले जाकर बदला कि जहां का हैड मास्टर एक नॉन मैट्रिक है। इसको हम तरक्की देना कहते हैं! जो मास्टर ट्रेन्ड ग्रेजुएट है और हाई स्कूल को पढ़ाता है उसका आप उस डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसका ट्रान्सफर कर देते हैं, वह महज इसलिये कि अगर कोई लोकल आदमी आता जाता रहे तो सारी पोल खुल जावेगी और इसीलिये आपने उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बदला। उसका ट्रान्सफर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में टन्कोर कर दिया। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाता है तो मुझे बड़ा खेद है कि मंत्रियों द्वारा जिम्मेदारी के साथ जवाब दिया जाना चाहिये, मगर होता यह है कि वे मातहत कर्मचारियों के काले कारनामों को छुपा कर कई बातें गलत बतला कर भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते है। हमको प्रश्न पूछने का अधिकार है और हम यह उम्मीद करते हैं कि उनका सही उत्तर हमको मिलेगा। अगर उसका सही उत्तर नहीं मिलता है तो यह हमारे अधिकारों का अपहरण है। इससे भ्रष्टाचार फैलेगा। माननीय अध्यक्ष, मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही कभी भी शिक्षाविभाग में दरगुजर नहीं की जा सकती। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मैंने इस चीज को यहीं तक सीमित नहीं रखा है, आगे तक बढ़ाया है। मैंने उप-मंत्रिणी की निगाह में लाने की कोशिश की कि किस तरह से गलत जवाब दिये जाते हैं। अगर इसी तरह

[श्री चांदमल मेहता]

के प्रिन्सिपल वहां रहे तो बच्चों का आगे बढ़ना कहां तक हो सकेगा, उनका करेक्टर कैसा होगा; यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। मैंने सोचा कि ऐसा व्यक्ति किशनगढ़ नहीं रहे तो लड़कों का चरित्र सुधर सकता है, मगर उनके पीछे बहुत बड़ी सिफारिश है। अगर कोई हटाना भी चाहे तो उनको नहीं हटा सकता।

इसके अलावा आम तौर से यह चर्चा है कि वे गर्ल्स स्कूल में आते रहते हैं और उनके इस प्रकार के चरित्र के कारण कई लोग अपनी लड़कियों को स्कूल समय के बाद स्कूल में रखना पसन्द नहीं करते। गर्ल्स स्कूल क्या हुआ, एक तरह का अड्डा बन गया है। ये सब बातें मैंने उपमंत्रिणी से निवेदन कीं और यह कहा कि अगर ऐसे महत्वपूर्ण विषय में भी दरगुजर कर दिया जावेगा तो यह बड़े खेद की बात है। इसकी जांच करते और जो व्यक्ति दोषी होता उसको सजा देते तो उसका परिणाम अच्छा रहता। अतः मैं माननीय चीफ मीनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इस मामले में गहराई से सोचेंगे और जो गलत जवाब देने की प्रथा है उसको बन्द करेंगे। इस तरह के सर्वगुण-संपन्न प्रिन्सिपल जो शराबी हो, कबाबी हो और व्यभिचारी हो; वहां किशनगढ़ में नहीं रखना चाहिये और अगर कोई उसकी सिफारिश भी करें तो उसको भी लानत देनी होगी, वह फिर ऐसे आदमी की कभी सिफारिश नहीं कर सके।

मेरा पांचवा कटौती का प्रस्ताव इन्टर कॉलेज में साइन्स जारी करने के बारे में है। माननीय अध्यक्ष, आज हमारे देश में ऐसी शिक्षा होनी चाहिये जिससे हमारे देश की बेकारी दूर हो और देश की आवश्यकता पूरी हो। हमें इस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं कि वकील हो या ग्रेजुएट हो पंडित नेहरु ने हाल ही में अजमेर में ए. आई. सी. सी. के जल्से में बताया था कि हमारी शिक्षा किस प्रकार की हो। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे मुल्क को टेक्नीशियनों की जरुरत है, डॉक्टरों जरूरत है, इंजीनियरों की जरूरत है और इसी तरह की शिक्षा का प्रसार होना चाहिये। लेकिन खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे यहां ११ इन्टर कॉलेजेज़ हैं जिनमें साइन्स नहीं। पिछले अधिवेशन में जब मैंने इसके लिए कहा तो यह कहा गया कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण अर्थ के अभाव की वजह से हम साइन्स जारी नहीं कर सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति अगर आप ऐसी शिक्षा देंगे जिससे बेकारी फैले तो और भी अधिक खराब होती जायगी। इसलिए ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिये। इस चीज को देखते हुए टेक्निकल ट्रेनिंग होना बहुत जरुरी होता है और इस लिहाज से यह जरुरी होता है कि जितने इन्टर कॉलेजेज़ हैं उनमें साइन्स हो। किशनगढ़ में भी इन्टर कॉलेज है, काफी छात्र पढ़ते हैं। साइन्स न होने के कारण कई विद्यार्थी तो अजमेर जाते हैं। अभी आज सवाई माधोपुर में साइन्स के लिए कुछ रुपयां देने की बात कही गई। मैं यह कहूंगा कि वह सारे राजस्थान के लिये होना चाहिये। जहां पर हाई स्कूल में साइन्स है वहां पर कॉलेज के लिये साइन्स खोलना जरूरी होगा। मैंने माननीय चीफ मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करने के लिये यह प्रस्ताव उपस्थित किया है।

मेरा एक कटौती का प्रस्ताव किशनगढ़ सब डिविजन में प्राइमरी स्कूल में फर्नीचर देने के सम्बन्ध में भी है। सरकार काफी स्कूलें प्रतिवर्ष खोलती है, उसके लिए तो सरकार धन्यवाद की पात्र

[श्री चांदमल मेहता]

है मगर मैं यह निवेदन करूंगा कि स्कूलें खोलने के साथ साथ उन स्कूलों को फर्नीचर भी प्रोवाइड करें और जो उनके हिस्से में आवे वह तो उनको फौरन दे दिया जावे। होता यह है कि जो छोटे क्षेत्र हैं और दूर पड़ते हैं उनको बहुत कम फर्नीचर मिलता है। किशनगढ़ की भी यही स्थिति है। ऐसी स्कूलें हैं जिनमें १५० और २०० लड़के हैं और वे स्कूलें पांच वर्षों से चल रही हैं मगर फिर भी वहां लड़कों के बैठने को टाट-पट्टी की भी व्यवस्था नहीं है। इससे सर्दी में बहुत दिक्कत होती है। एक लड़के को सर्दी में जमीन पर बैठने के कारण पिछले वर्ष निमोनिया तक हो गया था और वह बीमार हो गया था। इसलिए में यह निवेदन करूंगा कि अगर सरकार अधिक फर्नीचर नहीं प्रोवाइड कर सकती है तो कम से कम टाट-पट्टी तो अवश्य ही प्रोवाइड करे। जहां पर दो-दो साल स्कूलों को खुले हो गये हैं मगर अभी तक टाट-पट्टी तक वहां पर नहीं है। वहां टाट-पट्टी तो कम से कम होनी ही चाहिये। किशनगढ जयपुर से काफी दूर पड़ जाता है और यही वजह है कि फर्नीचर आदि के मामलों में भी दूर रहा है। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि जो उचित हिस्सा किशनगढ़ का है वह उसको मिलना चाहिए। अगर दूसरा फर्नीचर नहीं मिले तो कम से कम टाट-पट्टी तो जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिये।

एक मेरा कटौती का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे स्कूलों में रिलीविंग टीचर्स नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रति वर्ष प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं और ऐसे स्कूल्स हैं कि जिनमें एक ही अध्यापक है और वह एक अध्यापक अगर महीने भर की छुट्टी चला जाता है तो नतीजा यह होता है कि स्कूल बन्द हो जाता है। आमतोर पर शादी, गमी और ऐसे मौके आते हैं कि जिनमें जाना ही पड़ता है और उस हालत में रिलीविंग टीचर्स न होने से स्कूल बन्द हो जाते हैं और इससे दूसरे स्कूलों में बच्चों को जाना पड़ता है और उनकी पढ़ाई में काफी हर्ज होता है। सरकार इस तरह की व्यवस्था कर दे कि एक एक सब डिविजन में एक-एक या दो-दो रिलीविंग अध्यापक नियुक्त कर दे ताकि जो अध्यापक छुट्टी में जायं तो उनकी एवज में उनको भेज दिया जाय। मैंने यह देखा है कि किशनगढ़ में कई दफा एक-एक महीना, दो-दो महीना स्कूल बन्द रहे हैं। ट्रेनिंग के लिए अगर अध्यापक को भेजा जाता है तो उसकी एवज में दूसरा वक्त पर अध्यापक नहीं पहुँचता। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि प्राइमरी स्कूलों के लिए निर्धारित संख्या पर एक-एक रिलीविंग टीचर होगा, इस तरह की व्यवस्था कर दी जाय। यह मैं बहुत ही आवश्यक मानता हूं।

एक कटौती का प्रस्ताव है पाठ्य-पुस्तकों के सिलेक्शन के बारे में। किताबों का सिलेक्शन जो किया जाता है उसमें जो सीरीज हैं उसके अनुसार ठीक ढंग से सिलेक्शन नहीं किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, जो पुस्तकें प्रेस्काइब की जायं वे, उनमें जो सीरीज होती है उदाहरण के तौर पर मेट्रिक का कोर्स ले लें, कुछ सीरीज नवीं कक्षा में होंगी और कुछ दसवीं कक्षा में होंगी। मिडिल क्लास को लेते हैं तो कुछ कोर्स पांचवीं में होगा, आगे फिर छठी, सातवीं और आठवीं में होगा। इस प्रकार की सारी जगह अब तक प्रणाली यही रही है। जब किन्हीं पाठ्य पुस्तकों को तब्दील करने का मौका आता है, उदाहरण के तौर पर हाईस्कूल की पाठ्य पुस्तकों को तब्दील करने का मौका आता है तो पहले नवीं

[श्री चांदमल मेहता]

कक्षा की किताबों को करेंगे और फिर दसवीं की। अगर मान लीजिये कि मिडिल की कक्षाओं की पाठ्य-पुस्तकों में तब्दीली करने की आवश्यकता पड़े तो पहले पाँचवीं में और फिर आगे छठी, सातवीं और आठवीं में करेंगे, ताकि सीरीज़ के आधार पर शिक्षा मिल सके। अलग अलग लेखकों का अलग अलग तरीका है। सीरीज़ में पाठ्य-पुस्तकों की तब्दीली का तरीका सारे राजस्थान में ही नहीं, वरन सब जगह है। किन्तु मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ेगा कि पाठ्य-पुस्तकों की सीरीज़ को अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि जयपुर डिविजन में फिफ्थ से, कोटा में सिक्स्थ से और उदयपुर डिविजन में सेवन्थ से तब्दीली की गई है। मैं समझ नहीं पाया कि इस तरह की व्यवस्था क्यों की गई है ? किस चीज को बदलने का है ? आम तौर पर भारतवर्ष में जो व्यवस्था रही है मिडिल की पांचवीं से और मेट्रिक की बदलना है, तो नवीं से वह राजस्थान में अलग सी दिखाई देती है। उससे काफी गड़बड़ी रहती है। मैं समझता हूं कि सरकार आयन्दा इस ओर ध्यान देगी और उचित कदम उठायगी।

एक मेरा कटौती का प्रस्ताव है सरवाड़ मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने के सम्बन्ध में। अध्यक्ष महोदय, पिछले अधिवेशन के वक्त भी मैंने मांग की थी कि किसी एक आधार पर सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। होता यह है कि जहां का प्रेशर पड़ता है वहां हाई स्कूल बन जाता है और जहां का प्रभाव नहीं होता या खास तौर पर कृपा नहीं होती तो वहां हाई स्कूल बन जाने का मौका नहीं आता। किशनगढ़ जिले में हाई स्कूल बनाने के लिए दो जगहों की मांग थी; एक तो रूपनगर और दूसरा सरवाड़। रूपनगर के बारे में रिकमन्डेशन पहुँच चुकी थी डाइरेक्टर के आगे, लेकिन चूंकि एक मिनिस्टर महोदय इन्ट्रेस्टेड थे अपने यहां हाई स्कूल के बारे में, जब कि उसकी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में सब से ज्यादा हाई स्कूल हैं, लेकिन यहां रूपनगर में हाई स्कूल बनने वाली थी, वह इत्तिफाक से चली गई मन्त्री महोदय की कॉन्स्टिट्यूएन्सी में, जहां कि सब से अधिक हाई स्कूल पहले से ही थीं और रूपनगर को रुक जाना पड़ा। सरवाड़ की खास स्थिति है। किशनगढ़ स्टेट का यह सब से बड़ा कस्बा रहा है और आस-पास पचास मील दूर तक कोई स्कूल नहीं है। छात्रों की संख्या भी पर्याप्त है, तो ऐसी हालत में वहां के छात्रों को मिडिल परीक्षा पास करने के लिए पचास-साठ मील दूर पढ़ने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरवाड़ में हाई स्कूल खोला जाना आवश्यक है। शायद माननीय मन्त्री महोदय यह कहें कि जहां-जहां मिडिल स्कूल्स हैं उनको हाई स्कूल बनाने पर विचार किया जाय तो आर्थिक स्थिति को दृष्टि में रख कर ही किया सकता है। हो सकता है कि जो मिडिल स्कूल एक तरफ आ गये हैं और वहां हाई स्कूल बनाने पर विचार किया जाय और जिनको खास तौर पर दिक्कत हो; मैं खास तौर पर निवेदन करूंगा कि आप जब हाई स्कूलों के सिलेक्शन के बारे में विचार करें तो उस स्थिति में सरवाड़ के मामले को दृष्टि में रखेंगे। सरवाड़ की जो स्थिति है, उसके बारे में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्य-मन्त्री सरवाड़ में रह चुके हैं और उन्होंने रियलाइज़ किया होगा कि यह एक महत्वपूर्ण स्थान है और इस महत्वपूर्ण स्थान को मौका मिलना चाहिए हाई स्कूल बनने के लिए।

ये मेरे कटौती के प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं। मैं यह उम्मीद करूंगा कि अब तक मैंने देखा

Page No.62

[श्री चांदमल मेहता]

है कि जब-जब कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये, उन पर जितना सन्तोष-जनक जवाब माननीय मुख्य मन्त्री की ओर से मिला है दूसरों से कम मिला है; जवाब मिलता है तो गोलमाल जवाब मिलता है। फिर भी वे कटौती के प्रस्ताव वापिस ले लिये जाते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से आम तौर पर आश्वासन दिये जाते हैं जिसको हम फील करते हैं। हम कटौती के प्रस्तावों को विचार किये जाने के लिए प्रस्तुत करते हैं, कोशिश यही रहती है कि उनका अमल हो और यही परिपाटी रही और आगे रहने में कोई शंका नहीं। अतः मैं ये सारे कटौती-प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और उनके लिए उचित आश्वासन की उम्मीद करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री अवनिकुमार मुकर्जी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष, मैं था नहीं इसलिए मेरे कटौती के प्रस्ताव को अब पेश करने की इजाजत दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—आपको टाइम नहीं मिल सकता।

श्री मुक्तिलाल मोदी—माननीय अध्यक्ष,......

श्री अध्यक्ष—आपको बोलने की इजाजत इसलिए नहीं दी जा सकती है कि जो सदस्य कट-मोशन्स रख चुके हैं उनको सदन में हाजिर रहना चाहिए था। जब नम्बर आता है और उस वक्त सदस्य अनुपस्थित रहते हैं तो यह सदन का बड़ा भारी अपमान है। समय पर उनको यहां रहना चाहिए और नाम कॉल किये जाते हैं उस वक्त अनुपस्थित रहते हैं तो यह लगता है कि वे सदन की पर्वाह नहीं करते और अपने काम की ज्यादा पर्वाह करते हैं। अगर वे सदन की पर्वाह नहीं करते तो सदन भी उनकी पर्वाह नहीं करता। इसलिए उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता

श्री मुक्तिलाल मोदी—आयन्दा सदन की पर्वाह करूंगा। जो कट-मोशन्स दूसरों ने रखे हैं उस पर मुझे बोलने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—श्री मानसिंह महार।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, शिक्षा-विभाग के सम्बन्ध में मेरे परबतसर से आने माननीय मित्र ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनके समर्थन में चन्द शब्द निवेदन करूंगा। अध्यक्ष

[श्री मानसिंह महार]

महोदय, शिक्षा-विभाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अन्दर राजस्थान के बजट का छठा हिस्सा खर्च होता है। २३ करोड़ रुपये का राजस्थान का जो खर्चा है उसमें से चार करोड़ रुपया इस विभाग पर खर्च होता है। कहने को तो यह बात होती है कि शिक्षा पर चार करोड़ रुपया खर्च करते हैं, दस करोड़ रुपया भी यदि खर्च करें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दुरुपयोग की बात है कि जो चार करोड़ रुपया खर्च किया जाता है उसमें से आधा रुपया इस प्रकार से बर्बाद किया जाता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अध्यक्ष महोदय, यह एक राजस्थान के अन्दर विचित्र चीज़ है कि शिक्षा के अन्दर रिश्वतखोरी का बोलबाला है। लोग पुलिस की बुराई करते हैं, लोग सप्लाई की बुराई करते थे, लेकिन मैं यह कहता हूं कि आज पक्षपात और रिश्वतखोरी में शिक्षा विभाग सबसे आगे है। शिक्षा विभाग में जो अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग में जो स्टाफ है, वे व्यक्ति विशेष उन्हीं व्यक्तियों के कृपा पात्र हैं, जिनकी सिफारिश से उनका अपॉइन्टमेन्ट हुआ है, वे उनका प्रचार करते हैं।

वे शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। गांवों के अन्दर जो अध्यापक होते हैं वे एक प्रकार से उनके गुर्गे होते हैं जो उनका प्रचार करते हैं। अगर कोई गरीब अध्यापक उनका प्रचार नहीं करता है तो उसकी ट्रान्सफर दूर-दूर कर दी जाती है, इस बात से डर से उनको भी इस प्रकार की बातें करनी पड़ती हैं। मैं कुछ बातें सदन के सामने रखूंगा, जिनसे आपको मालूम होगा कि यह विभाग कैसे बेकार का विभाग हो रहा है। एक निश्चित बात यह है कि इस विभाग के अन्दर डाइरेक्टर महोदय जो रखे गये हैं, वे आई० ए० एस० के केडर नहीं हैं। आई० ए० एस० केडर का डाइरेक्टर नियुक्त न करना, शिक्षा-विभाग का एक तरह का अपमान है।

एक बात जो मुझे कहनी है, वह यह कि जिस समय मौजूदा डाइरेक्टर महोदय डिप्टी डाइरेक्टर के पद पर थे उस समय उन्होंने इतनी धांधलियां की हैं जिसकी कोई हद नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिये एक बात निवेदन करूंगा, जिसकी यदि माननी मुख्य मंत्री जांच करायेंगे तो सही साबित होगी। पिछले वर्ष कुछ अध्यापकों के लिये मांग निकली, उसमें एक बात लगी हुई थी कि १८ वर्ष से कम आयु वाले एप्लाई न करें। हजारों आदमियों ने इन पोस्टों के लिये दर्ख्वास्तें दीं। वे दर्ख्वास्तें सिलेक्शन बोर्ड के सामने आईं। उसमें डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर दोनों थे। उन्होंने १८ वर्ष से कम आयु वालों की जितनी भी अर्जियां आईं उनको वापिस कर दिया, किन्तु दो लड़के जो इन डाइरेक्टर साहब के रिश्तेदारों में थे एज़ ए स्पेशल केस उनका इन्टर्व्यू ले लिया गया। इन्टर्व्यू के बाद उनका सिलेक्शन कर लिया गया, लेकिन जब उनको परसरामद्वारे की स्कूल में ट्रेनिंग के लिये भेजा गया तो वहां के हैड मास्टर ने लिखा कि इनकी जो उम्र है वह १८ वर्ष से टेली नहीं करती, इनको लिया जाय या नहीं। तो उनके लिये डिपार्टमेंट से स्पेशल ऑर्डर होता है कि इन लोगों को फिलहाल ले लिया जाय, लेकिन कन्फर्म तब किया जाय जब कि इनकी आयु १८ वर्ष की हो जाय। एक तरफ तो आपका नोटिस है कि १८ वर्ष से कम आय वालों को इन पोस्टों पर लिया ही न जाय और दूसरी तरफ एज़ ए स्पेशल केस, हमारे यहां के डाइरेक्टर साहब कोम्पीटेन्ट थे, इसलिये उन्होंने दो आदमियों को ले लिया। यह इसलिये लिये गये कि डाइरेक्टर साहब को यह मालूम था कि आयन्दा वर्ष से मिडिल पास के लड़कों को नहीं लिया जायगा। इस तरह से एजुकेशन विभाग में जिनको लिया जाता है उनकी आय १८ वर्ष की

[श्री मानसिंह महार]

नहीं होते हुए भी उन्हें ले लिया जाता है । इस प्रकार की धान्धलियां होती है, यह बहुत गलत चीज है । इसलिये मैं शिक्षा-मन्त्री से निवेदन करूंगा कि दो केस जो मैंने बताये हैं, उनके नाम वगैरह अभी दे दूंगा, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये । मैं इसके साथ-साथ यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां के अफसरान द्वारा जांच करवाई गई तो इन्क्वायरी होने पर भी मामले को चश्मपोश कर देते हैं । अगर ये बातें सत्य साबित हो जायं तो उन अफसरान के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये और उन आदमियों को जिन्होंने एज़ ए स्पेशल केस रिकमन्ड किया है उनको बर्खास्त किया जाना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि जब एक स्कूल के अन्दर भेजा गया उस समय वहां स्कूल में ४० लड़के भर्ती हुये थे । दुर्भाग्य की बात है कि उन लड़कों की संख्या घटते-घटते ७ पर आ गई । जब यह हालत मैंने देखी तो मैंने आकर डिप्टी डाइरेक्टर साहब से निवेदन किया और उसके बाद उन्होंने बड़ा लम्बा-चौड़ा लेटर लिखा और उसकी जांच हुई । जांच के सिलसिले में जब शिक्षा विभाग के डिप्टी इन्सपेक्टर महोदय जांच करने पहुंचे तो वहां मास्टर साहब गैर हाजिर पाये गये । उसके बाद दो दिन पश्चात् डिप्टी इन्स्पेक्टर साहब फिर आये और उन्होंने पूछा, मास्टर साहब आपकी स्कूल के अन्दर कितने लड़के हैं । मास्टर साहब ने कहा कि १५ लड़के हैं, किन्तु आज दुर्भाग्यवश ८ लड़के गैर हाजिर हैं और ७ लड़के पढ़ने आये हैं पर वास्तव में ७ लड़के ही उस स्कूल के अन्दर पड़ते हैं । गांव वालों से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अध्यापक का व्यवहार अच्छा नहीं होने के कारण उन्होंने अपने लड़कों को स्कूल से निकाल लिया है । गांव वालों ने यह भी कहा कि लड़कों को तो क्लास में बिठा देते हैं और मास्टर अपने खेत में चला जाता है पानी देने के लिये, इसलिये हमारे बच्चे आवारा हो जाते हैं, अगर दूसरे अध्यापक को भेजा जाय तो हम फिर से यहां पर ४० लड़के करवा सकते हैं । लेकिन दो महीने होने आये, अभी तक इस बारे में किसी ने गौर नहीं किया । इस बारे में डिप्टी डाइरेक्टर कुम्भारे पर दबाव पड़ने के कारण इस बात को रोक लिया गया और इस बात पर कोई एक्शन नहीं लिया गया । दो दिन तक जो गैर हाजिर थे तो उसके बारे में असिस्टेन्ट इन्सपेक्टर द्वारा दरख्वास्त दिलाकर छुट्टी मन्जूर करवा दी गई, ताकि यह न मालूम हो सके कि वे मास्टर एब्सेन्ट थे । इस विभाग की कार्यवाही के बारे में मैं शिक्षा-मन्त्रीजी से उनके मुख्य-मन्त्री होने के नाते उनको समय का अभाव होते हुए भी निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान दें । अगर वे इस पर ध्यान देंगे तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय में तरक्की हो सकेगी और वे इस शिक्षा-विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में सफल हो सकेंगे ।

श्री मोतीराम चौधरी—माननीय अध्यक्ष, मैं गंगानगर जिले की स्कूलों के बारे कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में ५, ६ व ८ कक्षा तक की स्कूलें पिछली सरकार ने बनवाई थीं । इन स्कूलों के लिए इमारत बनाने में सरकार को एक भी पैसा नहीं लगाना पड़ा था । गांव के लोगों ने बीस-बीस और तीस- हजार रुपये लगाकर इमारतें बनवा दी थीं । सरकार को सिर्फ वहां मास्टर भेजने थे, किन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि उन मास्टरों को भेजने का काम अब तक नहीं हुआ । इस तरह से आठवीं क्लास के विद्यार्थी शिक्षा से वंचित रह जाते है और रह गये हैं । सरकार की यह नीति है कि जिस गांव में लोग अपने पैसे से इमारत बनवा कर

[श्री मोतीराम चौधरी]

दें वहां सरकार स्टाफ भेज देगी। अब सवाल यह है कि वहां के किसानों ने कई दफा शिक्षा मंत्री जी से कहा और डेपुटेशन लेकर भी मिलने आये; जहां तक मुझे याद है, यहां के उच्च अधिकारियों से भी मिले और उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि जहां-जहां मिडिल स्कूलें हैं वहां स्टाफ जल्दी से जल्दी भेज दिया जायगा। लेकिन अभी तक भी वहां मास्टर नहीं आये हैं। इस तरह से इस इलाके में पढ़ने वाले बच्चों का जो हाल हो रहा है यह आप जान सकते हैं।

अब मैं आपके सामने उन गांवों के नाम बताऊंगा जहां इमारतें बन चुकी हैं, किन्तु अध्यापक नहीं पहुंचे हैं। एक गांव दूदूवाला है तहसील सूरतगढ़ में, जहां के लोगों ने ३० हजार रुपये लगाकर एक इमारत बनवाई है। हालां कि यह गांव अकाल पीड़ित है फिर भी वहां के लोगों ने हिम्मत के साथ तीस हजार रुपये लगाकर स्कूल की इमारत बनवाई, लेकिन अध्यापक अभी तक नहीं पहुंचा है।

दूसरा गांव महीवाली है। यहां के किसानों ने भी एक-एक रुपया, दो-दो रुपया करके सब लोगों ने मिलकर करीब २५ हजार की लागत से स्कूल के लिए मकान बनवाया है, जिसको बनाये हुए एक साल का अर्सा हो चुका, किन्तु अभी तक वहां भी मास्टर नहीं पहुंचा।

दूसरा गांव है लालगढ़, जिसमें २५–२६ हजार रुपया लोगों ने इकट्ठा करके लगाया पर अब तक इस गांव में कोई मास्टर नहीं रहा। दौलतपुर एक गांव है पाकिस्तान की बोर्डर पर ही, पाकिस्तान से दो मील रह जाता है। वहां के लोगों ने ३० हजार रुपया इमारत पर लगाया पर मास्टर वहां पर भी नहीं। गंगानगर कॉलेज को डिग्री-कॉलेज बनाने में सरकार को पता है कि कितनी मेहनत पड़ी और इसके बावजूद जी वह एक नाम-मात्र का कॉलेज बनाया गया। सामान उसका अभी तक भी नहीं पहुंचा है।

दूसरी मेरी यह बात है कि गंगानगर कॉलेज के बारे में इस साल अगर इन्तजाम नहीं किया गया तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे नाम के कॉलेज से तो कोई फायदा नहीं।

दूसरा यह अर्ज करना है कि वहां ऐसे मास्टर रख दिये गये हैं कि जो पार्टीबाजी में पड़े रहते हैं, तोड़–फोड़ कराते हैं। जमीन्दारों के कुछ लड़कों को अपने पक्ष में लेकर स्कूल में झगड़े कराना और दूसरे बच्चों को पढ़ने से रोकना और झगड़े ही झगड़े करना, यह मास्टरों का काम रह गया है वहां पर। एक मास्टर हैं, उनका नाम व शकल-सूरत से नहीं जानता हूं। उनका पेशा यही है कि रोज झगड़े पैदा करना और लड़कों को बरगलाना। अभी इन दिनों में मुझे इत्तिला मिली है कि एक लड़के से उन मास्टर साहब का झगड़ा हो गया मामूली सी बात पर। मास्टर साहब ने उसको एक थप्पड़ मार दिया। उस लड़के ने कहा, मास्टर साहब आपको ऐसा नहीं करना था, अगर आपको सजा देनी थी तो और कोई सजा दे देते, सब लडकों के सामने थप्पड़ मारने से मेरी लड़कों में बड़ी बेइज्जती हो गई है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करता। इस पर मास्टर साहब ने अपने गुट्ट के जमीन्दारों के लड़कों को बुलाया और उनके द्वारा यह आयोजन बनाया और कहा कि इस लड़के ने मेरा सामना किया है इसको इसका नतीजा बताओ, उसकी अच्छी मरम्मत कर दो। इस बात पर वे लड़के उस लड़के के घर गये।

[श्री मोतीराम चौधरी]

बच्चा वहां नहीं मिला। उसका बाप वहां बैठा खाना खा रहा था। वे तीस-पचीस लड़के थे, उन्होंने उनके बाप को उसी समय पीटना शुरू किया, उसे बेहोश कर दिया। उसकी बेटी और औरत छुड़ाने आई तो उनको भी पीटा गया। यह शिक्षा के कारनामे हैं। इस तरह की बातें चलेंगी तो वे बच्चों को क्या शिक्षा देंगे; फूट डालेंगे एक दूसरे में या फिर पार्टीबाजियां बनावेंगे। ये मास्टर साहब वहां काफी अर्से से हैं। उनका क्यों नहीं तबादला होता है? वे उदयपुर के रहने वाले हैं।

मैं इन शब्दों के साथ प्रार्थना करूंगा कि इस मास्टर की पूरी तरह से जांच करवाई जावे, स्कूल में सामान नही है तो उसकी पूर्ति की जावे और डिग्री कॉलेज के सामान को पूरा किया जाय। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य एवं शिक्षा मन्त्री)—माननीय अध्यक्षजी, इस मांग के सम्बन्ध में काफी कट मोशन्स......

श्री अध्यक्ष—३०।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तीस के करीब पेश हुए और काफी वाद-विवाद भी हुआ। बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जिनका मैं क्या उत्तर दूं, इस वक्त उनकी जानकारी भी नहीं हो सकती। किसी महानुभाव ने किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत की, किसी ने एक स्कूल के बारे में कट-मोशन मूव किया कि स्कूल की इमारत वहां तैयार नहीं, अमुक कक्षा वहां खोली जाय जिनके विस्तार में जाना मुश्किल है। मैं तो मूल की बात कहना उचित समझता हूं जिसमें बहुत सी बातों का समावेश हो जावे।

सबसे पहले तो मैं यह अर्ज कर दूं कि यह सच बात है कि बहुत से शिक्षालयों में साधनों की कमी है; जिस तरह के साधन उपलब्ध होने चाहिये, वे नहीं हैं और इसको सुधारने के बारे में जितना अधिक से अधिक प्रयत्न किया जा सकता है, करना चाहते हैं। इमारतों की भी बहुत सी जगह कमी है। इमारतों के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि वहां के नागरिकों को भी इसमें काफी सहयोग देना चाहिये और सरकार भी इसके अन्दर जितना प्रयत्न कर सकेगी लोकल बोर्डों व एजुकेशन विभाग के जरिये या अन्य प्रकार से सहयोग देने की बात हम अवश्य करेंगे। हम भारत सरकार से, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में भी प्रयत्न में लगे हैं कि राजस्थान में बहुत से विद्यार्थियों के लिए होस्टल की फेसिलिटी कम है तो इसके लिए हमने भारत सरकार के सामने बड़े लोन के वास्ते लिखा-पढ़ी की है। अगर सफलता मिली तो मैं समझता हूं कि बहुत सी दिक्कतें आज जो बहुत सी कॉलेजों के लिए पैदा हो रही हैं उनमें भी काफी फरक पड़ेगा।

अध्यापकों के सिलेक्शन के सम्बन्ध में डिपार्टमेंट के अन्दर काफी भ्रष्टाचार फैला है, इसके सम्बन्ध में बहुत सी बातें रक्खी गई। मैं यह कह दूं कि भ्रष्टाचार कतई नहीं है तो मैं समझता हूं कि यह बहुत दूर तक जाने की बात होगी। इसी प्रकार यह कह दें कि जो कह दिया गया है वह सब ठीक

Page No.67

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है तो वह भी तथ्य से इतना ही दूर होगा। मैं मान सकता हूं कि कुछ उदाहरण होंगे, पर इन चीजों के बारे में अच्छा यह हो कि हम निष्पक्ष रूप से कुछ स्पेसिफिक बातें लावें जैसा कि एक माननीय सदस्य ने यह बात बताई, जिस पर विचार किया जा सकता है और विचार करना भी आसान है क्योंकि उन्होंने बताया कि एक सर्क्युलर था कि १८ साल से कम की उम्र का व्यक्ति काम पर नहीं लिया जावे, पर फिर भी इससे कम का व्यक्ति लिया गया। इसमें जांच करना आसान है, पर जनरल तौर पर यह कहा जावे कि सारे ट्रान्सफर्स और एपॉइन्टमेंट्स में भ्रष्टाचार फैल गया है; ऐसी बात की जांच कराना मेरे लिए भी मुश्किल है और आपके लिए भी साबित करना मुश्किल होता है। तो ऐसी बात का मैं क्या जवाब दूँ !

एक मित्र ने एक जगह के प्रिन्सिपल साहब के खिलाफ सभी तरह के दुनियां में जो चार्जेज हो सकते हैं लगाये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा और मैं अपनी ओर से उनको विश्वास भी दिलाता हूं कि जो बात उन्होंने कही है उसके लिये मैं गवर्नमेंट की तरफ से एक जिम्मेदारी अधिकार को नियुक्त करूंगा और वे उनको सहयोग देकर इस बात को साबित करावें क्योंकि मैं, रात-दिन ऐसी बातें बार-बार सदन में लाई जावें, यह नहीं चाहता; खास तौर से उन बातों के लिए जो हम साबित नहीं कर सकें। या तो वे ही बातें रखनी चाहिये जिनको पूरी तरह से साबित किया जा सके या फिर उन्हें रखना नहीं चाहिये; ऐसी बातों को जिनको हम साबित नहीं कर सकते उन बातों को कहना भी ठीक नहीं मालूम होता है और कहने के बाद में चुप रहें, यह भी बात नहीं होने दें।

श्री हंसराज आर्य—ये प्रिन्सिपल कहां के हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ये किशनगढ़ के हैं और मैं यह विश्वास दिलाता हूं सदन को कि इसकी जांच कराने के लिए हमेशा तैयार हूं।

श्री हंसराज आर्य—क्या आप इसके साथ-साथ गंगानगर के प्रिन्सिपल के बारे में भी इन्क्वायरी करवाएंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह एक स्थान का प्रश्न नहीं है, जहां के भी बारे में निश्चयात्मक रूप से कोई भी कोई चीज सामने लावें तो हम उस चीज को लेकर पूरी जांच करने के लिए तैयार हैं और यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे कोई फैक्ट्स सामने लावेंगे तो निश्चयात्मक रूप से इन्क्वायरी की जावेगी। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की भ्रष्टाचार की चीजों को तरजीह मिले। पर निश्चयात्मक रूप से व्यक्तिगत द्वेष को लेकर शिकायतें नहीं होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि किशनगढ़ के जिस अधिकारी के बारे में शिकायत की गई है उसमें काफी पर्सनल तरीके के अभियोग लगाये गये हैं और साथ ही यह जो कहा गया कि सरकार द्वारा यह नहीं हो सकता, वह नहीं हो सकता, यह कोई बात नहीं है। मैं साफ कह दूँ कि निश्चयात्मक रूप से अगर कोई बात कोई सदस्य कहेगा और वह अगर साबित हो जाती है, तो अवश्य एक्शन लिया जावेगा और अगर साबित नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि स्वयं सदस्य को इसका पश्चात्ताप होगा और फिर सदन में इस प्रकार की बात दुबारा नहीं दोहराई जावेगी; यह मैं चाहूंगा।

Page No.68

श्री चांदमल मेहता—मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसी प्रकार यह कहा गया गंगानगर के सम्बन्ध में। जहां तक जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया, मैं व्यक्तिशः बहुत-सी बातें इसकी जानता हूं और अब जिस घटना के सम्बन्ध में कहा गया है, मुझे पूरे विस्तार से हाल अभी तक मालूम नहीं हुआ है। केवल इतना ही मालूम हुआ है कि शायद इम्तिहान में एक लड़का नकल कर रहा था, उस वक्त नकल करते हुए वह पकड़ा गया और इसके बाद झगड़ा शुरू हुआ है। अब इसके अन्दर किसने क्या किया और क्या नहीं, इसके बारे में पुलिस में रिपोर्ट है और कुछ और कार्यवाहियां चल रही हैं। विस्तार से पता लगाने के बाद जो कुसूरवार है निश्चित तौर से उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा। किसी को बचाने और किसी का अनुचित पक्ष लेने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरे जो विचार हैं हमारे मित्र चौधरीजी भी जानते हैं और सभी जानते हैं, यह मैं जानता हूं।

ट्यूशन के मामले में यह कहा गया है कि बहुत से अध्यापक ट्यूशन करते हैं और इसकी वजह से पढ़ाई का नुकसान होता है। एक अर्थ में तो तथ्य यह है कि कुछ जगह पर इन चीजों पर बहुत ही जोर डालकर विद्यार्थियों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसमें कमी की जा सकती है। इस मामले में जितना प्रयत्न होगा वह हम अवश्य अपनी तरफ से करेंगे जिससे कि विद्यार्थियों पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जा सके।

संस्कृत की पढ़ाई के मामले में हमारे एक माननीय मित्र काफी उत्सुक मालूम हुए। मैं उनको यह जरूर कहना चाहता हूं कि संस्कृत के बारे में किसी अवज्ञा की दृष्टि से शिक्षा-विभाग नहीं चलना चाहता। संस्कृत भाषा आज के दिन भारतवर्ष में काफी महत्व की है। मैं आप से अर्ज करूं कि जोधपुर में संस्कृत के अध्ययन के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कहा गया है; तो जोधपुर डिविजन में, जोधपुर खास शहर में एक संस्कृत कॉलेज गवर्नमेंट रन करती है। इस वक्त आज के दिन जोधपुर में संस्कृत कॉलेज चलाया जाता है। राजस्थान बनने के बाद छठी, सातवीं व आठवीं कक्षा में संस्कृत को कम्पलसरी किया गया है। आज के दिन उन कक्षाओं के लिए वह कम्पलसरी है। इसके अलावा एक रिसर्च इन्स्टीट्यूट संस्कृत के लिए कायम करने जा रही है, जिससे कि संस्कृत की पढ़ाई के मामले में, संस्कृत के अध्ययन के मामले में ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित हो। युनिवर्सिटी के अन्दर भी ओरिएन्टल फेकल्टीज़ के बारे में एक तरह से उस चीज को रिकग्नाइज़ किया गया है। तो संस्कृत के प्रति कोई अवज्ञा को बात नहीं है।

संस्कृत के अध्ययन के लिए कॉलेजों में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में उसकी व्यवस्था है, वहां पर भी संस्कृत पढाई जाती है। तब भी मैं कह सकता हूं कि संस्कृत का काफी विकास हो जाता है। केवल संस्कृत शिक्षा जहां पढ़ाई जाती है तो इस मामले में दो अर्थ हो सकते हैं कि केवल संस्कृत के विकास के लिए ही संस्कृत का पढ़ाना आवश्यक है। तो आगे जाकर, अध्यक्ष महोदय इस जमाने में ज्यादातर यह चाहते हैं कि एक जगह पढ़कर वह सर्विस में जायं, दूसरे काम-काज के लिए जायं तो वह कॉलेज की शिक्षा काम आये। पहले के तरीके की चली आ रहे हैं कुछ स्कूलें और पाठशालाएं, जिनमें रद्दोबदल करने की आवश्यकता निश्चित तौर से है, और उस रद्दोबदल से

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

संस्कृत के अध्ययन के लिए जितना विकास कर सकते हैं, उसकी तरफ उतना ध्यान देना चाहिये जिससे कि हमारा लक्ष्य पूरा हो, और जो यहां अध्ययन करने वाले हैं वे स्कूल और कॉलेज के बाद जीवन के अन्दर उपयुक्त स्थान पायें। ऐसा नहीं हो कि कोई स्थान न पायें, जो मुश्किलें सामने आती हैं, उन्हें हल करें।

ज्योतिष विज्ञान को स्कूल और कॉलेज में पढ़ाने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। यह तो परम्परा के अध्ययन के जरिये लोग-बाग ग्रहण करते आये हैं। मुझे नहीं मालूम है कि भारतवर्ष में कहीं बाकायदा इसका अध्ययन कराया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे इस विषय के जो विद्वान् हैं वे जानते होंगे, लेकिन इस प्रकार के कम स्थान हो सकते हैं। यह अध्यक्ष महोदय, मैं अभी कहने में असमर्थ हूं। इसलिए इस प्रश्न पर नहीं कहा जा सकता है, यह विचाराधीन प्रश्न है। मैं यह कह दूं कि न यह सम्भव है और संभव हैं भी; मैं समझता हूं, यह जरा जल्दी कहना होगा। इसलिए मैं इसको यहां छोड़ना चाहूंगा।

यह बहुत से भाषणों में कहा गया है कि अध्यापक लोग अपने स्थान पर पहुंचते नहीं हैं और कई स्कूलों के अध्यापक लोग इधर-उधर चले जाते हैं। नियुक्तियों के बारे में कहा कि बहुत सी जगह स्कूलों में (नियुक्तियां) कायम हो गई, लेकिन अध्यापक नहीं पहुंचे। कई जगह और और लोगों ने इमारतें तैयार कर दीं, लेकिन पढ़ाने के लिए अध्यापकों की व्यवस्था नहीं है। किस चीज पर क्या हुआ कई शिकायतें हैं, पर विस्तार से मैं, न मालूम क्यों इसके डिटेल्स में इस वक्त जाने की स्थिति में नहीं हूं। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि इस प्रकार की बातें अगर आयें तो भी जुलाई के महीने में जब कि आम तौर से नये स्कूल खुलते हैं उस वक्त में वे हमारी जानकारी में उन चीजों को ले आवें जिससे, मैं समझता हूं, जो व्यवस्था करनी हो, उस व्यवस्था के करने में सहूलियत पैदा हो और वह व्यवस्था की जा सके; जहां कि मास्टर नहीं गये हों वहां मास्टर भेजे जा सकें। यह होता है, अध्यक्ष महोदय, कि कई बार इन्टरव्यूज़ में बहुत से अध्यापक आते हैं, लेकिन जब उन अध्यापकों को गांवों में आम तौर से भेजा जाता है तो बहुत से अध्यापक गांव छोड़कर चले जाते हैं, और जो व्यवस्था सिलेक्शन के जरिये होती हैं उसमें डिपार्टमेंट यह समझता है कि वह सिलेक्ट कर लिये गये हैं; लेकिन सिलेक्शन के बाद में वे टीचर्स नहीं पहुँचते हैं, उससे भी वहां गेप पड़ता है। दूसरा यह भी होता है कि कुछ व्यक्ति स्वभाव से ऐसे होते हैं कि जो मौका पाते हैं कि सुपर्विजन पूरा नहीं हो रहा है तो यह समझ कर हो सकता है; इधर-उधर चले जाते हैं और लड़कों का पूरा अध्ययन नहीं होता है। तो सुपर्विजन के सम्बन्ध में मैं आपसे अर्ज करूं कि इसे हम खर्च करने की कोई व्यवस्था नहीं करते हों, ऐसी बात नहीं है। हम हर जिले में बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तियों की, आपने बजट में देखा होगा, पूरी व्यवस्था करके चल रहे हैं। इन्सपेक्टर, डिप्टी इन्सपेक्टर, सब-इन्सपेक्टर, असिस्टेन्ट इ स्पेक्टर आदि रखे हैं जिसकी वजह से जहां जहां पाठशालाएं जिले में चल रही हैं उनके बारे में पूरा-पूरा ध्यान दिया जा सके......।

श्री हंसराज आर्य—ओन ए प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जब प्राइमरी स्कूल खोले जाते हैं तो क्लास पांच तक क्यों नहीं खोले जाते हैं......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—क्या बोले आप समझ में नहीं आया ?

श्री हंसराज आर्य—प्राइमरी स्कूल गांव में नये खोले जाते हैं तो पांचवी क्लास तक हर गांव में हो जाने चाहिए; लेकिन वहां दूसरी और तीसरा क्लास तक के पढ़े हुए मास्टर दिये जाते है। क्वालिफिकेशन कुछ न कुछ बढ़ना चाहिए......।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नये स्कूल खोले जाते हैं तो एक साथ पांचवीं तक नहीं खोले जाते हैं।

श्री जवानसिंह—इसमें प्वॉइन्ट ऑफ ऑर्डर क्या हुआ, यह सदन की समझ में नहीं आया !

श्री मोहनलाल सुखाड़ियां—वह सूचनार्थ है।

(क्रम में) तो मैं आपसे अर्ज करूं कि वे शुरू से खोले जाते हैं और पांचवीं क्लास तक जाने के बाद आगे होता है, क्योंकि उसके लिए शुरू में पैसा नहीं रखते हैं। उसी खयाल से प्राइमरी स्कूल शुरू से होता है। शुरू में ही आगे की पढ़ाई नहीं होती है। जहां विद्यार्थी ज्यादा हैं वहां यह कर दिया जाय, इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे। शुरू में करना तो बड़ा मुश्किल होगा, वह नहीं हो सकता है।

एक हमारे मित्र ने अध्यापकों के फिक्सेशन के सम्बन्ध में फरमाया। मैंने एक प्रश्न के उत्तर में अर्ज किया था कि आम तौर से इन्टिग्रेशन और फिक्सेशन का जहां सवाल पेंडिंग है उनको जल्दी से जल्दी हल करना चाहते हैं। उसमें शिक्षा-विभाग का भी समावेश हो जाता है। उनके अध्यापकों का ही नहीं क्लार्क्स हैं उनका भी करना चाहते हैं। सब की जहां फाइनेलिटी करने की बात कहते हैं तो इस प्रश्न पर यह कहना कि नहीं होगा, कोई तथ्य जैसी बात नहीं है। हम इसको जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयत्न करेंगे।

इन्टर कॉलेज, किशनगढ़ में साइन्स इन्ट्रोड्यूस करने के बारे में कहा।

श्री चांदमल मेहता—सभी कॉलेजेज के लिए है, किशनगढ़ के लिए ही नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—सभी कॉलेजेज़ के लिए है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करूंगा कि जहां इन्टर कॉलेज खोले जायं वहां साइन्स सब्जेक्ट सब जगह इन्ट्रोड्यूस वाली बात जो अभी कही गई है तो यह प्रश्न दरअसल में विभाग के सामने विचाराधीन चल रहा है कि ये इन्टर कॉलेज रखे जायं या उनके बजाय मल्टी पर्पज़ स्कूल्स ११वीं क्लास तक कर दिये जायं जो कि आगे जाकर हमारी शिक्षा का आधार बनने वाला है और जिसको हमने स्वीकार किया है। एक तरफ सेकन्डरी एजुकेशन ११वीं क्लास तक होगी और उसके बाद ३ साल का डिग्री कोर्स होगा, जो कि मल्टी पर्पज़ स्कूल स्कीम के अनुसार हमें आगे करना होगा। इन्टर कॉलेज के अन्दर साइन्स

इन्ट्रोड्यूस करने की बात क्या; जहां इन्टर कॉलेज खने हैं तो यह देखकर तय करना होगा कि वहां कितनी आवश्यकता है और हमारे पास में कितने साधन हैं। सब जगह साइन्स इन्ट्रोड्यूस करना आसान बात नहीं है।.......

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ के बारे में कह दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—किशनगढ़ के बारे में और न किसी हाई स्कूल के लिए हां करने वाला हूं और न सब के लिए हां करने वाला हूं। मैं, अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ आधार हमें तय करना है कि अमुक आबादी या अमुक क्षेत्र में या अमुक वहां की कन्डीशन्स को देखते हुए, जहां प्राइमरी स्कूल की आवश्यकता होगी वहां प्राइमरी स्कूल खोलेंगे और जहां आस-पास बहुत से प्राइमरी स्कूल्स हैं और जहां मिडिल स्कूल्स कम हैं वहां पर मिडिल स्कूल्स की व्यवस्था की जाय।

इसी प्रकार के अन्य स्कूलों के मामले हैं, कॉलेजों के मामले हैं। कुछ आधार तय करके हमें आगे बढ़ना होगा, वर्ना कई कट-मोशन्स आ जायेंगे। आज किशनगढ़ के माननीय सदस्य ने कट-मोशन मूव किया, इसलिये मैं उनके कहे अनुसार करदूं तो कल कट-मोशन्स बहुत सारे पेश हो जायेंगे। सारी सूरतों को देखते हुए आधार तय करना होगा...

श्री कपिलदेव—वह आधार कब तक तय कर लेंगे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह आधार अप्रेल में पूरा कर लेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सीकर भी एक जिला है, उसका भी ध्यान रखें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप मौजूद हैं तब तक सीकर जिला भी मौजूद है।

टीचर्स के मामले में कई बार प्रश्न आते हैं, इस बार भी प्रश्न आये हैं। कुछ महानुभावों ने तनख्वाह देरी से मिलने के बारे में कहा। तनख्वाह बढ़ने का जहां तक प्रश्न है मैं समझता हूं आर्थिक स्थिति गवर्नमेन्ट की ठीक हो तो तनख्वाह बढ़ाई जाय। इस मामले में दो रायें नहीं हो सकतीं, लेकिन इस साल के बजट को देखते हुए इस बहस के बड़े दौरान में कहना कि तनख्वाह बढ़ाई जायगी या क्या किया जायगा, इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। ये प्रश्न आर्थिक स्थिति को देखकर ही तय होते हैं, जो बात होगी सरकार विचार करके तय करेगी।

एक मित्र ने विद्यार्थियों के चरित्र-निर्माण संबंधी बातों पर काफी जोर दिया। इस प्रश्न पर भारत सरकार का शिक्षा विभाग और राजस्थान का शिक्षा विभाग भी विचार कर रहा है। किस प्रकार का वातावरण तैयार किया जाय और किस प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर विचार चल रहा है। मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों में अनुशासन होना चाहिये। जैसा ख्याल है कि राजस्थान के विद्यार्थियों में अनुशासन नहीं है, ऐसा समझना गलती है। मैं समझता हूं कि विद्यार्थियों में काफी अनुशासन है और आम तौर से हमारे यहां के विद्यार्थियों ने अच्छे ढंग से काम किया है और उनकी कोई शिकायत नहीं है, जिसके कारण हम समझें कि उनमें अनुशासन की कमी है।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

जिन अध्यापकों की योग्यता बढ़ जाय उनका ग्रेड बढ़ने की बात भी कही गई। मैं समझता हूं कि इस बारे में पहले भी कहा जा चुका है और वह कार्यवाही नहीं हो रही है। ऐसा माननीय सदस्यों का कहना था कि वह कार्यवाही क्यों नहीं हुई, इसकी जांच करने के बाद तय करना होगा।

राजस्थानी भाषा की बात हमारे माननीय मित्र ने ऊंट के नाम लेकर कही; छोटे से बड़ी उम्र तक के नाम गिनकर बताये और कहा कि राजस्थानी भाषा में बहुत साहित्य है इसलिये राजस्थानी भाषा नीचे की क्लासेज़ में पढ़ानी चाहिये बल्कि उनका विचार यह था कि उसके जरिये माध्यम तय करके शिक्षा देनी चाहिये। मैं अर्ज करता हूं कि राजस्थानी का वैकल्पिक तौर पर अधिक से अधिक प्रसार हो, तरक्की हो इसके लिये प्रयत्नशील हैं। इसके बाद आज के दिन मैं कहूं कि राजस्थानी भाषा का नीचे से अध्ययन शुरू होना चाहिये, यह संभव नहीं हो सकता। राजस्थानी को स्वीकार करना और उसके आधार पर चलना, इसके लिये वे मित्र मुझे क्षमा करेंगे; मैं इसमें असमर्थ हूं।

जिस नीति पर हम चलना चाहते हैं उस संबंध में पहले भी मैंने अर्ज किया था। एक मित्र ने कहा कि बेसिक स्कूल्स थोड़े से बदलने में क्या होगा? बेसिक स्कूल्स की बात पर जिस तेजीसे बढ़ने की बात सोचते हैं वह उतनी आसान नहीं है क्योंकि इसके लिये सबसे अधिक जरूरी बात यह है कि शिक्षक ट्रेन्ड हों। जब तक शिक्षक ट्रेन्ड नहीं हैं तब तक खाली नाम चेन्ज करने से और यह कहने से कि सारे स्कूल्स बेसिक स्कूल्स हो गये, काम नहीं चलता। इसलिये सबसे पहला कदम हमने यह उठाया है कि हमारे यहां जितनी भी ट्रेनिंग स्कूल्स हैं उन सबको बेसिक ट्रेनिंग स्कूल्स में चेन्ज कर दिया, जिससे आयन्दा जो भी शिक्षक वहाँ जायेंगे और ट्रेन्ड होकर आवेंगे वे सब बेसिक ट्रेनिंग पाये हुए हों, ताकि हम उनको बदलते चले जायं बेसिक स्कूल्स में। इसके साथ साथ हम यह करना चाहते हैं कि स्कूलों में कुछ क्राफ्ट्स का काम भी शुरू करें ताकि क्राफ्ट्स के जरिये बेसिक शिक्षा मिलती जाय; जैसे यू. पी. ने किया है। यू. पी. में कुछ जमीन स्कूलों के साथ लगाई गई है। वहां विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग साथ साथ देने की व्यवस्था की गई है। इसी तरह से हम राजस्थान में भी जहां जहां संभव होगा स्कूलों के साथ साथ कुछ जमीन अटेच करना चाहते हैं, जिनके जरिये आम तौर से गांवों में किसानों के बच्चे आते हैं; उन लोगों के लिये ऐसा वातावरण और काम करने के लिये जरिया जो शिक्षा प्राप्त करने का सार्वभौम गुण मान्य होता है उसका लाभ उठा सकें और उनको पूरी तरह से विकास करने का अवसर मिल सके। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, हम यह चाहते हैं कि जो राजस्थान में गैर सरकारी तौर से चलनेवाली सार्वजनिक संस्थाएं हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहन देकर, हमारे जरिये जितना संभव हो उतना हम करें और भारत सरकार के जरिये जितना हो सके उतना उनके जरिये जो मदद दी जाती है, उतना अच्छी संस्थाओं को सहयोग देकर उनके द्वारा राजस्थान में शिक्षा में तरक्की करने का ज्यादा प्रयत्न किया जाय। हमने बजट में कुछ रुपये ज्यादा रखे हैं। इस ख्याल से हम सार्वजनिक हित का ज्यादा ख्याल करके लोगों में इस बात की वृत्ति पैदा करना चाहें कि हाई स्कूल्स और कॉलेजेज़ जो हैं उनकी हरएक की सरकार पर जिम्मेदारी है; यह भावना कम हो सके, ऐसा प्रयास करना चाहिये। शिक्षा प्रसार के बारे में कई राज्यों में आम तौर से सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं। वे बहुत बड़ा कार्य करती हैं लेकिन राजस्थान में यह स्थिति बन गई है कि कॉलेज हों तो सरकार के हों,

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

हाई स्कूल्स हों तो सरकार के हों। यह एक गलत भावना बन गई है कि सारे मामले में नीचे से ऊपर तक सरकार का ही हाथ होना चाहिये। यह कल्पना दृढ़ होती जा रही है। यह मूल में उचित नहीं है। सरकार पर प्राइमरी एजुकेशन की जिम्मेदारी आती है और माननीय मित्रों ने कहाकि प्राइमरी स्कूलों को कंपलसरी करने में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जितनी अपनी आर्थिक गुंजायश है उसके अनुसार जो स्कूल्स आगे बढ़ रहे हैं हर साल उनकी संख्या काफी है। हर साल प्राइमरी स्कूल्स काफी तादाद में खुल रहे हैं। इसका लक्ष्य यह है। कि आगे जाकर इस तरह हो जांय कि शिक्षार्थी पूरी तरह से आवें। आने वाले सालों में हमारे यहां लिट्रेसी का पर्सेन्टेज काफी ऊंचा बढ़ जायगा और पहले से काफी लोग अधिक पढ़ते जा रहे हैं व इसमें काफी वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में और ज्यादा प्रयत्न करके हमें यह सोचना होगा कि गांवों में ज्यादा से ज्यादा स्कूलें खुलें। इसका अवश्यंभावी प्रभाव होगा। गांवों में जो निरक्षरता है वह दूर होकर ज्यादा जागृति पैदा होगी।

अलग अलग तौर से कई बातें कही गई। कई स्कूलों के मामले में, व्यक्तियों के मामले में और कुछ प्रश्नों के संबंध में बातें कही गई हैं। सदन के बाहर भी ऐसी चर्चाएं हो सकती हैं और उनके हल निकल सकते हैं। ये पोलिसी की बातें नहीं हैं, इसलिये मैं उनके बारे में यहां कुछ नहीं कह रहा हूं। मैंने जो बातें यहां कहीं हैं उनके बारे में मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी ऐसी बातें हों तो हम आपस में बैठ कर ठीक कर सकते हैं।

अतः निवेदन है कि जिन महानुभावों ने कट-मोशन्स मूव किये हैं वे वापिस लेकर इस मांग को स्वीकार करेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी--गांवों में स्कूलों की छुट्टियों के बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--जहां तक प्राइमरी स्कूलों के वेकेशन्स का सवाल है, सरकार ने यह तय किया है कि उनके वेकेशन्स खेती-बाड़ी के मौके पर किये जावें।

(करतल-ध्वनि)

श्री चांदमल मेहता--मेरे इस डिमान्ड पर ६ कटौती के प्रस्ताव थे और कटौती के प्रस्ताव रखने का मकसद मैं यह मान कर चला था कि कटौती के प्रस्ताव के बारे में निश्चित जवाब दिये जायेंगे। अभी तक उम्मीद यह रखी थी कि कटौती के प्रस्ताव के बाहर की बातें हों तो जवाब देने में मन्त्री महोदय को दिक्कत हो सकती है, इसीलिये कटौती के प्रस्ताव भेजे जायं तो इसके माने यह होते हैं कि जानकारी हासिल करके निश्चित जवाब दिया जावे। कटौती के प्रस्ताव मन्त्री महोदय के पास काफी समय पहिले पहुंच चुके थे और उनका जवाब आवश्यक जानकारी प्राप्त कर अवश्य दिया जाना चाहिये था। कटौती के प्रस्ताव के बाहर की बातें हों तो उनका जवाब तो न भी दिया जाय तो और बात है, परन्तु जो कटौती के प्रस्ताव में बातें रखी हुई हैं उनका तो कम से कम जवाब मिलना चाहिये। ग्राम नौसल के बारे में मैंने कटौती का प्रस्ताव रखा कि ८ महीने हो गये, सरकार के पास

[श्री चांदमल मेहता]

आवेदन-पत्र दिये; पर अभी तक सरकार की ओर से कोई उत्तर नहीं मिला है। इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ भी नहीं फरमाया, फिर भी मैं यह मानकर कि वे इस मामले में जल्द से जल्द पूरी कार्यवाही करेंगे, अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव था, अध्यापकों के ऊपर जो रेस्ट्रिकेशन उनके आगे की पढ़ाई पर लगा हुआ है उसके सम्बन्ध में। उसके बारे में भी माननीय मन्त्री महोदय ने एक भी शब्द नहीं कहा...

श्री अध्यक्ष—रेस्ट्रिकेशन नहीं, रेस्ट्रिक्शन।

श्री चांदमल मेहता—हां, तो जो अध्यापकों पर रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में भी माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, फिर भी मैं यह मानते हुए कि वे इस रेस्ट्रिक्शन को हटायेंगे, अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--आप भावना पर न चलिये।

श्री चांदमल मेहता—आपने क्या जवाब दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने न 'हां' किया है, न विरोध किया है।

श्री चांदमल मेहता—न 'हां' और न 'ना' की यह जो प्रणाली है, यह ठीक प्रणाली नहीं है। फिर भी न 'हां' और न 'ना' की इस प्रणाली को भी यह मान कर किया। इस पर सरकार विचार करेगी, अतः मैं अपना दूसरा कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहूंगा।

मैंने भ्रष्टाचार के चार्ज लगाये, उसके बारे में मन्त्री महोदय ने कहा कि पहले पर्सनली बात कर लेते, सदन में जोर-जोर से बोलने से कुछ नहीं होता है। इसके बारे में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मैंने अपने भाषण के दौरान में कहा कि मैंने उप-मन्त्रिणीजी के सामने यह सब रखा था, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। इसलिये आज यहां रखना पड़ा, नहीं तो मौका ही नहीं आता। एक बात मैं यह कह देना चाहता हूं कि मैं जो भी बात सदन में कहना चाहता हूं वह सच और पूरी जांच के बाद जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं। चाहे मन्त्री महोदय जांच करवा कर देख लें, यह बात सही निकलेगी। किसी ईमानदार व्यक्ति को जांच के लिये भेजेंगे तो मालूम हो जायगा कि सच्चाई क्या है।

दूसरी और कुछ निश्चित बातें कही थीं। शिक्षकों को मैट्रिक और इन्टर के ग्रेड देने के लिये जो इन्टरव्यू हुआ उसके रिजल्ट को इतने अर्से तक डाइरेक्टर ने अपनी ओर से पेन्डिंग रखा, इसकी जांच अगर करोगे तो पता चलेगा कि और किन्हीं दूसरे कारणों से ऐसा नहीं किया गया है, अधिकारियों को ओब्लाइज करने के लिये ऐसी गड़बड़ी की गई है तो ऐसे अधिकारियों को क्या सजा दी जाय ? इसके बारे में न 'हां' और न 'ना' की उदासीनता रखी है। फिर भी मैं कुछ आशा रखते हुए इस कटौती के प्रस्ताव को भी वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहूंगा।

[श्री चांदमल मेहता]

मेरे कुछ और कटौती के प्रस्ताव हैं। प्राइमरी स्कूलों में रिलीविंग टीचर्स रखने आदि के बारे में, कटौती के प्रस्ताव रखने पर भी जवाब नहीं मिला तो फिर कटौती के प्रस्ताव रखने के माने ही क्या रह जाते हैं? फिर भी यह मानते हुए कि माननीय मन्त्री महोदय इस पर विचार अवश्य करेंगे, इस तरह के शब्द कहते हुए मैं अपने सारे कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

महाराज श्री केसरीसिंह—मेरे इस डिमान्ड पर दो कटौती के प्रस्ताव थे। मुख्य मन्त्रीजी ने फरमाया कि पर्सनल तरीके से बातें कही जाती हैं, यह सरासर गलत है। जो वास्तविकता है वही कही जाती है और इसके लिये मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया जाता है। तनख्वाह के लिये जिक्र किया कि तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा सकती। इसके लिये प्रार्थना करूंगा कि व्यापार जो अध्यापक लोग करते हैं वह तो कम हो जाना चाहिये।

तलवास स्कूल के लिये साढ़े तीन हजार की रकम सरकार और जनता दोनों की लग चुकी है। यह रकम जो लग चुकी है वह फालतू न जावे, इसकी ओर सरकार को गहराई में जाना चाहिये। इसके लिये यह कटौती का प्रस्ताव रखा गया था, पर इसका कोई जवाब नहीं मिला। फिर भी यह आशा रखते हुए कि इसके बारे में जरूर विचार किया जायगा, मैं अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री चांदमल मेहता ने जो कटौती के प्रस्ताव रखे हैं, उन्हें वापिस लेने की आज्ञा दी जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने सभी कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री केसरीसिंह अपने कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहते हैं; क्या आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री खेतसिंह—मैं अपने दोनों कटौती के प्रस्तावों के उत्तर से सन्तुष्ट हूं, अतः दोनों कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

Page No.76

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री खेतसिंह को उनके कटौती के प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री तनसिंह को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भोपालसिंह—मेरे कटौती के प्रस्ताव पर मंत्री महोदय ने कोई प्रकाश नहीं डाला है। शिक्षा मन्त्री मुख्य मन्त्री भी हैं, उनके प्रति मेरे दिल में आदर भाव है, मुझे उनमें विश्वास है (करतल-ध्वनि) इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं। मेड़ता हाईस्कूल में कमरों की कमी है, उसके बारे में आश्वासन देते तो तसल्ली हो जाती; फिर भी मुझे उनके प्रति विश्वास है।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री भोपालसिंह को उनका कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भोपालसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण हीरात।

श्री लक्ष्मण हीरात—मेरे कटौती के प्रस्ताव पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है, फिर भी काफी बातें कही हैं उनसे मुझे सन्तोष है, इसलिए मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री लक्ष्मण हीरात को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री लक्ष्मण डोरात—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री जवानसिंह—राजस्थान के यदि दो हिस्से किये जायं; एक अरावली के उस पार का और दूसरा हिस्सा इस ओर का तो एक हिस्से में एक संस्कृत कॉलेज है। मन्त्री महोदय ने जोधपुर के लिए कहा कि जोधपुर में संस्कृत कॉलेज है। मेरी जानकारी में तो जोधपुर में कोई संस्कृत कॉलेज रन नहीं किया जाता। हां, संस्कृत पाठशाला को सरकार की ओर से मदद दी जाती है। स्कूलों में जो संस्कृत की शिक्षा दी जाती है उसी से राजस्थान के विद्यार्थी संस्कृत शिक्षा में प्रगति कर सकते हैं, इसको मैं नहीं मानता।

न मन्त्री महोदय ने इस ओर ध्यान दिया; जैसा कि मैंने अपने कटौती प्रस्ताव में चाहा था कि विशेष रूप से संस्कृत पढ़ाने के लिए सुविधा दी जाय। मैं मानता हूं कि स्कूलों में इसके लिये क्लासेज़ हैं, वहां संस्कृत पढाई जाती है पर दो-चार ज़िलों में इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि वहां संस्कृत पढ़ाने का विशेष रूप से प्रबन्ध होता तो सुविधा ज्यादा रहती। लेकिन उन्होंने इस बात के लिये ख्याल नहीं किया और कहा कि दूसरी पढाई होती है उसके साथ-साथ संस्कृत का एक पीरियड रखा जाता है जिससे उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है। मैंने विशेष क्षेत्र के लिये जो संस्कृत को शिक्षा का एक बहुत बड़ा अङ्ग मानते आये हैं और जिन्होंने संस्कृत भाषा में काफी उन्नति की है वे लोग यह चाहते हैं कि उनको इस संबन्ध में सुविधा प्राप्त हो। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय चीफ मिनिस्टर फिर से इस पर विचार करेंगे और जहां तक संभव हो, दूसरी जगह इसके लिये पाठशालाएं खोलने की कोशिश करेंगे। मैं इस विश्वास को लेकर और सदन को निवेदन करते हुए अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री जवानसिंह अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं, क्या हाउस की अनुमति है?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री जवानसिंह—मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो ४ कटौती के प्रस्ताव श्री श्रीदास गोयल ने रखे हैं वे स्वीकार किये जायं?

(अस्वीकृत)

चारों कटौती के प्रस्ताव गिर गये।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या १६, मेजर हैड ३७–शिक्षा के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४,००,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

अनुदान की मांग स्वीकार की गई।

(करतल-ध्वनि)

श्री अध्यक्ष—क्या अब गुलेटिन लगा दिया जावे ?

श्री जवानसिंह—कल का दिन विशेष तौर से मिला है, इसलिये अभी गुलेटिन लगाना वाजिब नहीं।

श्री मथुरादास माथुर—कल जनरल क्लॉजेज़ बिल पास होगा। मेरा ख्याल है कि अब गुलेटिन लग जाना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, एप्रोप्रिएशन बिल पास होकर राज-प्रमुख के पास से आने में दो दिन का समय लग जाता है, इसलिये एप्रोप्रिएशन बिल को जल्दी पास करके भेज दिया जावे तो ठीक होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—यह बात गलत है......

श्री अध्यक्ष—समय का प्रश्न है।

(समय के संबन्ध में अनौपचारिक चर्चाएं।)

श्री अध्यक्ष—Order please ! Shri Bhogi Lal Pandya.

मांग संख्या ४२–सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग एवं व्यवसाय मंत्री)— अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४२, मेजर हैड ८५ का– सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २५,६३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष—अब जिनके कट-मोशन्स होंगे, उनको कट-मोशनों पर बोलने की इजाजत देंगे।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४२, मेजर हैड ८५ का-सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २५,६३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

यह मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ४३-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४३ मेजर हैड ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,५६,-४४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री एच. के. व्यास।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४३, मेजर हैड ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,५६,४४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या ३४-सामुदायिक विकास परियोजनाएं

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३४, मेजर हैड ६३ खा-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,१३,-१३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष मैं अपना कटौती का प्रस्ताव मूव नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष—श्री तेजमल बापना

(अनुपस्थित)

श्री श्रीदास गोयल

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिए मांग संख्या ३४ मेजर हैड ६३ ख-सामुदायिक विकास परियोजनाओं के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,१३,१३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे । इस मांग को स्वीकार की जावे ।

(स्वीकृत)

अनुदान के लिये मांग स्वीकार की गई ।

मांग संख्या १५-वैज्ञानिक विभाग

श्री भोगीलाल पंड्या—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिए मांग संख्या १५, मेजर हैड ३६-वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १५,४२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत हुई ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—[निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः—

"जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी के बारे में असन्तोषप्रद नीति पर विचार प्रकट करने के लिये" ।]

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो कट-मोशन है उसका मतलब यह है कि जो जिप्सम और उसके साथ-साथ दूसरी चीजें हैं, उस जिप्सम के लिये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । इससे काफी लाखों रुपये सरकार को सालाना पैदा होने के बावजूद भी बजट में नहीं आते हैं । इसलिये मैं कहूं कि जिप्सम से यहां पर हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा खाद पैदा होती है और इसका जो एरिया है वह भी काफी लम्बा है; जिप्सम से सरकार को आज करीब ४०-५० लाख रुपये की सालाना आमदनी हो सकती है जिससे राजस्थान की काफी धन-राशि बढ़ सकती है । राजस्थान में एक ऐसा एरिया है जिसमें जिप्सम बहुत होता है । लेकिन इस थोड़े से भाग में काम होता है और बाकी भाग में काम नहीं हो पाता है और आज भी सरकार इस उद्योग पर किसी तरह का विचार नहीं कर पाती कि इस एरिया को सेन्ट्रल गवर्नमेंट लेकर दूसरों को दे दे ।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—आपका कटौती का प्रस्ताव तो मुलतानी मिट्टी के बारे में है, जिप्सम के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मुल्तानी मिट्टी के बारे में आपका कट-मोशन है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरे दो कट-मोशन्स हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—मुल्तानी को फुलर्स अर्थ कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी दोनों के बारे में असंतोष है।

श्री मुक्तिलाल मोदी—इसलिये जिप्सम के लिये राजस्थान सरकार को आज से ३ या ४ साल पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखना चाहिये। राजस्थान सरकार ने एक दफा भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को यह नहीं लिखा कि चम्बल डेम जो बन रहा है उसके लिये खाद कहां से आवेगा। सिन्दरी फैक्ट्री से जिप्सम जाता है उसका किराया २०-२२ रुपया होता है और वहां से वापिस आता है उसका फ्रेट ४४ रुपये होता है। उस जिप्सम का यहां पर अगर फर्टीलाइजर का कारखाना होता तो ४४ रु० फी टन का नहीं होता और उसकी कीमत अलग ही होती। आज की जो हालत है उसको देखते हुए तो ४४ रु० फी टन और ३-४ रुपये दूसरा खर्चा, इस हिसाब से ४८ रु० फी टन जिप्सम का पड़ता है। तो माननीय अध्यक्ष, राजस्थान सरकार के पास जिप्सम का इतना बड़ा डिपोज़िट होते हुए भी और हिन्दुस्तान में दूसरा नहीं है, लेकिन फिर भी हिन्दुस्तान के दूसरी जगहों के लोग जिप्सम का इतना बड़ा डिपोजिट न होते हुए भी फर्टीलाइज़र का कारखाना लगाने की काफी कोशिश करते हैं, काफी मेहनत करते हैं और भारत सरकार को भी काफी कहते हैं कि हमारे यहां फर्टीलाइजर का कारखाना खुलना चाहिए। परन्तु राजस्थान सरकार इस फर्टीलाइजर के कारखाने को अपने यहां खोलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करती, बावजूद इसके कि आज से २० वर्ष से पहले एक कोई बिहार की फर्म आयी थी और उसने यह रिपोर्ट पेश की थी कि राजस्थान में सबसे बढ़िया जिप्सम होता है और राजस्थान में फर्टीलाइजर का कारखाना खुलना चाहिए। राजस्थान सरकार उस ओर ध्यान न देकर दूसरी-दूसरी बातों की ओर ध्यान देती है, परन्तु वह नहीं देखती और ऐसा नहीं करती कि आज हम इतने बड़े-बड़े बांध बना रहे हैं और उनमें करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं परन्तु बांध बनाने के बाद खाद की क्या स्थिति होगी और जब खाद की जरूरत पड़ेगी तो वह सिन्दरी फैक्ट्री से खरीद करके जनता को बांटना पड़ेगा और उसकी उस हालत में कीमत क्या होगी? गरीब जनता को महंगा खरीदना पड़ेगा। मैंने यह बताया था कि खाद आने पर उसको किस-किस तरीके से काम में लाया जाय। अगर फर्टीलाइज़र का कारखाना राजस्थान में होता तो खाद की कीमत एक टन की ज्यादा से ज्यादा १० रु० होती, परन्तु उसी खाद की कीमत राजस्थान में ४८ रु० या ५० रु० फी टन आकर पड़ती है। भले ही सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट कीमत कम करके राजस्थान सरकार को दे दे लेकिन लागत पचास रुपये टन से कम नहीं होने पाती। ऐसी हालत में राजस्थान सरकार शिक्षा में करोड़ों रुपया खर्च करती है, करोड़ों रुपया प्रोजेक्ट के कामों में खर्च करती है लेकिन राजस्थान सरकार इन कामों में नहीं करती। एक इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉर्पोरेशन बनाया है। उसमें भी सरकार १,२०० रुपया देती है, उसका

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

क्या उपयोग हुआ, नहीं हुआ कुछ पता नहीं। वे पूंजीपति जिसमें राजस्थान सरकार का लाखों रुपया है उनके आज १०० रु० के शेयर के ३० रु० का भाव है। उस राजस्थान सरकार को कुछ पता नहीं कि इन्डस्ट्रियल कॉर्पोरेशन को रुपया दिया है उसका क्या होगा ? ऐसी हालत में राजस्थान सरकार सारी बातों को सोच कर इस फर्टीलाइज़र के कारखाने लिए ज्यादा से ज्यादा ताकत लगाती और धन-राशि के लिए राजस्थान में जो पूंजीपति हैं उन पर दबाव डालती और उन पूंजी-पतियों से कहती कि यहां राजस्थान में यह फर्टीलाइज़र का कारखाना खोलना चाहिए।

भाखरा बान्ध की स्कीम आ रही है, चम्बल की स्कीम बन रही है, इधर जोधपुर डिवीजन में भी कई बान्ध बन रहे हैं लेकिन इनके लिये आगे की स्कीम राजस्थान सरकार नहीं सोचती कि आगे क्या नतीजा निकलेगा, आगे क्या-क्या दिक्कतें आने वाली हैं ? इस बात को सरकार नहीं सोचती। इन दिक्कतों के हल करने के लिये अगर हम राजस्थान में फर्टीलाइजर का कारखाना नहीं खोलते हैं तो ये दिक्कतें कभी भी हल होने वाली नहीं हैं। जमीन काफी पड़त रहेगी, यहां अन्न की पैदावार कम होगी। इसलिये मेरा राजस्थान सरकार से निवेदन है कि जिस प्रकार नेशनल लोन के लिये पैसा मांगते हैं उसी तरह से आपको चाहिये कि आप फर्टीलाइज़र के कारखाने के लिये अपील निकालें। सरकार ने जिस प्रकार औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की है, उसके अन्दर जिस प्रकार प्रवासी राजस्थानियों से पैसा लिया उसी प्रकार यदि फर्टीलाइज़र के कारखाने के लिये आप अपील निकालेंगे तो आपको काफी पैसा मिल सकता है। आप इसके लिये स्कीम बनायें कि हम चार साल के अन्दर-अन्दर फर्टीलाइजर का कारखाना यहां खोल देंगे तो आप काफी सफल हो सकेंगे इन स्कीमों में। इसलिये माननीय अध्यक्ष, मेरा राजस्थान सरकार से यही निवेदन है कि इस बात की सब से ज्यादा कोशिश करें कि फर्टीलाइज़र का कारखाना खोलने के लिये इसी बजट अधिवेशन में एलान करें, ताकि जो डेम्स चल रहे हैं उनसे गरीब जनता का भला हो सके।

श्री चान्दमल मेहता—[निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"To discuss the failure of the Government to realize royalty of 'Gitti' in Kishangarh and Jodhpur Divisions".]

माननीय अध्यक्ष, इस डिमान्ड पर मेरे तीन कटौती के प्रस्ताव, जिसमें पहला कटौती का प्रस्ताव यह है कि जोधपुर डिवीजन और किशनगढ़ में गिट्टी की रॉयल्टी वसूल करने में सरकार असफल रही है, इस बारे का है।

माननीय अध्यक्ष, खनिज विभाग में इस बात का रेकॉर्ड नहीं रखा जाता कि प्रतिवर्ष किस-किस चीज का ठेका देना आवश्यक है और किस-किस की रॉयल्टी जमा होती है या नहीं और नहीं होती है तो क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—(श्री चान्दमल मेहता से) आप जल्दी कहिये। मैं फोरेस्ट और सार्वजनिक निर्माण की मांगों के बाद गुलेटिन लगा दूंगा।

श्री चान्दमल मेहता—इस मांग पर बोलने देने की बजाय फोरेस्ट पर बोलने का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष—(श्री भोगीलाल पंड्या से) आप अब जवाब दे दीजिये।

श्री भोगीलाल पंड्या (उद्योग-मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, माननीय मित्र ने बताया कि राजस्थान में फर्टीलाइज़र का कारखाना खोलने के लिये सरकार को पांच साल पहले से कार्यवाही शुरू करनी चाहिये थी, जो नहीं की गई। मैं माननीय मित्र को बतला देना चाहता हूं कि सरकार को जिस समय अपनी रिपोर्ट तैयार कर अपना केस बनाकर देना था, ठीक उसी समय दिया गया और उसे ठीक समय पर कमीशन के सामने प्रस्तुत भी कर दिया गया और मैं माननीय मित्र को यह भी बतला देना चाहता हूं कि हमारे ज्ञापन से कमीशन के सदस्यों को और अन्य लोगों को भी काफी सन्तोष हुआ।

दूसरी बात यह है कि जो इस बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई, वह मेरे माननीय मित्र को भी दी गई। यदि वे उसे एक बार पढ़ने की कृपा करते तो उनको इस प्रकार का भाषण देने की आवश्यकता नहीं होती। यह जो कहा गया कि फर्टीलाइज़र यहां महंगा मिलता है, उस रिपोर्ट में यह बतलाया गया कि फर्टीलाइज़र फैक्ट्री या कारखाना यहां खुल जायगा तो यहां की जनता को खाद सस्ती मिलेगी। उससे महंगाई की समस्या भी नहीं रहेगी।

सिन्दरी में जब फर्टीलाइज़र का कारखाना खुलने वाला था उस समय बीकानेर स्टेट की सरकार ने भारत सरकार से बातचीत की थी कि राजस्थान में जो जिप्सम निकलता है और बाहर जाकर खाद के रूप में परिणत होता है तो ज्यादा अच्छा होगा कि इस जिप्सम के उपयोग के लिये यहीं राजस्थान में फर्टीलाइजर का कारखाना खोला जाय। उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया था। जब कभी दुबारा इस प्रकार के कारखाने के खोलने की आवश्यकता होगी, उस समय राजस्थान का खास तौर से ध्यान रखा जायगा। उसकी प्रतिलिपि भी हमने उस केस के साथ भेजी है। मेरा ऐसा ख्याल है कि उस पर भारत सरकार पूरी सहानुभूति के साथ विचार करेगी।

आपने यह भी बताया कि जहां उद्योग हैं वहां २० प्रतिशत शेयर्स के भाव हैं। ये बातें तो वे हमेशा कहा करते हैं, लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि किस कारखाने के शेयर्स के भाव २० प्रतिशत हैं। कौन-सा उद्योग ऐसा है जिसके शेयर्स के भाव २० प्रतिशत हों?

श्री मुक्तिलाल मोदी—स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स जयपुर के भाव।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको न मालूम यह जानकारी कब और कैसे मिली, मुझे तो इस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिये मैं इस इस बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ हूं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्र से निवेदन करूंगा कि वे अपने कट-मोशन को वापिस लेंगे।

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की सदन से आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री मुक्तिलाल मोदी को अपना कट-मोशन वापिस लेने दिया जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं अपने कट-मोशन को वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि मांग संख्या १५ को स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

मांग संख्या १५ स्वीकार की गई ।

मांग संख्या ४-वन

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त-मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४, मेजर हैड १०—वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३५,८१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष—मांग प्रस्तुत हुई ।

(विराम)

श्री तनसिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री केसरीसिंह ।

महाराज श्री केसरीसिंह—[निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती-प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :—"To discuss Corruption in the Department."]

माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती-प्रस्ताव इस विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के मिटाने के मुतल्लिक है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये सदन को यह बतलाना चाहता हूं कि जितना भ्रष्टाचार इस वन-विभाग में है उतना शायद ही किसी दूसरे विभाग में हो और जितना ताल्लुक जनता का इस विभाग से है उतना अन्य विभाग से नहीं । काश्तकारों को हर वक्त, हर समय वन-विभाग से काम पड़ता है क्योंकि बिना लकड़ी के किसान का काम नहीं चलता । मैं चाहता हूं कि सरकार को इस

[महाराज श्री केसरीसिंह]

भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये बहुत कुछ प्रयत्न करना करना जरूरी है। काश्तकारों को जब काश्त के लिये लकड़ी की जरूरत पड़ती है तो उनको रेन्जर के पास जाना पड़ता है। जिस वक्त वे रेन्जर के पास पहुँचते हैं तो रेन्जर के न मिलने के कारण उनको वापिस आना पड़ता है। अगर रेन्जर साहब मिल गये तो लकड़ी इतनी दूर बताई जाती है कि उसको लाने के लिये काफी समय लग जाता है और जो पास में लकड़ी होती है वह नहीं बताई जाती। इसका कोई कारण नहीं कि पास की लकड़ी क्यों न बताई जावे और अगर लकड़ी की कमी पड़ती है तो सरकार को अधिक लकड़ी उगाने की कोशिश करनी चाहिये।

इसके अलावा मैं एक यह भी बात निवेदन करना चाहता हूं कि पहले की रियासतों के जमाने में बबूल की लकड़ी काफी तादाद में उगाई जाती थी, उनकी निगरानी की जाती थी और उनकी परवरिश करने के बाद जनता को दी जाती थी। पर अब इस ओर सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं कहूंगा कि इस ओर खास तौर से तवज्जोह दें आप और अधिक से अधिक लकड़ी उपजाने की कोशिश करें क्योंकि यह बहुत ही जरूरी है और फसल के लिए तो इतनी जरूरी है कि जिसके बिना काश्तकार का काम चल नहीं सकता।

फोर्मर राजस्थान में कुछ लकड़ी काश्त के लिए मुफ्त देने की छूट सरकार ने दी थी, पर उस पर अमल बिलकुल नहीं हुआ और माननीय मन्त्री जी भी उस समय मन्त्री थे। वे इसे अच्छी तरह जानते होंगे।

इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहूंगा कि जो तबादले एल० डी० सीज० के किए जाते हैं उससे भी काफी असन्तोष लोगों में बढ़ता जा रहा है। एल० डी० सी० का, डिस्ट्रिक्ट की बात तो अलग रही, तबादला डिविजन के बाहर तक कर दिया जाता है। एक एल० डी० सी० का तबादला तो खास तौर से मन्त्री जी ने कराया है। उसका तबादला हनुमानगढ़ किया गया है और इसके लिए यह कहा गया कि वह राजनीति में भाग लेता है। तो अगर वह राजनीति में भाग लेता है तो यह ट्रान्सफर कर देने का कौन सा रास्ता निकाला गया है। अगर कोई राजनीति में भाग लेता है तो आपके सर्विस रूल्स साफ हैं, आप उसको सर्विस से अलग क्यों नहीं कर देते हैं। सरकार निकाल सकती है। पर इस तरह लोगों को परेशान किया जावे, यह कोई शोभाजनक बात नहीं है। आप आरोप लगा दीजिये, कोर्ट में ले जाइये, जेल में बन्द कर दीजिये, सर्विस से टर्मिनेट कर दीजिये, पर इस तरह से लोगों को परेशान किया जावे यह कोई शोभाजनक बात नहीं है। क्यों इनको परेशान किया जाता है ? यह नीति नहीं अपनानी चाहिये।

इन चन्द शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मुक्तिलाल मोदी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—[निम्नलिखित विषय पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

"विभाग के कर्मचारियों में फैले हुए असन्तोष पर विचार करने के लिये।"]

माननीय अध्यक्ष, जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है वह फोरेस्ट डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है। आज सारे राजस्थान में सारे विभागों का फिक्सेशन हो गया है। सिर्फ दो अभागे डिपार्टमेंट ऐसे बचे हैं; एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट और दूसरा फोरेस्ट डिपार्टमेंट। आज फोरेस्ट डिपार्टमेंट में बीस-बीस और पच्चीस साल की सर्विस के लोग भी हैं, पर फिक्सेशन नहीं होने से उनकी हालत बड़ी अस्थिर बनी हुई है। कुछ ऊपर चढ़ा दिये जाते हैं तो माननीय अध्यक्ष, वे भी टेम्परेरी किये जाते हैं; उसका कोई बाद में अस्तित्व नहीं रहता है जब चाहे उसे हटा सकते हैं। उनको परमानेन्ट नहीं किया जाता। तो ऐसी हालत में जो जो रेन्जर हैं, फोरेस्ट गार्ड्स हैं उनका फिक्सेशन सरकार जितना जल्दी हो, करे।

दूसरी बात यह है कि फोरेस्ट में आज जितनी तरक्की होनी चाहिये, उतनी तरक्की नहीं हो पाई है। उसके लिए जितना रुपया सरकार ने रक्खा है उसका सदुपयोग नहीं होता है। सरकार चाहती है कि काफी पेड़ लगाये जावें, पर बजाय इसके कि काफी पेड़ लगाए जावें, आज भी काफी पेड़ काटे जा रहे हैं। इस तरह से जो जमीन काफी पेड़ कटने से साफ होती जा रही है उसको खेती करने के लिए कुछ चन्द आदमियों को वह सौंपी जा रही है, जो आज सरकार के कृपापात्र हैं। ऐसी स्थिति में यह समझ में नहीं आता कि सरकार एक तरफ कहती है कि पेड़ लगाओ, जिससे जनता का ज्यादा फायदा होगा पर दूसरी ओर कुछ चन्द आदमियों को फायदा पहुँचाने के खातिर पेड़ काट कर जमीन दे दी जा रही है, इसका क्या कारण है।

फिर एक मजेदार बात यह है कि कहने को कहते हैं कि हमें बड़ा ख्याल है जंगल बढ़ाने का, इसके लिए हवाई हवाई जहाज से बीज बोया जाता है। कहीं आज तक दुनियां में ऐसा हुआ है कि हवाई जहाज से बीज बोया जाय और वह उड़ जाय, यह समझ में नहीं आता। इसका रुपया यों ही बर्बाद होता है। इसके बजाय सरकार यह करने को तैयार नहीं कि वह लोगों को कहे कि तुम पौधे लगाओ, उसकी रखवाली करो तो वह पेड़ आप लोगों का होगा। अगर ऐसा कर दें तो लोग आज लाखों-करोड़ों दरख्त लगाने को तैयार हो सकते हैं, पर सरकार आज इतना सा काम करने के लिए भी तैयार नहीं है।

पुराने जमाने में फोरेस्ट का हमारे यहां बड़ा अच्छा इन्तजाम था। पर आज लोग उसको भी बर्बाद करने की बात सोच रहे हैं। उसको बढ़ाना तो दूर की बात है। उसको बर्बाद करके अपने खेतों के काम में लेने की बात लोग आज सोच रहे हैं; यह बड़ी अफसोस की बात है।

आज वैसे भी काफी जमीन यहां पड़ी है जो खेती के काम आ सकती है, पर उसको ठीक करा कर काम में लेने का सवाल है। परन्तु इसकी तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसके कुछ कृपापात्र लोग अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए अच्छे अच्छे जंगलों की जमीनें वहां के पेड़ काट-काट कर लेने को तैयार हो रहे हैं। मैं आपको माननीय अध्यक्ष महोदय, उदाहरण के तौर पर बताऊं......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

[श्री मुक्तिलाल मोदी]

एक मिनट और साहब। यहां झोटवाडा के पास बीड़ था एक। काफी बड़ा था वह। उसको यहां के चन्द लोगों ने आपस में बन्दर-बांट कर लिया। उसको बांटने के बाद भी उसमें पूरी तरह से उन्होंने खेती की हो, यह बात भी नहीं है। ले लिया उन्होंने, इसमें खड़े पेड़ों को काटकर बेचने के लालच से। इसी तरह खातीपुरा का बीड़ भी ले लिया गया है और इस तरह और भी कई उदाहरण हैं। बड़े बड़े बीड़ों पर आज भी कुछ लोगों की निगाहें हैं, ताकि उनके पेड़ों का भी फायदा उठाया जावे और जमीन का भी। तो आज यह हालत है। पर ज्यादातर तो पेड़ों से होने वाले फायदे के लिए ही लेते हैं, जिसको काट कर और बेच कर वे पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। तो ऐसी हालत में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो आज से पहिले फोरेस्ट के बीड़ कहलाते थे वे फोरेस्ट के लिए ही रहें, वे जमीन के तौर पर खेती करने के लिए अलॉट नहीं किये जावें और ऐसा एलान करें आगे से कि जो फोरेस्ट के बीड़ आज तक के हैं वे फोरेस्ट के रहेंगे। इस तरह से करेंगे तो कुछ तरक्की करने के आसार दिखाई देंगे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्ष—श्री श्रीदास गोयल।

(अनुपस्थित)

श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—[निम्न लिखित विषयों पर वाद-विवाद करने हेतु कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

1. "To discuss the Cultivation in the forest area".
2. "To discuss the break of fire in the forest area near village Silora Tehsil Kishagarh".
3. "To discuss the negligence in protecting the forests in Rajasthan".
4. "To discuss the failure of the Govenment to demarcate the forest area".
5. "To discuss the failure of the Government to plant new trees".]

माननीय अध्यक्ष, इस डिमान्ड पर मेरे पांच कटौती प्रस्ताव जो हैं, मैं उन प्रस्तावों पर अधिक विस्तार से न जाकर चन्द शब्दों में निवेदन करने की कोशिश करूंगा।

वन हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है और इस सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य हो जाता है, लेकिन खेद के साथ निवेदन कहना पड़ता है कि इस सम्पत्ति की रक्षा के सम्बन्ध में जो प्रिकॉशन हमें लेना चाहिए वह नहीं लिया जा रहा है। यही कारण है कि वन-जिनका कि विस्तार किया जाना चाहिए था वे दिनों-दिन कम होते जा रहे हैं। एक छोटी सी बात को देखिये कि इस चालू वर्ष में आग लगने की वजह से वनों का कितना नुकसान हुआ है ? इसी सदन में मेरे एक प्रश्न के जवाब के

[श्री चांदमल मेहता]

आधार पर मैं कह सकता हूं कि ५४–५५ के वर्ष में २ लाख एकड़ भूमि के वनों में आग लगी। दूसरे, इसके ही आधार पर जब ये आंकड़े देखे जाते हैं कि २ लाख एकड़ भूमि में आग लगने से नुकसान कितना हुआ तो यह बताया गया है कि ८ हजार रुपये का हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि यह बात कोई मानेगा नहीं कि २ लाख एकड़ भूमि में आग लगे और इसमें और कुछ नहीं तो घास होगी, कुछ पेड़ होंगे, कुछ पत्ते होंगे और कई तरह की चीजें होंगी, तो क्या वह ८ हजार के ही होंगे ! एक ही बात से आप अनुमान करेंगे कि आग से रक्षा कर सकें तो हम इतनी सारी चीजों को बचा सकेंगे। मैं किशनगढ़ की आग की एक घटना का खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा कि किस तरह से आग लगती है और किस तरह से अधिकारी-गण उसे रफा-दफा करते हैं। आम तौर से शिकार खेलने की वजह से ज्यादातर आग लगती है। शिकार खेलने से पहले पटाखे छोड़े जाते हैं ताकि जानवरों को भगाया जा सके और वे झाड़ियों से निकलें और उनका शिकार हो सके। इस तरह का एक शिकार का आयोजन किशनगढ़ के सिलोरा के जंगल में हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि आग लगी। वहां किशनगढ़ महाराजा ने शिकार खेला और शिकार खेलने के पहले पटाखे छोड़े गये, तो बड़े जोर से आग लगी। लेकिन मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि उस मामले को दबा दिया गया। वहां के निकटस्थ ग्रामवासियों की ओर से मवेशियों के उस वन में चराने की मांग आती है तो मवेशियों को चराने की आज्ञा नहीं दी जाती, लेकिन एक राजा के शिकार खेलने से सारे वन को जला दिया तो कोई एक्शन नहीं लिया गया। तीन साल से यह मामला विचाराधीन है और इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाये हैं कि किस वजह से आग लगी। इससे मालूम होता है कि अधिकारी-गण वनों की कितनी उपेक्षा करते हैं ! आम जनता को अगर मवेशी चराने की जरूरत है तो उससे उनको वञ्चित रख देते हैं और राजा-महाराजा के शिकार के बहाने से आग लगती है तो उस बात को बर्दाश्त कर रहे हैं। हमें एक ओर देखना है कि आग लगने की घटनाएं जो होती हैं उन पर खास तौर से निगाह रखें। प्रतिवर्ष कितना नुकसान होता है इनकी वजह से।

दूसरे, एक दूसरे प्रस्ताव के जरिये मुझे निवेदन करना है कि प्रतिवर्ष वनों का विस्तार न होकर उनमें काश्त होती जा रही है। सब जानते हैं कि जिस जमीन में कभी काश्त नहीं हुई है और फिर उस पर काश्त करते हैं तो उस जमीन में बहुत अच्छी पैदावार होती है। इस दृष्टि से किसान कोशिश करते हैं कि जो वन हैं वे काश्त करने के लिए मिल जायं। वह जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है। उस पर काश्त करने की कोशिश करते हैं और प्रतिवर्ष काफी जमीनें काश्त में होती जा रही हैं। किशनगढ़ में जहां वन नहीं के बराबर हैं वहां और भी कम होते जा रहे हैं। लांबा बीड़ की मिसाल है कि कई वर्षों से किशनगढ़ में यह व्यवस्था थी कि वह वन सुरक्षित रहे थे, लेकिन खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि वहां प्रतिवर्ष काश्त बढ़ती जा रही है। वहां पिछली काश्त हुई, इस वर्ष हुई और प्रतिवर्ष होती है। वन के अधिकारियों को कुछ रुपये मिल जाते हैं उसके आधार पर खेती होती जा रही है और विधान सभा में यदि प्रश्न पूछा जाता है तो इन्कार कर देते हैं कि खेती नहीं होती है। मैं निवेदन करूंगा कि इस ओर हमें खास तौर से ध्यान देना होगा और हमारे वनों में अगर काश्त और आगे बढ़ती जायगी तो स्थिति यह होगी कि हमारे अच्छे-अच्छे वन जो हैं और जिनकी बहुत आवश्यकता है, वे खत्म हो जायेंगे। इसलिए काश्त के लिए जमीन एलॉट करने के बारे में तवज्जोह देनी होगी।

[श्री चांदमल मेहता]

दूसरे, मैं निवेदन करूंगा कि जहां हम वनों की रक्षा के लिए गार्ड रखते हैं, तो वे वनों की रक्षा करने के बजाय वनों का ह्रास कर रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद में प्रतिवर्ष लकड़ी काटी जाती है। आम तौर से यह होता है कि कोई ऐसा आदमी लकड़ी काटता है और गार्ड को कुछ हिस्सा मिल जावे तो कोई परवाह नहीं की जाती है। इसका नतीजा यह हुआ है कि कई स्थानों पर मुर्दों के जलाने के लिए भी प्राप्त नहीं होती है। किशनगढ़ में यह लकड़ी काटना बहुत जोरों से चालू है और सरवाड़ में यह स्थिति पैदा हो गई है कि वहां मुर्दों के लिए भी लकड़ी नहीं मिल रही है और म्युनिसिपेलिटी ने मांग की है कि उनको मौका दिया जाय कि दूसरी जगह से लकड़ी इम्पोर्ट कर सकें। अभी कस्टम लगा हुआ था, हालांकि वह उठ जायगा फिर भी दूसरी जगह से, चूंकि दिक्कत थी मुर्दों को जलाने के लिए लकड़ी बाहर से मंगाने का मौका दिया जाय। वनों को अधिकारी-गण से जिस तरह से बर्बाद कर रहे हैं वह सिलसिला अगर जारी रहा तो यह मांग और जगहों से भी आ सकती है, जब कि सारे के सारे वन बर्बाद हो जायेंगे। इनकी रक्षा करने की खास तौर से जरूरत है।

इसके ऊपर मैंने बजट भाषण पर प्रकाश डाला था तो माननीय मंत्री महोदय ने जवाब देते हुए कहा था कि इसके संबंध में कटौती प्रस्ताव का जो कुछ जवाब देंगे तो उन सारी बातों पर कहेंगे। मैं खास तौर से निवेदन करूंगा कि किस तरह से वन विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। वन विभाग के अधिकारी किस तरह से गलत जवाब देने के लिए मंत्री महोदय को मजबूर करते हैं? फोरेस्ट के बारे में कानून बना हुआ है, और कानून इसीलिये बनाये जाते हैं कि उन कानूनों की पूरी पाबन्दी की जाय। उस कानून के खिलाफ किसी वन के अधिकारी को कोई दखल देने का अधिकार नहीं है, उस जमीन पर जो कि काश्त की जमीन है। कानून बनने के बाद जब ऐसा होता है और जब पूछा जाता है तो गलत जवाब दे देते हैं, इसलिए उनको प्रोत्साहन मिलता है। रूपनगर तहसील में सारी काश्त की जो भूमि है वहां पर किसान काश्त करते हैं। वन विभाग का जो फोरेस्ट एक्ट है उसके अन्तर्गत वन के अधिकारियों का उस जमीन के पेड़ों पर कोई अधिकार नहीं है। इस बात का पिछली असेम्बली में मैंने सवाल उठाया था कि वहां जो काश्त के लिए जमीन है, उस पर जो पेड़ हैं वे सरकार के द्वारा बेचे जा रहे हैं तो जवाब दिया गया था कि यह सिलसिला, अब नहीं है लेकिन बाद में वह सिलसिला चालू रहा। नतीजा यह हुआ कि वन विभाग के अधिकारियों ने उनका ठेका दिया। किसानों ने उसका विरोध किया और किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल मंत्रीजी से मिला। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जनता की आवाज को सुना और जल्दी से कार्यवाही की और उस ठेके को बन्द करने का आदेश दे दिया। जैसी कि यह मशीनरी है वह यह मानकर चलते हैं कि वे जो चाहे जो करें, अच्छा या बुरा करें, इनकी शिकायत मंत्री तक पहुंच नहीं सकती हैं और अगर पहुँच भी गई तो सारे ऊपर से नीचे तक जो हमारे अधिकारी हैं वे बीच में ही दाब देंगे किसी झगड़े को। तो उस हुक्म की तामील नहीं हुई। किसानों की जमीन पर पेड़ थे उनके लिए मंत्रीजी ने आदेश दिया कि ठेके नहीं दिये जायं वे, नहीं चाहते थे इसको। वे चाहते थे कि ठेका दिया जाय। दूसरे, वे यह जानते थे कि मंत्रीजी तक उनकी शिकायत पहुंचना बड़ा मुश्किल है और जितने अधिकारी हैं वे सब उनके हैं। वह जागीरदार का गांव था। उससे उसको २०,००० रु० की आमदनी होने वाली थी। उसमें से वह ५–१० हजार दे सकता था। उसके जरिये से ऊंचे के अधिकारियों को भी हिस्सा मिल सकता था। परिणाम यह हुआ कि मंत्रीजी के हुक्म को

[श्री चांदमल मेहता]

तामील नहीं हुई। वे दुबारा मिले मंत्री महोदय से तो उन्होंने आदेश दिया कि डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट ऑफिसर खुद मौके पर पहुँचे, और इसके बारे में सारी कार्यवाही की जाय। लेकिन मैं निवेदन करूंगा बड़े खेद के साथ कि वे डिस्ट्रिक्ट फोरेस्ट ऑफिसर १५ दिन बाद पहुंचे। यह सारी घटना ऐसी है जो यह बताती है कि अगर वन विभाग के ऊपर ठीक ढंग से नहीं देखा गया, उनके खिलाफ कड़ाई से एक्शन नहीं लिया गया तो उनकी मनमानी बन्द नहीं होगी। मैं मानता हूं कि मंत्रीजी बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लिया है और मैं उम्मीद करूंगा कि वे इस बारे में बहुत जरूरी कार्यवाही करेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है कि उन आदमियों की गलती है; उनकी स्वयं जांच करेंगे। चूंकि वह शिकायत जो है उसमें ऊंचे अधिकारी हैं वन विभाग के, इसलिए जांच को अपने हाथ में रखें। वे स्वयं जांच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा सही मायने में कि किस हद तक यह कार्यवाही करने को अधिकारी-गण तैयार हो जाते हैं।

एक छोटा सा सुझाव है उसके बारे में भी जवाब देंगे। डिमार्केशन ऑफ फोरेस्ट के बारे में कई बार शिकायतें की गई हैं कि कई एक काश्त की जमीनों को फोरेस्ट में डिमार्केट कर दिया है और कई एक जमीनें ऐसी हैं जो फोरेस्ट में आनी चाहिए, लेकिन वे नहीं आती हैं और कई नहीं आनी चाहिए थीं वे आती हैं और उसके आधार पर रिश्वतखोरी के किस्से चलते हैं। किशनगढ़ का कुछ हिस्सा है जहां काश्त होती है उसमें कूएं हैं उनको फारेस्ट में डाल दिया जाता है और कई ऐसी जमीनें हैं जो फोरेस्ट में आनी चाहिए जिनको छोड़ दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पहली बात तो यह है कि डिमार्केशन जल्दी से जल्दी करा दीजिये। इसके नहीं होने से कई फोरेस्ट और राजस्व विभाग के जो झगड़े होते हैं वे खत्म हो जाते हैं। डिमार्केशन जो हो वह रेवेन्यु डिपार्टमेंट और फोरेस्ट डिपार्टमेंट के दोनों के अधिकारियों को साथ में रख कर किया जाय। वह विभाग के अधिकारी अकेले करेंगे तो राजस्व विभाग को शिकायत होगी। एक मर्तबा वन और राजस्व विभाग के अधिकारी मिलकर (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि वह ठीक ढंग से नहीं होगा। इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि मंत्री महोदय मेरे कटौती प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और उनके बारे में उचित आश्वासन देंगे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—(वित्त एवं वन मंत्री) अध्यक्ष महोदय, तीन माननीय सदस्य; श्री मुक्तिलालजी, श्री केसरीसिंहजी और श्री चांदमलजी इस विषय पर बोले हैं। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि जहां तक हमारी नीति का सवाल है, हमारी यह नीति नहीं है कि जंगलों से ज्यादा से ज्यादा आमदनी की जाय और ख्वामख्वाह की तकलीफ लोगों को दी जाय। जंगल समाज के काम आनेवाली चीज है। इससे जरूरत माफिक हमेशा लकड़ी मिलती रहे और लोगों का काम चलता रहे यह हम चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जहां कीमती लकड़ी के जंगल हैं उन पर हम जरूर जोर लगायेंगे कि वे हमारी आमदनी के साधन बने रहें।

मेरी खुद की जगह से आनेवाले माननीय सदस्य ने कई बातें बताई हैं और उन्होंने करप्शन के बारे में भी जिक्र किया है। इस बारे में हम बहुत प्रयत्नशील हैं कि यह मिट जाय। फोरेस्ट के छोटे-छोटे अधिकारियों को जो अधिकार दिये हुए हैं इस वजह से वे जनता के सीधे संपर्क में आते हैं। इस

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

वजह से यह बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। यहां तक भी होता है कि एक बार मैं दौरे में गया था, वहां शिकायत आई कि एक गाड़ीवाले से चौकीदार ने एक आना ले लिया था और वह लेते पकड़ा गया था। हम इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं। जितने छोटे दर्जे के अधिकारियों का संबंध कम से कम हो उतना ही अच्छा है। उन पर जितने अधिक आधारित होते हैं उतना ही अधिक करप्शन बढ़ता है। जो नये रूल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट ने बनाये हैं वे लॉ डिपार्टमेन्ट से बनाये जा रहे हैं। माननीय मित्र ने कहा कि मैंने ऐसी भावना व्यक्त की थी और आज भी कहता हूं कि फोरेस्ट रूल्स बनें वे जनता की जरूरत का ख्याल रख कर बनाये जायं और इसी दृष्टि से बनाये जायेंगे ताकि लकड़ी आसानी से मिल सके, काश्तकारों ने जो पुराने पेड़ लगाये हैं उन पर उनका अधिकार हो और गांवों के पास में जो जंगल हैं उनको ग्राम पंचायतों के अधिकार में दिया जाय। इसके अतिरिक्त रिज़र्व्ड और प्रोटेक्टेड जंगलों पर सरकार का अधिकार हो और बाकी पंचायतों के अधिकार में कर दिये जांय जिससे गांव वालों को आसानी से लकड़ी मिल सके। इसके अलावा हम सहूलियत इस बात की भी देंगे कि अगर कोई पंचायत जंगल लगाना चाहती है तो हम उनको मुफ्त में पेड़ देंगे और सलाह-मश्विरा देंगे। पंचायतें जो पेड़ या जंगल लगायेंगी उन पर उन्हीं का अधिकार रहेगा, ऐसा प्रोविजन रूल्स में किया गया है।

पुराने राजस्थान के राज-पत्र में १३ फरवरी, सन् १९४८ को एक विज्ञप्ति छाया हुई थी जिसके बारे में यह शिकयत है कि जो रियायतें उस वक्त मिली थीं वे अब मिलती नहीं हैं। अभी मैं जब उधर दौरे पर गया था तो वहां पता लगाया तो मालूम हुआ कि जो रियायतें पहले दी गई थीं उनमें किसी कदर भी कमी नहीं पाई। यदि कोई शिकायत है और लकड़ी कुछ आधी कीमत पर और कुछ मुफ्त दी जाने को थी वह बदस्तूर चालू है और इसका समावेश आगामी भी कराया जायगा। इस बारे में शंका नही होनी चाहिये।

तबादलों के बारे में मैं निवेदन करूंगा कि वैसे तो कोई नहीं चाहता है कि कम तनख्वाह वालों के तबादले किये जांय। लेकिन जब दौरे पर जाते हैं और वहां पर किसी की शिकायत आती है तो किसी किसी का तबादला करना जरूरी हो जाता है। यह नहीं है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण तबादले किये जाते हैं। यह बात कतई नहीं है। जिसकी शिकायत आती है उसके तबादले किये जाते हैं। लेकिन आम तौर से नीति यह है कि छोटे कर्मचारियों के तबादले नहीं करने चाहिये।

माननीय पहाड़ी (सफेद) बैराठ से आने वाले मित्र ने फोरेस्ट कर्मचारियों के फिक्सेशन के बारे में बताया। फोरेस्ट कर्मचारियों के फिक्सेशन का सवाल आया था और मैंने जवाब दिया था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेन्ट में इतना स्टाफ चाहिये इसका निर्णय उस वक्त किया था, लेकिन बाद में यह ऑर्डर हुआ कि अभी स्टे कर दिया जाय और देखा जाय कि कितने कर्मचारियों की वास्तव में आवश्यकता होगी। अब इस सवाल को जल्दी ही निपटाया जायगा, क्योंकि अब फाइनेन्स और वन-विभाग में कोई झगड़ा होने वाला नहीं है, इसलिये सदन के बाद एक ही दिन में निर्णय कर लिया जायगा और एक महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया जायगा। यदि बीमार ही पड़ गया तो दूसरी बात है, नहीं तो यह जल्दी ही तय हो जायगा।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

वन की रक्षा के लिये रूपनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जोर दिया। वन की रक्षा होनी चाहिये। उन्होंने बताया कि आम तौर से वन में आग लग जाती है जिसके लिये कोई रुकावट नहीं है, शिकार खेलने जाते हैं इस वजह से आग लग जाती है। मैंने उस वक्त भी बताया था। शिंगूर के जंगल का उन्होंने जिक्र किया। उन दिनों किशनगढ़ के महाराजा वहां शिकार खेलने गये थे इस वजह से आग लगी, लेकिन इसमें किस आदमी की गलती है यह नहीं कहा जा सकता। या तो शिकार खेलना ही बन्द किया जाय या किसी व्यक्ति विशेष ने जान-बूझ कर शरारत की है, इसका जब तक तहकीक पता नहीं चलता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। प्राइमा फेसी यह पता चले कि शिकार के वक्त आग लगी या क्या हुआ या कौन आदमी जिम्मेदार है? तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी इस बात के लिये और प्रयत्नशील रहेंगे और वास्तव में आग की रोक-थाम के उपाय जो हैं वे फायर लाइन्स के हैं। जहां-जहां जंगल हैं, वहां फायर लाइन्स बनाने का प्रोग्राम है, पंच-वर्षीय योजना में फायर लाइन्स बनाये जायेंगे।

एक बात और कही गई कि लाखों एकड़ जंगल में आग लगाई जाती है और नुकसान ८ हजार का ही हुआ, यह समझ में नहीं आया; कई जगह लकड़ियां, घास इत्यादि होता है उसकी कोई खास वेल्यु नहीं है। अगर कहीं इसमें आग लग जाती है तो कई दिनों तक वह आग जलती रहती है। कितने एकड़ जंगल में आग लगी इसके अपने पास पूरे फिगर्स नहीं हैं। कई जंगल ठेके दिये हुए होते हैं। ठेकेदारों के जंगल में आग लग जाती है और उससे यदि कोई नुकसान हो जाता है तो उसके फिगर्स ठेकेदारों के पास रहते हैं, अपने पास कोई ऐसे फिगर्स नहीं हैं। मुमकिन है कई जगह आग लग गई हो और अपने पास फिगर्स नहीं आये हों। जंगल का हमारे यहां वास्ट एरिया है। अगर किसी ने रास्ते चलते जलती हुई बीड़ी डाल दी तो उससे भी मामूली आग लग सकती है, लेकिन ऐसा नुकसान ज्यादा नहीं होता। फिर भी इस बात की रोक-थाम के लिये हम प्रयत्नशील हैं और जल्दी ही फायर लाइन्स अच्छे-अच्छे जंगलों में एक-दो साल में कर देने की उम्मीद रखते हैं।

डिमार्केशन का जहां ताल्लुक है वह बहुत कम है; किशनगढ़ में खास तौर से। माननीय सदस्य को मालूम है और मुझे भी मालूम है कि किशनगढ़ में रेवेन्यु फॉरेस्ट का एक ही डिपार्टमेंट था और इस वजह से क्या चीज रेवेन्यु की है और क्या फोरेस्ट की है इसका अलग-अलग पता मुश्किल से चलता था लेकिन राजस्थान में जंगलों का मेनेजमेन्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हाथ में है। इसी वजह से रूपनगढ़ का झगड़ा चला था। रेवेन्यु वालों ने पट्टा दे दिया और पेड़ काटने का ठेका दे दिया। जब हमारे ध्यान में यह बात आई कि यह इर्रेगुलेरिटी है तो उसको रुकवा दिया। पहले २४ तारीख को तार पहुंचता है और १८ तारीख को आपस में कहा-सुनी हुई और कहा जाता है कि रोक लगायेंगे तो १८ तारीख को ठेका नीलाम होना बन्द हो गया। लेकिन काश्तकार पत्तियां छांगने लगे तो वन-विभाग वालों ने कहा कि जब तक ऑर्डर नहीं आवे, तब तक ठेकेदार और काश्तकार दोनों ही रुक जावो व उसको मारा। डिपार्टमेंट ने जो जानकारी दी है उसके आधार पर कह सकता हूं कि उन लोगों को मना किया गया, काश्तकार थे; इस बारे में कहा-सुनी हुई बताते हैं।

[श्री बृजसुन्दर शर्मा]

डी. एफ. ओ. के बारे में कहा कि १५ दिन बाद पहुंचे तो इसके लिये यही है कि जहां जरूरी काम हो वहां पहले जाना पड़ता है; वहां पहले पहुंचते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब जरूरी काम छोड़ कर फौरन वहीं पहुंचा जाय।

तीसरी बात कही जाती है कि इस विभाग में जमीनें दी जाती हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि वन बीड़ और ग्रास बीड़ में फर्क है। ग्रास के बीड़ ज्यादा हैं तो जिन ग्रास बीड्स के चारों तरफ खेती हो और पेड़ हों तो उनको काश्त के काम में लिया जाय। सभी जगह इस प्रकार की नीति बन रही है। जो प्लॉट हैं उनको एक तरफ प्रोटेक्ट कर सकें एवं जो खुद-काश्त के लिये जरूरी हैं, उन्हीं को रखा जायगा।

जहां तक वन का सम्बन्ध है, हम बहुत प्रयत्न में हैं और जहां तक जांच का ताल्लुक है मैं तो तैयार रहता हूं। मैंने तो उस दिन ही आश्वासन दिया था कि अगर जरूरी होगा तो मैं खुद मौके पर चलने के लिये तैयार रहूंगा।

ऐसी सूरत में मैं यह आशा करता हूं कि जिन माननीय सदस्यों ने कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उन्हें वापिस लेने चाहिये।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने से पहले कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने फरमाया कि मेरे इलाके से आये हुए सदस्य ने यह कहा। मुझे अफसोस है कि मैं उनके इलाके से नहीं आया हुआ हूं। वे सिरोंज से आये है और मैं बूंदी, पाटन से आया हुआ हूं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं रहने वाला तो वहीं का हूं।

महाराज श्री केसरीसिंह—तबादले सजा के रूप में किये जाते हैं; एक एल.डी.सी. का दूसरे डिविजन में तबादला कर देते हैं! हनुमानगढ़ में डाला है तो वह वहां उनकी माला फेरता है।

उन्होंने फरमाया कि लकड़ियों के लिये काफी सुविधा दे रहे हैं, इसके लिये धन्यवाद।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री **चांदमल मेहता**—मन्त्री महोदय ने जो यह फरमाया कि वे स्वयं मौके पर जा कर भी यदि आवश्यकता पड़ी तो जांच करेंगे; इससे मुझे सन्तोष है और मैं अपने सभी कटौती के प्रस्तावों को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूं।

श्री **मुक्तिलाल मोदी**—मन्त्री महोदय ने एक महीने का आश्वासन दिया है और कहा है कि बीमार पड़ जाऊंगा तो दूसरी बात है; तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि काहे को बीमार पड़ें। इतना जो आश्वासन दिया है, इसलिये मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री केसरीसिंह, श्री चांदमल मेहता और श्री मुक्तिलाल मोदी अपने-अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति चाहते हैं; क्या अनुमति दी जाय ?

(स्वीकृत)

(अनुमति प्रदान की गई ।

महाराज श्री केसरीसिंह—मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री चांदमल मेहता—मैं भी अपने सभी कटौती के प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—मैं भी अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४, मेजर हैड १०–वन के संबन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३५,८१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया ।

राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापन)

इसके पहले कि मैं गुलेटिन लगाऊं श्री अमृतलाल यादव एक विधेयक पेश करेंगे । श्री अमृतलाल यादव ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री मोतीलाल मोदी—क्या बोलेंगे इस स्टेज पर ?

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई ।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान वित्त (कृषि आय-कर) विधेयक, १९५५ को पुरःस्थापित करता हूं ।

शेष मांगों पर मत-दान

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या २५, मेजर हैड ५०–नागरिक निर्माण कार्य आदि के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त, श्रीमन् राजप्रमुख को २,९७,५६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ७, मेजर हैड ३३— अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३५,३८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या १, मेजर हैड ७—भू-राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,७३,७०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या २, मेजर हैड ८—राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३५,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३, मेजर हैड ९—स्टाम्पस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिए मांग संख्या ५, मेजर हैड ११—पंजीयन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ६, मेजर हैड १२—मोटर-गाड़ी अधिनियम के कारण व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३,७०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ८, मेजर हैड १७—सिंचन आदि निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में दिये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५५,४०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या १० मेजर हैड २५—सामान्य प्रशासन उप-शीर्षक (ख) और (ग) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १६,२१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या १२, मेजर हेड-२७ न्याय-प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३१,६६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या १३, मेजर हैड २८—कारागृह के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २५,२५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है अनुदान के लिये मांग संख्या २०, मेजर हैड ४०—का ग्राम-विकास के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,६०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या २१, मेजर हैड ४१-पशु-चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ के समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २७,२४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या २२, मेजर हैड ४२-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १०,०२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या २६, मेजर हैड ४० का—बहुप्रयोजन नदी योजनाओं से प्राप्तियों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,५२,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या २९, मेजर हैड ५४ ख—भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १७,९५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३०, मेजर हैड ५५—अधिवार्षिक भत्ते और निवृत्ति का वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४७,२१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३१, मेजर हैड ५६–लेखन-सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ३८,६४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।
(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३३, मेजर हैड ६३–असाधारण व्यय के संबंध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ५,००,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।
(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३६, मेजर हैड ७०–जन-स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ४,८०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।
(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३८, मेजर हैड ८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण-कार्यों का पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,६४,८६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।
(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ३९, मेजर हैड ८१–का विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को २,२१,७९,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)
मांग स्वीकार की गई।
(विराम)

[श्री अध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४०, मेजर हैड ८२—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण-कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को ८,३५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है कि अनुदान के लिये मांग संख्या ४१, मेजर हैड ८३-निवृत्ति वेतनों की राशियों के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त श्रीमन् राजप्रमुख को १,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

Next, Shri Brijsundar Sharma.

राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५५ (विचार-विमर्श एवं पारण)

श्री बृजसुन्दर शर्मा (वित्त मंत्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९५५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लेने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बृजसुन्दर शर्मा—मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राज्य की संघनित निधि में से ३१, मार्च ११५६ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कुछ धन-राशियों के भुगतान व विनियोग को प्राधिकृत करने का विधेयक पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विनियोग विधेयक (संख्या २), १९५५ पास हुआ।

(करतल-ध्वनि)

Now we adjourn for tomorrow or for...

श्री मथुरादास माथुर—Adjourn for thirty first.

श्री अध्यक्ष—सदन की कार्यवाही तारीख ३१ मार्च के प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही दिनांक २८-३-५५ को १ बजकर २ मिनिट पर ३१ मार्च, १९५५ के प्रातःकाल ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक-२८ मार्च, १९५५।

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २५८ का उत्तर देखिये)

STATEMENT SHOWING THE GOVERNMENT INVESTMENT IN VARIOUS INDUSTRIAL CONCERNS & THE PROFIT COVERED BY THE GOVT.

S.No.	Name of Concern.	Location.	Nature of Industry.	Government investment.	Private investment.	Profit on devident covered by Govt. during the year. 49-50	50-51	51-52	52-53	53-54
1.	Jaipur Udyog Ltd.	Sawai Madhopnr.	Cement Factory.	75,00,000	1,50,00,000	Devident not declared by Co.				
2.	Gypsum Ltd,,	Bikaner.	Manufacture of Gypsum.	1,50,000	1,82.000	--	15,000	15,000	Not available	
3.	Bikaner Industrial Corporation, Ganganagar.	Ganganagar.	Oil Mill, Sugar Factory & Distillery.	19,00,000	21,37,800	Devident not declared by Co.				
4.	Man Industrial Corporation Ltd.	Jaipur.	Iron goods.	15,00,000	25,00,000	do				
5.	Udai Bhau Industrial Corporation Ltd.	Dholpur.	Oil Mills.	1,30,000	8,90,350	do				
6.	Mishra Bandhu Industries Ltd.	Jaipur.	Alluminium goods.	25,000	—	do				

7. Glass Ware Ltd. Bharatpur.	Bharatpur.	Glass Manufacturing.	75,000	1,82,325	do
8. Dholpur Glass Ware Ltd.	Dholpur.	do	50,000	4,44,664	do
9. Harish Chandra Pottery Works Ltd.	Jhalawar.	do	10,000		do
10. Shri Sadul Textile Ltd.	Ganganagar.	Spinning & Weaving.	11,80,000	47,66,787/8	do
11. Jaipur Spinning & Weaving Mill.	Jaipur.	do	17,45,800	32,53,829	do

INDUSTRIAL CONCERNS PURELY OWNED BY GOVERNMENT OF RAJASTHAN.

12. Ginning & Pressing Factory.	Bhilwara.	Ginning & Pressing of cotton.	2,19,000	Nil	79,300	42,400	64,800	1,10,400	1,17,800
13. Ginning & Pressing Factory.	Gulabpura.	do	3,54,000	Nil	1,31,100	94,400	1,56,000	2,00,700	95,300
14. Ginning & Pressing Factory.	Chittorgarh.	do	2,23,100	Nil	32,700	78,300	44,000	13,000	67,800

15.	do	Kapasin.	do	3,27,100	Nil	1,43,800	1,76,600	67,200	1,52,200	1,08,100
16.	do	Chhoti Sadri.	do	1,75,200	Nil	22,700	22,400	27,900	15,500	15,500
17.	do	Shahapura.	do	81,000	Nil	Nil	32,400	900	6,300	3,100
18.	do	Tonk.	do	75,000	Nil			Started in 1954-55		
19.	Ice Factory.	Jodhpur.	Manufacture of Ice.	1,79.000	Nil					
20.	do	Bikaner.	do	39,000	Nil					
21.	Sodium Sulphate Works.	Didwana.		1,00,000	Nil	1,86,600	4,75,800	9,31,900	9,94,200	12,35,700

Rajasthan Legislative Assembly.

Public Accounts Commitee 1950-51 Reply to Question No. 3.

Finance Accounts 1950-51 Position of Government

Investments in Private Concerns.

S. No.	Name of the Concerns	Amount Invested Rs.
1.	Bank o Jaipur Ltd.	12,50,000/-
2.	Bank of Bikaner Ltd.	2,62,650/-
3.	Bank of Banswara Ltd.	10,000/-
4.	Rajasthan State Co-operative B ank Ltd.	5,00,000/-
5.	Electric Corporation of India Ltd., Bombay.	1,25,000/-
6.	Bundi Electric Supply Co Ltd., Bundi	1,64,070/-
7.	Bhawani Mandi Electric Co. Ltd., Bhawani Mandi.	10,000/-
8.	Nawalgarh Electric Supply Co., Ltd.	1,25,000/-
9.	Abu Road Electric & Industries Co. Ltd.	1,25,000/-
10.	Jhalawar Transport Service Ltd. Jhalawar.	1,00,000/-
11.	Kotah Transport Co. Ltd., Kotah.	2,00,000/-
12.	Sirohi Motor-Buse-Srvice Ltd., Sirohi.	1,11,450/-
13.	Fatwah Isleimpur Light Railway.	9,500/-
14.	Central Provinces Railways.	7,600/-
15.	The Chanarmukh Light Railway.	9,500/-
16.	My-mensing Bhairab Bazar Railway Co. Ltd.	11,400/-
17.	Air India International Ltd., Bombay.	1,00,000/-
18.	Ambic Air Lines Ltd., Bombay.	3,00,000/-
19.	Sagal Air Transport Ltd., New Delhi.	20,000/-

20.	Chamber of Commerce Ltd., Bharatpur.	5,00 /-
21.	Dungarpur Mining Syndicate.	1,00,000/-
22.	Hind Farm & Dairy works Ltd., Agra.	5,000/-
23.	Newspapers Ltd., Allahabad.	10,000/-
24.	Shivaji Publication Ltd.	5,000/-
25.	The Poineer Ltd., Lucknow.	10,000/-

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित प्रश्नकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज पर रखे गये तथा जिन्हें प्रकाशित कराने सम्बन्धित मंत्री महोदयों की अनुमति है ।)

२६३ (११२ सी. एम.) श्री रावराजा सरदारसिंह, एम. एल. ए., डिविजन नम्बर १३७— क्या शिक्षा मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या तहसील दूनी, जिला टोंक ग्राम आव में कोई मिडिल स्कूल है ?

(ख) क्या वहां कोई पहले Graduate अध्यापक था ? अगर हां, तो उसको वहां से हटाने का क्या कारण था ? क्या उस स्थान की पूर्ति कर दी गई है ? अगर नहीं, तो मिडिल कक्षा को पढ़ाने का क्या प्रबन्ध है ?

(ग) वहां अध्यापकों की संख्या कितनी है और उनकी क्या क्या योग्यतायें हैं ?

उत्तर

(क) जी हां।

(ख) जी हां। उसे हटाया नहीं गया, वह स्वयं ही बिना किसी सूचना के गैर हाजिर हो गया। उसके स्थान की पूर्ति दूसरा अध्यापक भेज कर कर दी गई है।

(ग) वहां अध्यापकों की संख्या ८ है जो कि निम्न योग्यता के हैं :—

इन्टर ट्रेन्ड	१
मैट्रिक ट्रेन्ड	२
मिडिल	५
	८

264 (40/C. I. M.) Shri H.K. Vyas M.L.A. (Div. No. 160) : will the Minister for Industris be pleased to state :-

(a) Has the Rajasthan Government recommended the case of Shri Maharaja Shri Kishangarh Mills, for a loan to the Industrial Finance Corporation, India ? If so, on what date ?

(b) Will the Government state the total amount that the Government has to recover from this party in respect of S.A.C. and other dues ?

(c) What was the enquiry undertaken before recommending this case ?

(d) Was the question of recovary of these state dues raised at the time such application was under examination ? If not, why not ?

उत्तर

(a) Yes, on 18/1/55.

(b) The total amount to be recovered from the Mills in respect of S.A.C. is Rs. 2,61,289/5/-

(c) Enquiry was undertaken by the Director of Industries & Commerce, Rajasthan, Jaipur, who also took into consideration the report submitted by Mr. Dutta, Textile Expert, while submitting his report.

(d) No. It was a separate case for which action has separately been taken. It could not be connected with a recommendation for loan from the Central Industrial Finance Corporation which advances loans on fixed conditions for specified purposes only.

265 (114/CM) Shri Bishambhar Nath Joshi, M. L. A., (Div. No. 21): Will the Minister for Education please state :—

(a) Whether it is the intention of the Government to transfer the Agricultural College from Jobner to Udaipur.

(b) If so, what are the reasons for the transfer ?

(c) What is the total amount of the recurring and the non-recurring financial aid which has so far been given by the Thakursahib Jobner to the Jobner Agricultural College ?

(d) Has an equivalent or higher aid been promised or offered at Udaipur ?

(e) Is the Governmen aware that there is keen resentment against this move of the Government in the entire Jaipur district in general and the residents of Jobner in particular ?

(f) Will the Government reconsider the matter in deference to the wishes of the people of the Jaipur district ?

उत्तर

(a) No.

(b) The question does not arise.

(c) This information is not abailable with the Goverenment nor was it abailable in College Office.

(d) The question dose not arise.

(e) The Government regrets that the active resentment referred to should have arisen without any cause what-os-ever.

(f) The question does not arise.

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या १८८ का उत्तर देखिये)

नाम	कहां से	कहां को
१. श्री रामस्वरूप	वेटरनरी डिसपेन्सरी, टोडारायसिंह से	वेटनरी हॉस्पिटल, अलवर।
२. श्री रूपदान	वेटरनरी हॉस्पिटल, पाली	वेटरनरी हॉस्पिटल, राजसमन्द।
३. श्री बीठलदास	वेटरनरी डिस्पेन्सरी, रूपगढ़	वेटरनरी डिस्पेन्सरी, गंगापुर।
४. श्री मोहनलाल खाबीया	वेटरनरी हॉस्पिटल, उदयपुर	वेटरनरी हॉस्पिटल, बांसवाड़ा।
५. इमामुद्दीन	वेटरनरी हॉस्पिटल, नागौर	सामुदायिक योजना केन्द्र करनपुर।
६. श्री चन्द्र किशोर	वेटरनरी हॉस्पिटल, सिरोही	वेटरनरी डिस्पेन्सरी, देसुरी।